लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५६, १९६१ / १८८३ (शक)

[७ से १९ अगस्त १९६१ / १६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१ / १८८३ (शक)

(खण्ड ५६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६–अंक १ से १०—७ से १६ अगस्त १९६१/१६ से २८ श्रावण १८८३ (शक)]

अंक १ सोमवार, ७ अगस्त, १९६१/१६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ८३, ४ से ९ और ४५ . . २—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४४, ४६ से ८२ और ८४ . . २६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७०, ७२ से १४० और १४२ . ६२—११९

निधन संबंधी उल्लेख ११९

तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और ४५ के बारे में . १२०

स्थगन प्रस्ताव

(१) आसाम में पाकिस्तानियों का कथित अनधिकृत प्रवेश १२०—२२

(२) पानशेत में मिट्टी के बाध का टूट जाना . . १२२—२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बाढ़ की स्थिति . . १२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १२४—३१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . १३२

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य . १३२

सदस्यों का त्याग पत्र . . . १३३

प्रत्यर्पण विधेयक—पुरःस्थापित . . १३३

शब्दों को निकालने के बारे में १३३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १३४—६२

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन १६३

दैनिक संक्षेपिका १६४—८०

विषय

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, ८ अगस्त १,९६१/ १७ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९४ और ११६ . . . १८१—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से ११५ और ११७ से १५९ . . २०४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३ से २४०, २४२ से ३३७, ३३९ और ३४१ ,से ३४३ . . . . . . २३८—३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर में शुद्धि . . ३३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७६ के उत्तर में शुद्धि . . . ३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३३१—३४

कार्य मंत्रणा समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ३३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ३३४—७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८०—९१

अंक ३—बुधवार, ९ अगस्त १९६१/१८ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६० से १७० . . ३९३—४१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१ से २८५ . . . ४१३—७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ४२०, ४२२ से ५३१, ५३३ से ५४० और ५४२ से ५६३ . ४७३—५५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५५९—६५

चीनी की स्थिति तथा निर्यात पर नोट के बारे में . . ५६५

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पच्चासीवां प्रतिवेदन ५६५

विदेशी मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य तथा विदेशी सहायता संबंधी विज्ञप्ति . ५६६

तारांकित प्रश्न संख्या १५७८ के उत्तर में शुद्धि ५६६

समितियों के लिये निर्वाचन . . . . ५६६—६७

(१) राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

(२) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प ५६७—९४

पृष्ठ

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ५९४–६१३

खंड २ से २४ . ६१०–११

पारित करने का प्रस्ताव ६११–१३

चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के बारे में चर्चा . ६१३–१९

दैनिक संक्षेपिका ६२०–३८

अंक ४--गुरुवार, १० अगस्त, १९६१/१९ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २८६ से २८९, ३३१, ३४३ और २९० से २९५ ६३९–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३३०, ३३२ से ३४२ और ३४४ से ३७० . ६६३–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५९० और ५९३ से ६९६ ६९८–७५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७५४–५५

आयकर विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य ७५५

विधेयक पुरःस्थापित--

(१) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक . ७५६

(२) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ७५६

संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . . ७५६–५८

खण्ड २ से ६ तथा १ . . ७५८–५९

पारित करने का प्रस्ताव ७५९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ७५८–६७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . ७६८–६९

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७६९–७७

खण्ड २, ३, ४ तथा १ . . . . . ७७७

पारित करने का प्रस्ताव ७७७

प्रसूति लाभ विधेयक--

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव. . ७७७–८५

विषय सूची

	पृष्ठ
चीनी के उत्पादन, वितरण, निर्यात और मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा .	७८५–९४
दैनिक संक्षेपिका	७९५–८०४
अंक ५—शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१/२० श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ से ३७६, ३८२, ३७७ से ३८१, ३८३ से ३८६, ३८८, ३९० और ३९१	८०५–३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३८७, ३८९ और ३९२ से ४२९ .	८३३–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ८८४, ८८६ से ८९५ .	८५१–९३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
यान में जगह देने में इंडियन एयरलाइन्स की विफलता .	९३७–३८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	९३९–४२
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश .	९४२
सिख गुरुद्वारा विधेयक—	९४२
राय	
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन . .	९४२–४३
सभा का कार्य	९४३
ब्रिटेन के योरोपियन आर्थिक समूह में सम्मिलित होने के बारे में वक्तव्य .	९४३–४४
तेल की खोज के लिये प्राकृतिक गैस आयोग तथा फ्रांसीसी पैट्रोल संस्था के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य . .	९४४
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	९४५
दादरा और नगर हवेली विधेयक—पुरःस्थापित . .	९४५
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	९४५–७८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चासीवां प्रतिवेदन	९७८
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	९७९–८६
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	९८६–९८
कार्य मंत्रणा समिति—	
पैंसठवां प्रतिवेदन . . .	९९८
दैनिक संक्षेपिका	९९९–१०१३

पृष्ठ

अंक ६—सोमवार १४ अगस्त, १९६१/२३ श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३१ और ४३३ से ४४२ . १०१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . १०३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ और ४४३ से ५११ . . १०३८–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ९२६, ९२८ से ९५१, ९५३ से १०९९ और ११०१ से ११०७ . . . १०७२—११६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम् में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ११६०–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (सामान्य) १९६१-६२, के बारे में विवरण . ११६३

दो सदस्यों की दोष सिद्धि और जमानत पर उनकी रिहाई . ११६३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर ११६३–६४

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंसठवां प्रतिवेदन . . . ११६४

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ . ११६५—८२

विचार करने का प्रस्ताव ११६५—८१

खंड २, ३ और १ . ११८१—८२

पारित करने का प्रस्ताव . ११८१–८२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ११८२—९३

प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव ११८२—९३

दैनिक संक्षेपिका ११९४—१२०६

अंक ७—बुधवार १६ अगस्त, १९६१/२५ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५१४, ५१६ से ५२३, ५२६, ५२९, ५३०, ५३३ और ५३५ . १२०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५१५, ५२४, ५२५, ५२७, ५२८, ५३१, ५३२, ५३४ और ५३६ से ५६६ . . . . १२३२—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ से १२५५, १२५७ और १२५८ . १२५२—१३१२

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में —	
गोआ के राष्ट्रीय नेता को दी गई यंत्रणा . . .	१३१२–१३
मास्टर तारा सिंह का आमरण अनशन . . .	१३१३–१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय जूट मिल संघ द्वारा सामूहिक रूप से मिलें बन्द करना .	१३१४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१३१४–१५
गोरेश्वर के दंगों के प्रतिवेदन के बारे में	१३१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियास्सीवां प्रतिवेदन . .	१३१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ इकतालीसवां प्रतिवेदन	१३१६
आसाम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१३१६
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	१३१६—५२
दैनिक संक्षेपिका . .	१३५३—६१

अंक ८– गुरूवार, १७ अगस्त, १९६१ / २६ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ से ५६९, ५७१ से ५७३, ५७५, ५७६, ५७८ से ५८१, ५८३, ५८५, ६१८, ५८६, ५९०, और ५९१	१३६३–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७०, ५७४, ५७७, ५८२, ५८४, ५८७ मे ५८९, ५९२ से ६१७ और ६१९ से ६२६ .	१३८८—१४०४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ से १४२४ और १४२६ से १४४२	१४०६—९०
स्थगन प्रस्ताव—	
सोनपुर में गोलीकांड .	१४९०—९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में बार बार बिजली का बन्द हो जाना	१४९२—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
राज्य सभा से सन्देश	१४९४
सभा का कार्य	१४९४
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक—पुरःस्थापित	१४९५
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	१४९५—१५०२
दादरा और नागर हवेली विधेयक	१५०२—१४

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१५०२—१३
खंड २ से १४ तथा १ . . .	१५१४
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१४
प्रत्यर्पण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१४—१८
दैनिक संक्षेपिका	१५१९—२९
अंक ९— शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१ / २७ श्रावण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ से ६४१ .	१५३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६८०	१५५४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ से १६०२	१५७०—१६३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१६३४—३६
राज्य सभा से सन्देश	१६३६
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा-पटल पर रखे गये—	
(१) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक	१६३६
(२) विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक .	१६३६
विशेषाधिकार समिति—	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६३७—३९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१६३९—४१
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१६४२—४३
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१६४३—५०
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासीवां प्रतिवेदन	१६५०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (श्री महन्ती का) पुरःस्थापित	१६५०—५१
लोक प्रतिनिधित्व (अनर्हता निवारण) विधेयक (श्री खुशवक्त राय का) पुरःस्थापित	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन का) पुरःस्थापित . . .	१६५१
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का)	१६५१

विषय	पृष्ठ
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६५१—५३
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार ए० एस० सहगल का)	१६५३—५५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१६५५
खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)	१६५५—६८
विचार करने का प्रस्ताव	१६५५—६८
दैनिक संक्षेपिका	१६६६—८०

अंक १०— शनिवार, १६ अगस्त १९६१ / २८ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६९०, ६९३, ६९४ और ६९६	१६८१—१७०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९२, ६९५, ६९७ से ७२६	१७०१—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १६०३ से १७२४ . .	१७१७—६६
स्थगन प्रस्ताव	१७६६—६८
कथित गुप्तचर का पकड़ा जाना	१७६६—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६८—६९
सभा का कार्य	१७६९
शिशिक्षु विधेयक—पुरःस्थापित	१७६९
विशेषाधिकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७६९—७९
आयकर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७७९—८३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	१७८३
अणुशक्ति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१७८३—८९
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७९०—९७

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, १७ अगस्त, १९६१
२६ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विशाखापत्तनम् में हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*५६७. { श्री यादव नारायण जाधव
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वारियर :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विशाखापत्तनम् में हिन्दुस्तान शिपयार्ड के अंश (शेयर) खरीदे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन अंशों के लिये क्या कीमत दी गयी; और

(ग) क्या इस जहाज कारखाने के प्रशासन के लिए एक निगम बनाने का सरकार का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) १०४.२५ लाख रुपये के मूल्य के शेयरों के लिये ८०.३८ लाख रुपयं।

(ग) जी, नहीं। इसका प्रशासन हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अधीन ही रहेगा।

†श्री यादव नारायण जाधव : अब क्योंकि सरकार ने शेयर खरीद लिये हैं, क्या विशाखापत्तनम् में हिन्दुस्तान शिपयार्ड की गतिविधियां पहले से बढ़ जायेंगी।

†श्री राज बहादुर : शिपयार्ड की अपनी योजना और कार्य का कार्यक्रम है। वह उसके मुताबिक चलता है। अब क्यों कि सिंधिया के शेयर खरीदे गये हैं, इससे इनके कार्यक्रम में कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ेगा।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार द्वारा शेयर लिये जाने के परिणामस्वरूप क्या जहाजों की कीमत कम होने की कोई संभावना है क्योंकि उपभोक्ताओं की प्रमुख शिकायत यही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

1070(Ai) LSD—1.

†श्री राज बहादुर : यार्ड में बने जहाजों की कीमत कई बातों पर निर्भर है। उनमें से एक यह है कि हम कितने हिस्से और सामान विदेशों से आयात करते हैं और मशीनें, उपकरण और अन्य सामान और इंजन देश में बनते हैं या नहीं। इन सभी मामलों में, हमें बहुत हद तक विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक हम डीजल इंजन, अपेक्षित किस्म का इस्पात, प्लेटें, उपकरण, औजार आदि बनाने के लिये उद्योग स्थापित नहीं कर लेते, लागत कुछ अधिक ही होगी। इसको कम करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं।

†श्री यादव नारायण जाधव : क्या इस कला में अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जायेंगे क्यों कि विशाखापत्तनम् में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अन्य शेयर खरीदने का कोई प्रस्ताव है। मैं प्रश्न को बढ़ा कर, कार्यकरण, सामान्य प्रशासन आदि के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार द्वारा शेयर खरीदने के परिणामस्वरूप शिपयार्ड के कार्यकरण में कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और यदि नहीं तो इनके खरीदने का क्या लाभ हुआ ?

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर न दें। इन प्रश्नों का कोई अन्त ही नहीं है। एक प्रश्न आता है और फिर माननीय सदस्य आरम्भ से अन्त तक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। मैं माननीय सदस्यों पर कटाक्ष नहीं करता। एक बार सर वाल्टर स्काट ने कहा था कि उसने नेपोलियन के राज्य के बारे में १८ पुस्तकें लिखी और यदि उसके पास और समय होता तो वह केवल एक पुस्तक लिखता। अतः यदि माननीय सदस्य इसे देखें और अपने आर्डर पेपर पर लिखें जो इन्हें पूछना हो तो प्रश्नों की संख्या कम होगी।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं यह जानना चाहता था कि सरकार द्वारा शेयर खरीदे जाने के परिणामस्वरूप क्या शिपयार्ड के कार्यकरण में कोई सुधार हुआ है।

†अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : ये शेयर बाजार भाव पर खरीदे गये थे या शेयरों के मूल्य पर या मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई न्यायाधिकरण पंचाट नियुक्त किया गया था ?

†श्री राज बहादुर : शेयरों का मूल्यांकन वित्त मंत्रालय के दो विशेषज्ञों द्वारा किया गया जिन्होंने इनके मूल्य के समूचे प्रश्न की जांच की। वास्तव में हमने १०४ लाख रुपयों के शेयरों के बदले केवल ८० लाख रुपये दिये।

इंजन और डिब्बे का उलटा जाना

†*५६८. श्री खुशवक्त राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आसार :
श्री सुबिमन घोष :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर-अहमदाबाद मेल का इंजन व एक डिब्बा भी मनाथ

†मूल अंग्रेजी में

स्टेशन पर १४ मई, १९६१ को उलट गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या था ; और

(ग) इसमें कितने यात्री मरे या घायल हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी रेलवे निरीक्षक की अस्थायी उपपत्तियों के अनुसार, यह दुर्घटना यंत्रों की खराबी के कारण हुई ।

(ग) मारे गये---एक

घायल हुए (मामूली)---सात

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि जो लोग मर गए या जिनके चोटें आयीं उनको मुआवजा दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर न दें । यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री खुशवक्त राय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह बात अनुपूरक प्रश्न के लिये क्यों रखी ? यदि उन्होंने यह प्रश्न पूछा होता तो इसके लिये मंत्री महोदय तैयार होकर आते । मूल प्रश्न यह है कि क्या कोई सख्त चोटें आयीं और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है । मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । केवल इस लिये कि एक दुर्घटना हुई है, इस बारे में हजारों प्रश्न पूछे जा सकते हैं परन्तु वह क्षतिपूर्ति के बारे में पूछते हैं । क्या आपका यह मतलब है कि वह चुप बैठे रहेंगे ? यदि अन्य घायलों को मुआवजा मिलेगा, तो इनको भी मिलेगा ।

†**श्री खुशवक्त राय** : जो घटना घटी, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : गाड़ी के उलट जाने के बारे में हजारों प्रश्न पूछे जा सकते हैं । क्या इसकी जांच की गयी थी ? इसको ट्रैक पर क्यों जाने दिया गया ? क्या ट्रैक खराब था ? ये सब प्रश्न पूछने के बजाय माननीय सदस्य क्षतिपूर्ति के बारे में प्रश्न पूछते हैं । वे निश्चय ही नियमानुसार क्षतिपूर्ति देंगे ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि यह दुर्घटना यंत्रों की खराबी के कारण हुई । क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है और सरकार को यह संतोष हो गया है कि जब गाड़ी चली तो इंजन और डिब्बे ठीक थे ? क्या गाड़ी निरीक्षक की रिपोर्ट को बिल्कुल ठीक समझा गया या इंजन और गाड़ी को कुछ यंत्रों की खराबी के बावजूद जाने की आज्ञा दी गयी ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : ऐसा प्रतीत नहीं होता कि चलते समय इंजन में कोई खराबी थी । फिर भी, यह जांच का विषय है । रेलवे निरीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है :

> "साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह देखा गया कि गाड़ी के इंजन का एक पहिया बाहर निकल गया और जब तक यह निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचा, पटरी से नीचे की स्थिति में चलता रहा ....."आदि

इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आरम्भ से ही इस दशा में चला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि विमान के सम्बन्ध में ऐसा हो जाये, तो क्या हो ? केवल क्यों कि यह पटरी पर चलता है, क्या इसकी जांच नहीं की गयी थी ? इसको पटरी पर लाने से पूर्व क्या इसका निरीक्षण नहीं किया गया था ? यकायक कैसे एक टुकड़ा दूसरे से पृथक हो सकता है ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : गाड़ी चलने से पहले निरीक्षण किया जाता है। परन्तु चलते रहते समय कुछ भी हो सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अचानक कैसे हो सकता है ? यह आश्चर्यजनक बात है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : मैंने एक विशिष्ट बात पूछी थी । वहां पर गाड़ी निरीक्षक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गाड़ी चलने के समय की उनकी रिपोर्ट मांगी गयी ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उनका इंजन से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कार्य यंत्रीकृत कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : गाड़ी निरीक्षक यंत्रीकृत रूप से अर्ह व्यक्ति हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न यह है कि इसको पटरी पर लाने से पूर्व क्या इसका निरीक्षण किया गया था और यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या लिखा है ? यदि इसका निरीक्षण नहीं किया जाता तो क्या वे यह समझ लेते हैं कि यह बिल्कुल ठीक है ? इसमें क्या सावधानी बरती जाती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इंजनों का निरीक्षण किया जाता है और फिर उन्हें लाइन पर रखा जाता है । यह दैनिक दिनचर्या है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक इसका सम्बन्ध है, क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तैयार होकर क्यों नहीं आये हैं ? यह सम्बन्धित प्रश्न है । मैंने दो माननीय सदस्यों को यह कह कर नाराज़ किया कि उनके प्रश्न सम्बन्धित नहीं हैं। परन्तु इसी प्रकार मंत्री महोदय को सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने के लिये भी तैयार रहना चाहिये ।

† **श्री बाजपेयी** : क्या यह यंत्रीकृत खराबी किसी रेलवे कर्मचारी की गलती का कारण है ? क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस सब की जांच की जायेगी ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या यह इंजन भी उन इंजनों में से है जो बहुत पुराने हो चुके हैं और बदले नहीं जा सके हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : 'पुराने'[1] शब्द के बारे में माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति है। 'पुराने' का मतलब यह नहीं है कि इंजन बेकार हो गया। रेलवे इंजनों के लिये अवधि निर्धारित है ।

†**एक माननीय सदस्य** : यह क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Overage.

†**श्री जगजीवन राम :** यह ३० वर्ष भी हो सकती है और ४० वर्ष भी और ४५ वर्ष भी। परन्तु उस अवधि के बीतने के बाद भी यदि इंजन अच्छी हालत में हो, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। केवल इसके इस्तेमाल न किये जा सकने के बाद ही इसको बेकार समझा जाता है और फिर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अतः हम कई पुराने इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत में हार्ट फाउन्डेशन

†*५६९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगों के बारे में अनुसन्धान करने के लिये भारत में कोई 'हार्ट फाउन्डशन' स्थापित किया गया है या निकट भविष्य में स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके गठन का ठीक स्वरूप क्या है और उसके कार्य का क्या ढंग है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने उसकी स्थापना में किसी प्रकार दिलचस्पी ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसने किस प्रकार सहयोग दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) भारत सरकार को पता है कि हृदय रोग के बारे में अनुसन्धान करने के लिये एक 'इण्डियन हार्ट फाउन्डेशन' स्थापित किया जा रहा है।

(ख) इस फाउन्डेशन के शीघ्र ही भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किये जाने की आशा है।

(ग) और (घ). अभी तक भारत सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी गयी है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस योजना की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना किसी प्रायवेट अभिकरण ने बनायी है ?

†**श्री करमरकर :** गैर-सरकारी अभिकरण का मतलब क्या है वे लोग जो सरकार की नौकरी में हैं या सरकार की नौकरी से बाहर हैं, प्रायवेट का मतलब है गैर-सरकारी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि भारतवर्ष में जो हृदय के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और विशेष रूप से हार्ट फेल हो जाने से जो मृतकों की संख्या बढ़ रही है, उसका क्या कारण है ?

श्री करमरकर : हार्ट फेलयोर से मरने वालों की संख्या में इतनी वृद्धि नहीं हुई है कि जो चिन्ताजनक हो। वैसे आजकल पता यह लगता है कि जहां भीड़ होती है खास तौर से शहरों में या जिनको स्ट्रेंस आफ लाइफ होता है उनमें यह हार्ट डिजीज और हार्ट फेलयोर के केसेज ज्यादातर होते हैं लेकिन आम तौर से अपने लोगों के हार्ट्स साउन्ड हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। यहां भी हम प्रश्न से परे जा रहे हैं। मूल प्रश्न यह नहीं है कि हृदय रोग पर कैसे नियंत्रण किया जाये। प्रश्न यह है कि क्या एक विशेष संस्था रजिस्टर्ड की जा रही है, यह गैर-सरकारी है या सरकारी। यह पूछा जा सकता है कि सरकार इसको स्वयं

---

†मूल अंग्रेजी में

क्यों नहीं करती । माननीय सदस्य हृदय रोग के बारे में प्रश्न पूछते हैं । एक पूर्व अवसर पर मंत्री महोदय बता चुके हैं कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह स्ट्रेस अगैर स्ट्रेंस के कारण है । वही प्रश्न फिर पूछने का क्या लाभ है । जब तक माननीय सदस्य मूल प्रश्न तक ही सीमित नहीं रहेंगे और केवल सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं सभी प्रकार के अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस हार्ट फाउन्डेशन की स्थापना मे इस बात का भी पता लगाया जायेगा कि जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया था कि अगर ज्यादा मात्रा में वनस्पति घी का इस्तेमाल किया जाये तो लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है, तो इस बात के बारे में भी क्या वहां पर जांच पड़ताल की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वनस्पति के बारे में मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री करमरकर :** उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह प्रश्न हार्ट फाउन्डेशन और उसके कृत्यों के सम्बन्ध में है । मैंने बताया कि यह हृदय रोगों को रोकने के एशन समेत हृदय रोगों के बारे में अनुसन्धान करेगी । माननीय सदस्य मेरे से यह बात पूछना चाहते हैं जो हार्ट फाउन्डेशन से सम्बन्धित नहीं है । परन्तु जहां तक वनस्पति के प्रभाव और हृदय रोगों का सम्बन्ध है, अमरीका और अन्य स्थानों के हृदय विशेषज्ञों की राय में चर्बी बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ के अधिक खाने से हृदय रोग हो जाता है ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन लोग इस हार्ट फाउन्डेशन की स्थापना कर रहे हैं और सरकार स्वयं इस तरह के फाउन्डेशन की संस्थापना में क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही है ?

श्री करमरकर : जब आगे सामने एक चीज आ जायेगी तो जरूर दिलचस्पी लेंगे । अभी तो एक डाक्टर ह्वाइट अमरीका से आये थे । उनकी मौजूदगी का फायदा उठा कर यहां के हार्ट स्पेलिस्ट्स की जो एक असोसियेशन है उसने एक छोटी सी इसके वास्ते एक कमेटी बनाई जिसमें इसकी चर्चा हुई । हम इंतजार कर रहे हैं । जब वहां ठीक से काम चलेगा और सरकार मुनासिब समझेगी तब वह उसमें जरूर दिलचस्पी लेगी और जो कुछ संभव हो सकेगा उसमें सहायता भी देगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस फाउंडेशन में जिस प्रकार के अनुसन्धान किये जायेंगे क्या वे इस समय भारत में किसी अन्य संस्था में किये जा रहे हैं ?

†**श्री करमरकर** जी, हां । उदाहरणत: हमारे एक गण्यमान्य प्रोफेसर लेडी हार्डिग मेडिकल कालिज की डा० पद्मावती ने जो अनुसन्धान किया वह हृदय रोगों के होने के बारे में था और उन्होंने इस विषय में अच्छा कार्य किया है । विभिन्न स्थानों पर भी विभिन्न प्रकार के अनुसन्धान किये जा रहे हैं । फाउन्डेशन की स्थापना इसलिये की जा रही है कि इस दिशा में सभी प्रयत्न एकत्र हों ताकि संभवत: सरकार के सहयोग से हम घटनाओं और उपचार दोंनों के बारे में हृदय रोग के अध्ययन के सम्बन्ध में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में जेल की उपलब्धि

†

†*७१. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नेकराम नेगी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के शुष्क भाग में भूमिगत जल का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). अभी कोई अनुमान लगाना संभव नहीं है क्यों कि समन्वेषण कार्य अभी जारी है। अब तक जिन क्षेत्रों का समन्वेषण किया गया है उनमें जैसलमेर ठीक जंचता है । तथापि, भूतत्ववेत्ताओं ने १८ अन्य स्थानों के छिद्रण की सिफारिश की है ताकि उत्पादित क्षेत्रों का सीमांकन किया जा सके । ये अब तक छिद्रण किये गये १५ स्थानों और चन्दन के आस-पास छिद्रण किये जा रहे १० स्थानों के अतिरिक्त होंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां ड्रिलिंग जो हुई है वह सक्सैसफुल हुई है कि नहीं और वह एग्रीकल्चर के वास्ते एकोनामिकल होगी या नहीं ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : पानी की उपलब्धता निर्धारित करने में कुछ समय लगता है । भूमिगत जल के बारे में कोई भी तत्काल निर्णय नहीं कर सकता । हमें आंकड़ों का अध्ययन करना है । भूतत्ववेत्ता और जल-वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के बाद ही कोई निर्णय किया जायेगा ।

†श्री दामानी : अब तक इस योजना पर कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह प्रिविधिक सहयोग मिशन और भारत सरकार सहयोग के अन्तर्गत बड़ी समन्षणात्मक नलकूप परियोजना का एक भाग है । समूची योजना का हिसाब लगा लिया गया है । यदि माननीय सदस्य योजना की सारी लागत के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं जानकारी दे सकता हूं परन्तु मैं माननीय सदस्य से एक पृथक प्रश्न पूछने की प्रार्थना करूंगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि राजस्थान में एक स्वायत्तशासी भूमिगत जल बोर्ड है, यदि हां, तो इस बारे में एक सामान्य कार्यक्रम के लिये उस बोर्ड के कार्य और केन्द्रीय सरकार की गतिविधियों का किस प्रकार समेकन किया जायेगा ?

†श्री मो० व० कृष्णप्पा : राजस्थान का स्वायत्तशासी भूमिगत जल बोर्ड और हमारी समन्वेषणात्मक नलकूप परियोजना पूरी तरह अपने काम का समेकन करती हैं और उन्हीं के परामर्श पर हम कार्य करते हैं । कार्य का समन्वेषण कार्य भारत सरकार की समन्वेषणात्मक नलकूप परियोजना द्वारा किया जाता है और उत्पादन कुएं राजस्थान की उस संस्था द्वारा खोदे जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : पानी महाराज के बारे में क्या हुआ जिनकी सेवायें केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त की थीं और उन पर रुपया भी खर्च किया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह काफी समय पूर्व गायब हो गया ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जब श्री किदवई आये तो उन्होंने पानीवाला महाराज को बर्खास्त कर दिया ।

†**श्री कासलोवाल** : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से पता चलता है कि १५ नलकूप ठीक काम कर रहे हैं और १० नहीं कर रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये १५ यूनिट सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं क्योंकि यह पता लगा है कि जैसलमेर में, जहां ये दस कुएं अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं, एक भूमिगत नदी बह रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मेरा उत्तर यह नहीं था कि ये १५ कुएं ठीक काम कर रहे हैं । मैंने कहा था कि समन्वेषणात्मक कार्य के भाग के रूप में प्रथम परियोजना १५ नलकूप राजस्थान, जोधपुर बीकानेर आदि के छः जिलों में १५ स्थानों पर खोदने की थी । इन जिलों में से चन्दन सर्वाधिक आशा-प्रद पाया गया है । हमने जैसलमेर जिले में १० और कुएं खोदे हैं और उनमें सफलता मिलती प्रतीत हुई है । वहां भूमिगत नदी होगी परन्तु इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मन्त्री महोदय उन क्षेत्रों के बारे में कुछ बता सकते हैं जहां वह समझते हैं कि वहां पर विशेषतः बारमेर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल मिलने की सम्भावना है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : कोई अन्तिम निर्णय करना तो भूतत्ववेत्ताओं और जल-वैज्ञानिकों का काम है परन्तु एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से, जिसे थोड़ा सा अनुभव है, मैं कह सकता हूं कि जैसलमेर जिले में तत्व हैं क्योंकि वहा पर दस कुओं में से आठ सफल हुए हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में एक भी सफल नहीं हुआ है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं उपमन्त्री महोदय के व्यक्तिगत विचार जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय का कहना है कि प्रतीक्षा कीजिये और विशेषज्ञों की रिपोर्ट पढ़िये । उनसे फिर पूछने का क्या मतलब है । उपमन्त्री महोदय जैसलमेर के तो नहीं हैं । माननीय सदस्य राजस्थान के हैं । वे किसी अन्य व्यक्ति से क्यों पूछते हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं उनकी वैयक्तिक राय नहीं चाहता । मैं मन्त्री महोदय से कहीं अधिक जानता हूं । वह ठीक है । परन्तु मैंने सोचा . . . . . .

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे विशेषज्ञों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर के पास गाड़ी में डकैती

†*५७२. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री से० अ० मेहदी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ मई, १९६१ को कानपुर के पास चलती गाड़ी में डाका पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये रेलवे ने क्या कार्यवाही की ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री स० वे० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले का पता लगाने के लिये गहन रूप से पुलिस छानबीन कर रही है और इस क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों के स्थानों पर कई छापे मारे गये जिसके परिणामस्वरूप अभी तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या इस मामले में कोई जनहानि भी हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई जन-हानि नहीं हुई ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या इस प्रकार की घटना की आवृत्ति रोकने के लिये क्या कोई विशेष पग उठाये गये हैं ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : सामान्यतः सभी सावधानी बरती जाती हैं। यह एक अपवाद वाला मामला है जहां चार व्यक्ति गाड़ी में चढ़ गये और उन्होंने यात्रियों पर आक्रमण कर दिया।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपमन्त्री महोदय ने यह कहा है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से दल में अन्य तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के पास से उस सामान में से कुछ मिला है जो आक्रमणकारी ले गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी कुछ नहीं मिला है ।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि कानपुर और शिकोहाबाद के बीच में इस रेलवे का ऐसा विभाग है, जिसमें अक्सर इस तरह की डकैतिया पड़ा करती हैं, अक्सर गुंडे लोग यात्रियों को तंग किया करते हैं ? तो क्या आम तौर से इस समस्या को हल करने के लिये सरकार की ओर से कोई विशेष व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसे मामलों में यह मुश्किल पेश आती है कि जहां कुछ पैसेंजर चलें और उनके साथ दूसरे पैसेंजर भी चलें, तो सभी पैसेंजर और स्टाफ के लोग यही समझते हैं कि पैसेंजर जा रहे है और बाद में वहा कोई ऐसी वारदात हो जाती है, तो इस बारे में क्या किया

†मूल अंग्रेजी में

जाये, हर एक डिब्बे में क्या इन्तजाम हो सकता है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे एरिया में, उस इलाके में जो सरनाम गुंडे हैं और दूसरे इस तरह के लोग हैं, उनके पीछे स्टेट सरकार की पुलिस लगी हुई है और छानबीन कर रही है। जब इस तरह की वारदात होती है, तो हम लोग प्रान्त की सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि उस इलाके में जब तक काफी छान-बीन न हो, उनकी रोक-थाम नहीं हो सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सामान्य प्रश्न है जो बहुधा आता रहता है। माननीय सदस्य इस बारे में ब्यौरा पूछ सकते हैं कि इस मामले में क्या हुआ और क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मन्त्री महोदय ने एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में राज्य सरकारों और रेलवे की पुलिस में आपसी सहयोग रहा है या नहीं क्योंकि रेलवेज में डकैतियों का कारण यह है कि राज्य सरकारों की पुलिस ठीक सहयोग नहीं दे रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार क्या करने जा रही है।

श्री जगजीवन राम : जो भी पुलिस हमारे पास है, वह राज्य सरकारों की ही पुलिस है। राज्यों की पुलिस ही यह सब काम करती है। जब इस तरह की कोई वारदात होती है, तो उनके यहां हमको वह केस रजिस्टर करना पड़ता है। उसका इन्वेस्टीगेशन भी उनको करना पड़ता है। इसमें आपसी सहयोग का सवाल नहीं होता है। सारी जिम्मेदारी उनकी होती है।

†**श्री बालकृष्णन्** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे यात्री जिनकी सम्पत्ति डकैती में चली गयी, रेलवे बोर्ड से कुछ क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रथम तो डाकुओं का पता चले। फिर क्षतिपूर्ति का प्रश्न उठ सकता है।

दिल्ली में आंत्र-शोध रोग

†*५७३. { **श्री बी० चं० शर्मा** : +
श्री नवल प्रभाकर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस गर्मी में आंत्र-शोध (गैस्ट्रो-एन्टराइटिस) रोग महामारी के रूप में फैल गया था;

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले छै महीनों में इस रोग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जल दूषण को रोकने के लिये, केवल वही पानी नहीं जो जल संभरण अभिकरणों द्वारा संभरित किया जाता है परन्तु दिल्ली में जनता द्वारा पिये जा रहे अन्य प्रकार के पानी भी, क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक जल दूषण के मुख्य स्रोत, नजफगढ़ नाले का सम्बन्ध है, जैसा सदन को ज्ञात है, इसके बहाव को मोड़ने और जहां यह नदी में गिरता है, वहां नहर के किनारे को शुद्ध करने के लिये सभी कदम उठाये जा रहे हैं । जल दूषण के अन्य स्रोतों के बारे में मैं ठीक नहीं समझा कि माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है । यदि उनके पास कोई सुझाव हैं, तो वह हमें दे सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : लोग हैंड-पम्पों और अन्य साधनों से पानी लेते हैं । क्या सरकार हैंड-पम्पों पर भी निगरानी रख रही है ताकि साफ पीने का पानी सुनिश्चित किया जा सके ?

†**श्री करमरकर** : सामान्यतः जहां कहीं साफ पानी उपलब्ध है, नगरपालिका अधिकारी हैण्ड-पम्पों को, जहां कहीं नितान्त आवश्यक हो, उसको छोड़ कर प्रोत्साहन नहीं देती । जहां पानी हैण्ड-पम्पों से लिया जाता है, पानी का परीक्षण करने और उस बारे में जनता को चेतावनी देने के बारे में उपाय किये जाते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बयान में बताया गया है--

> "खाद्य पदार्थ स्वच्छता छापा दल और सैनिटरी इन्सपेक्टरों द्वारा गन्दे खाद्य पदार्थों और पेय की बिक्री पर गहन रूप से निरीक्षण किया जाता है"

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सैनिटरी इंस्पक्टर्ज़ और हैल्थ विभाग के दूसरे लोगों की क्या राय है कि यहां पर बीमारी के जर्म्ज़ पाये जाते हैं, क्योंकि अभी आज के अख़बार से मालूम हुआ है कि ओखला के पानी से बीमारी पैदा हो सकती है ।

श्री करमरकर : जी हां, ओखला में जो पानी है, वह अपवित्र है । उसको आज-कल हाई क्लोरीनाइज़ेशन से प्योरिफ़ाई करते हैं । वहां के पानी के बारे में अभी संतोषजनक व्यवस्था नहीं है, जो कि आम तौर पर दिल्ली के पानी के बारे में है । उस को सुधारने के बारे में भी प्रयत्न चल रहे हैं । जो पानी नदी में से आता है, वह शुद्ध ही होता है--जब ज्यादा क्लोरीनाइज़ेशन करते हैं, तो वह शुद्ध हो जाता है ।

†**श्री तंगामणी** : विवरण से पता चलता है कि जनवरी से जून तक २१ व्यक्ति मरे । मैं यह जानना चाहता हूं कि छः महीनों की अवधि में सरकार को आंत्र-शोध के कितने मामलों का पता लगा । जुलाई, १९६१ में स्थिति कसी रही ? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पिछले वर्ष यह वर्षा ऋतु में, विशेषतः जुलाई, अगस्त और सितम्बर में महामारी के रूप में फला ।

†**श्री करमरकर** : सामान्यतः इसी अवधि में ये रोग महामारी का रूप धारण कर लेते हैं । वर्षा काल में खाद्यान्न से और पानी से होने वाली बीमारियां अधिक होती हैं । अतः वर्षा ऋतु में हमें अतिरिक्त उपचारात्मक उपाय करने होते हैं । मैं ठीक से सुन नहीं सका कि पिछले वर्ष के बारे में उन्होंने क्या कहा ।

†**श्री तंगामणि** : पहले छः महीनों में कितने मरीजों की खबर लगी ? विवरण में केवल मृत्यु के आंकड़े दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में -

†**श्री करमरकर** : वह जानकारी निगम ने हमें नहीं दी है । मैं इसको बहुत शीघ्र प्राप्त करूंगा और सभा पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री कालिका सिंह** : मंत्री महोदय ने किस तरीके से आंत्र-शोध और हैजा में अन्तर किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय डाक्टर नहीं हैं ।

†**श्री करमरकर** : जहां तक मैं समझता हूं आंत्र-शोध एक लैटिन शब्द है अथवा मिश्रण है । इसका मतलब है कि पेट में कोई खराबी है । जब पाखाने का निरीक्षण किया जाता है और यह पाया जाता है कि उसमें हैजे के कीड़े हैं तो उसे हैजा कहा जाता है । अतः पेट की सभी शिकायतें हैजा नहीं होतीं ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या आंत्र-शोध के रोगियों को निरीक्षक के पास यह पता लगाने के लिये भेजा जाता है कि यह हैजे का रोग है या आंत्र-शोध का ?

†**श्री करमरकर** : कई मामलों में ऐसा किया जाता है । मैं यह नहीं कह सकता कि यह सभी मामलों में किया जाता है । संक्रामक रोग अधिनियम के अधीन आंत्र-शोध के प्रत्येक रोगी के बारे में रिपोर्ट देनी होती है । जब वह अस्पताल जाता है तो यह पता लगाने के लिये उसका परीक्षण किया जाता है कि वह हैजे से पीड़ित है या आंत्र-शोध से परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि सभी मामलों में ऐसा किया जाता है ।

†**श्री नंजप्पा** : मंत्री महोदय ने बताया है कि यह रोग सामान्यतः वर्षा ऋतु में होता है । परन्तु इस रिपोर्ट के अनुसार यह गर्मी में भी होता है । अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दिल्ली में इसके मौसमी होने के बारे में कारणों का पता लगाया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मेरा उत्तर इतना निश्चित नहीं था जितना होना चाहिये था । जहां आंत्र-शोध रोग के होने की परिस्थितियां मौजूद हैं, वहां यह किसी भी समय हो सकता है । यदि कोई व्यक्ति खाने में बड़ा लापरवाह है अथवा गंदे खाद्य-पदार्थ खाता है, यह रोग विश्व के किसी भी भाग में किसी भी महीने और किसी भी दिन हो सकता है ।

पश्चिम रेलवे के अजमेर केन्द्रीय कार्यालय में आग

+

†*५७५. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ मई, १९६१ को पश्चिम रेलवे के अजमेर केन्द्रीय कार्यालय में आग लगने के कारणों का जांच द्वारा पता लगाया गया है;

(ख) कितना नुकसान हुआ; और

(ग) क्या उसमें किसी उपद्रव का संदेह है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी, हां । यह अनुमान लगाया गया है कि इस आग के कारण १९,४६२.८९ रुपयों की हानि हुई ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या आग लगने के कारणों का पता लगा लिया गया है ? यह कैसे लगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, हां । पांच व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गयी थी । रिपोर्ट यह है कि यह आग किसी गुजरने वाले व्यक्ति द्वारा असावधानी से जली हुई सिगरेट फेंकने के कारण लगी । एक विभिन्न नोट भी है । एक सदस्य का कहना है कि यह आन्तरिक बिजली के तारों के शार्ट सर्किट के कारण लगी और दूसरे व्यक्ति का कहना है कि यह अधिक गर्मी के कारण लगी । परन्तु पुलिस का ख्याल है कि यह आन्तरिक बिजली के तारों के शार्ट सर्किट के कारण लगी ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या ये सब व्यक्ति विशेषज्ञ हैं और यदि नहीं, तो उन्हें जांच समिति में कैसे रखा गया ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं नहीं समझता कि विशेषज्ञों से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है । स्पष्टतः वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बारे में कुछ जानते हैं और इसीलिये उनको रखा गया ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इस बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमें रिपोर्ट अभी मिली है । हम उसका अध्ययन कर रहे हैं ।

जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत

†*५७६. **श्री हेम बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज निर्माण तथा जहाज की मरम्मत सम्बन्धी सहायक उद्योगों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए बम्बई और कलकत्ते में दो स्थानीय मंत्रणा समितियां बनायी जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). बम्बई और कलकत्ता में अभी दो स्थानीय मंत्रणा समितियां नहीं बनायी गयी हैं क्योंकि दोनों मंत्रणा समितियों में कुछ गैर-सरकारी हितों से नाम-निर्देशन अभी प्रतीक्षित हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इन समितियों की स्थापना में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है क्योंकि एक अन्य अवसर पर यह कहा गया था कि इन समितियों को स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम ने यह उचित समझा कि इन समितियों में उन गैर-सरकारी संगठनों का भी प्रतिनिधान हो जो इस सुविधा से लाभ उठायेंगे । वे निकाय हैं, हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी, हावड़ा; शालीमार वर्क्स, हावड़ा; शिप रिपेयर्स, कलकत्ता; आई० जी० एन० रेलवे वर्क्स कलकत्ता आदि । उनके अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने को कहा गया है और मुझे आशा है कि वह कार्य शीघ्र ही कर दिया जायेगा और समितियां बना दी जायेंगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को सहायक उद्योगों के बारे में कुछ पता है कि वे जहाज निर्माण उद्योग के साथ मिल कर स्थापित करना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : सहायक उद्योगों सम्बन्धी एक मंत्रणा समिति नियुक्त की गयी थी। उन्होंने समूचे प्रश्न की जांच की है और अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने उन विभिन्न स्थानों के नाम भी बताये हैं जहां यह कार्य आरम्भ किया जा सकता है। अतः समिति के ही विचार हैं। अन्यथा भी नावांगण प्रबन्धकों को पता है कि कौन से सहायक उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं और किये जाने चाहियें।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि सिफारिशों समेत एक अन्तरिम प्रतिवेदन है जो सरकार को सहायक उद्योगों के बारे में कुछ बातें बताता है, दो अन्य स्थानीय मंत्रणा समितियों का, एक बम्बई में और दूसरी कलकत्ता में, क्या कृत्य होगा ?

†**श्री राज बहादुर** : उपक्रमियों से सहायक चीजों के लिये सभी प्रकार के उत्पादन करने को कहने की बात नहीं है। इन समितियों के कृत्य एक ओर तो स्थानीय उपक्रमियों अथवा अन्य लोगों को यह बताना होगा कि कौन से उद्योग आरम्भ किये जा सकते हैं और दूसरी ओर मुख्य निकाय को समय-समय पर की गयी प्रगति और किये गये अथवा किये जाने वाले अन्य पगों के बारे में मंत्रणा देना है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या ये दो मंत्रणा समितियां स्थायी होंगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मंत्रणा समिति स्थायी समिति नहीं होती है परन्तु वह समिति होती है जो तब तक कार्य करती रहेगी जब तक इसकी आवश्यकता रहेगी।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : अभी मंत्री महोदय ने कुछ फर्मों के नाम बताये जिनके साथ व नाम निर्देशन के बारे में पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे पृथक रूप से इन फ़र्मों के साथ बातचीत कर रहे हैं अथवा वे कार्मिक संघों से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने समझा कि सहायक उद्योग स्थापित करने के इस मामले में उपभोक्ताओं अथवा उत्पादकों के कुछ संगठन लाभप्रद होंगे। अतः हमने उनका नाम बताया। सम्बन्धित विभिन्न निकायों के साथ परामर्श किया गया है और परिणाम स्वरूप सिफारिशें की गयी हैं।

†**श्री दामानी** : समिति में कुल कितने सदस्य होंगे और क्या इस समिति में सहायक उद्योगों के निदेशक को मनोनीत किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसाकि नावांगण महा-निदेशक ने सुझाव दिया है, सदस्यों की कुल संख्या १६ है। इसमें वित्त मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय, कलकत्ता पत्तन आयुक्त, बम्बई पत्तन न्यास के प्रतिनिधि, नावांगण महा-निदेशक और अन्य गैर-सरकारी सदस्य हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इन समितियों का अन्तिम रूप से गठन हो जाने के बाद क्या इन समितियों को उस क्षेत्र में किसी गैर-सरकारी डोकयार्ड और जहाज निर्माण फ़र्मों को, जिनकी सहायक उत्पादन की क्षमता है, अपने हाथ में लेने की संभावना का अध्ययन करने को भी कहा जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह इन समितियों के कृत्यों की परिधि से बाहर की बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विजयवाडा-गुडूर सेक्शन में दोहरी लाइन बनाना

+

†*५७८. **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाडा और गुडुर के बीच १९६१-६२ में कुल कितने मील दोहरी लाइन बनायी जायगी ;

(ख) जून, १९६१ में विजयवाडा में औसतन कितने माल डिब्बे आये-गये ; और

(ग) १ अप्रैल से ३० जून, १९६१ तक की अवधि में कुल कितने मील दोहरी लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ४३ मील ।

(ख) १२२६ वैगन प्रतिदिन ।

(ग) २४ मील ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं कि विजयवाडा-गुडुर के बीच दोहरी लाइन बनाने की परियोजना दूसरी योजना के लिए निर्धारित थी ? मैं जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ९३ मील का जो कार्यक्रम बनाया गया था उसमें से हमने ८७.५ मील लाइन दोहरी कर दी है। शेष ५.५ मील भी बन कर तैयार हो चुकी है। परन्तु हमारे पास गर्डरों की कमी है और उनकी ही हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मिल जाने पर इसको पूरा कर दिया जायेगा। आशा है कि यह इस महीने के अन्त तक बन कर पूरी हो जायेगी ।

†**श्री तंगामणि** : क्या मद्रास तक यह लाइन दोहरी करदी जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी नहीं ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या इस लाइन को दोहरा बनाने की भी कोई योजना थी, जिसको अब हटाकर इसके स्थान पर दूसरी योजना बनाली गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसको समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विजयवाडा-गुडुर के बारे में है जो ९३ मील में से ८७.५ मील बन चुकी है ।

कलकत्ता बन्दरगाह के लिए सक्शन ड्रेजर

†*५७९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में खरीदे गये सक्शन ड्रेजर (तलकर्षण यंत्र) ने कलकत्ता बन्दरगाह में काम करना शुरू कर दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह ड्रेजर किस दाम पर खरीदा गया था ;

(ग) मिट्टी निकालने की उसकी क्षमता कितनी है ; और

(घ) क्या किसी और सक्शन ड्रेजरों (तलकर्षण यंत्रों) के लिए आर्डर दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां। १९ जुलाई १९६१ को ड्रेजर ने काम करना शुरू कर दिया था।

(ख) सीमा शुल्क के अतिरिक्त १६०.७ लाख रुपये।

(ग) ड्रेजर में एक पम्प लगा हुआ है जो प्रति घंटा ५००० टन रेत, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण बाहर फेंक सकता है। ड्रेजर की 'होपर' क्षमता ३००० टन है ।

(घ) जी नहीं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण में यह बताया गया है कि 'सक्शन ड्रेजरों' के और आर्डर नहीं दिए गए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अन्तिम 'सक्शन ड्रेजर' जो १६० लाख रुपये में खरीदा गया है, पुराने ड्रेजरों के साथ हगली में नौवहन कराने में सफल हो सकेगा क्योंकि हाल में ही इसमें डाफ्ट गिर पड़ा था ?

†**श्री राज बहादुर** : कलकत्ता बन्दरगाह के लिए 'ड्रेजिंग फ्लीट' बनाने से पहले हमारे पास चार सक्शन ड्रेजर 'बलारी, गंगा, जालेंत्री तथा भगीरथी थे। हमने हाल में ही एक 'सैकन्ड हैंड' ड्रेजर 'माहटीना' खरीदा है तथा 'चुरनी' भगीरथी को ही सुधार कर बनाया गया है जिससे इस के द्वारा 'सिल्ट' को किनारे पर पहुंचा सके । इसके अतिरिक्त हमारा विचार तृतीय योजना अवधि में नदी के मुहाने के रेत को हटाने के लिए दो और 'सक्शन ड्रेजर' मंगाने का है। हमारा यही कार्यक्रम है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस ड्रेजर में क्या इस प्रकार की व्यवस्था है कि रेत और मिट्टी आदि को किनारे पर फेंक दे अथवा इसका उपयोग केवल इसलिए किया जायेगा जिससे यह मिट्टी आदि नदी मे ही कहीं पर डालदी जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : ऐसी व्यवस्था इसमें है परन्तु यह विशेषज्ञों पर निर्भर करता है कि वह जैसा उचित समझे वसा करे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : रेतीले गारे को बाहर निकालने के लिये योजना बनाने की आवश्यकता है। क्या ऐसी कोई योजना बना ली गई है अथवा विचाराधीन है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि इस मामले की ओर पत्तन अधिकारियों का ध्यान है। मुझे विश्वास है कि मरम्मत का वह पूरा लाभ उठायेंगे। जहां पर यह रेतीला गारा डाला जायेगा, मैं नहीं जानता कि वह स्थान निश्चित कर लिया गया है परन्तु मैं समझता हूं कि इसका निश्चय कर लिया जायेगा ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : ड्रेडर का किस देश से आयात किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैसर्स साइमन्स एण्ड लाब्नीत्ज लिमिटेड, यू० के० से।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : जब हमारे पास चार पुराने ड्रेजर थे और वह ठीक काम नहीं कर रहे थे तो सरकार ने यह एक और सैकन्ड हेण्ड ड्रेजर क्यों खरीदा ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने यह नहीं कहा कि भगीरथी समेत पहले चार ड्रेजर ठीक नहीं थे। भगीरथी बड़ा अच्छा ड्रेजर है और ठीक काम कर रहा है। सैकण्ड हैंड ड्रेजर तो इसलिये मंगाया था जिससे कठिन मुहानों जैसे बलारी का मुहाना, जिसमें शीघ्रता से रेत भरता जा रहा है, की हालत और अधिक खराब न हो जाये। इसीलिये जल्दी में सैकण्ड हेण्ड मंगाया गया था। हमने इससे काम किया और मैं समझता हूं कि हमारे काम के अच्छे परिणाम निकले हैं।

तीसरी योजना में गांवों में बिजली लगाने के लिये निधि

†*५८०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में बिजली लगाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी निधि रखी गयी है और विभिन्न राज्यों में वह किस प्रकार वितरित की गयी है ;

(ख) इस मामले में कौन-सी कसौटी अपनायी गयी है ; और

(ग) क्या ये रकमें अर्ध विकसित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच गहरा अन्तर कम करने में सहायक होंगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४३]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के आधार पर कि क्या ये रकमें अर्ध विकसित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच गहरा अन्तर कम करने में सहायक होंगी तथा सभा पटल पर रखे गये विवरण के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्तर किस प्रकार कम किया जायेगा ? मद्रास को ३० करोड़ रुपया, महाराष्ट्र को ८ करोड़ रुपया, आंध्र को ६ करोड़ रुपया, पंजाब को ७ करोड़, उड़ीसा को १·५ करोड़ रुपया तथा राजस्थान को १·११ करोड़ रुपया का आवंटन करने से क्या अन्तर कम हो जाने के बजाये बढ़ नहीं गया है।

†**श्री हाथी** : हमें 'जैनेरेटिंग क्षमता' भी तो देखनी है। ग्राम विद्युतीकरण का यह तो मतलब नहीं है कि जैनेरेटिंग क्षमता बढ़ाये बिना गांवों में बिजली लगा दी जाये। इसलिए हमें तो पूरी बातों का ध्यान रखना है। जैनेरेटिंग क्षमता, वितरण तथा ट्रांसमीशन लाइनों की व्यवस्था, प्रति हजार व्यक्ति खपत, बिजली लगाये जाने वाले गांवों की प्रतिशतता आदि।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : या तो माननीय मंत्री मेरी बात समझे नहीं या मैं उन्हें अपनी बात समझा नहीं सका। उन्होंने भाग (ग) के उत्तर में बताया है कि अन्तर कम किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब मद्रास में हम ३० करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं तो राजस्थान में १·११ करोड़ रुपया क्यों व्यय कर रहे हैं जब कि मद्रास की तुलना में राजस्थान के कम गांवों में बिजली है।

†**श्री हाथी** : गांवों में बिजली लगाने की व्यवस्था अलग से नहीं की जा सकती है। हमें बिजली के 'जैनेरेशन' का भी ध्यान रखना है तथा यदि आप पूरी स्थिति को देखें तो पता लगेगा कि इस अन्तर को कम कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रभात कार** : इसके संबंध में तीसरी योजना में पश्चिम बंगाल के लिए ४० लाख रुपये रखे गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल को इतनी कम धनराशि क्यों दी गई है ?

†**श्री हाथी** : योजनायें सामान्यतः राज्य सरकारें बनाती हैं तथा यह योजना में पूरी व्यवस्था-नुसार किया गया है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह आवंटन करने से पूर्व क्या यह पता लगाने का कोई सर्वेक्षण किया गया था कि राज्य सरकारें औद्योगिक अथवा घरेलू कार्यों के लिए देहातों में बिजली का उपयोग कर सकेंगी और यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

†**श्री हाथी** ? राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों की बिजली की मांग का सर्वेक्षण किया था और इसका सामान्य परीक्षण केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा भी किया गया था ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सिचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए ग्राम्य क्षेत्रों को कितने प्रतिशत बिजली दी जाती है ?

†**श्री हाथी** : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ?

श्रीमती सहोदराबाई राय : तीसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के कितने गांवों में बिजली पहुंच जायेगी ?

†**श्री हाथी** : अलग अलग राज्य के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह अंग्रेजी समझती है ।

मैं एक प्रयोग कर रहा हूं । मैंने दो अनुवादकों को शासकीय गैलरी के निकट 'बूथ' में बिठाया है । जब किसी भी सदस्य को भाषा समझने में कोई कठिनाई होगी तो मैं तुरन्त अनुवादक से उसका अनुवाद करने को कहूंगा ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : परन्तु इस मामले में . . .

†**श्री हाथी** : मुझे खेद है । मेरे पास हर एक राज्य के लिए आंकड़े नहीं हैं । उनके लिए नोटिस चाहिए ।

कांडला बन्दरगाह पर निर्माण कार्य

†*५८१. **श्री खीमजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला बन्दरगाह के निर्माण का ठेका पूरा करने के बारे में विकास आयुक्त, कांडला और सिन्धु होशिफ (इंडिया) लिमिटेड के बीच विवाद मध्यस्थ-निर्णय के लिए सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मध्यस्थों के नाम क्या हैं ;

(ग) किस तारीख को मध्यस्थों ने विचार शुरू किया ;

(घ) क्या मध्यस्थों का निर्णय प्रकाशित किया जा चुका है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री(श्री राज बहादुर)** :(क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) (१) श्री एच० पी० मथरानी—सरकारी मध्यस्थ

(२) श्री एफ० सी० बधवार--ठेकेदार का मध्यस्थ

(३) श्री डी० पी० आर कसाड़--ऐम्पायर

(ग) १४ जुलाई १९५८ ।

(घ) और (ङ). मध्यस्थों ने अब तक तीन अन्तरिम पंचाट दिए हैं जिनके अधीन ठेकेदार को उसके ३५ लाख रुपये के दावे के लिए लगभग १५ लाख रुपये मिलेंगे । मध्यस्थों की अब और बैठक हो रही हैं जिसमें वह ठेकेदार को इस मांग पर विचार कर रहे हैं कि मुख्य बन्दरगाह निर्माण-कार्य के पूरा होने में विलम्ब के लिए कांडला पत्तन प्रशासन द्वारा २५ लाख रुपये के प्रतिकर की मांग वापस ली जाये ।

†**श्री खीमजी**: भाग (ग) के उत्तर में बताया गया था कि मध्यस्थों ने १४ जुलाई १९५८ को बैठक करना आरंभ कर दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि निर्णय करने में तीन वर्ष की देरी क्यों लगी ?

†**श्री राज बहादुर** : स्पष्ट है कि विकास आयुक्त तथा ठेकेदारों में विवाद इतनी उलझन वाला था कि उस पर पूरी तरह विचार करना आवश्यक था । इसीलिए इसमें समय लगा । परन्त यह भी याद रखना चाहिए कि मध्यस्थों ने कुछ अन्तरिम पंचाट दिए थे इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस सारे समय में केवल विचार ही होता रहा था ।

†**श्री खीमजी** : वकीलों तथा मध्यस्थों की फीस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर**: उसको तो गिना जायेगा । इस समय मेरे पास नहीं है ।

†**श्री खीमजी**: क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे कि कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे बताया गया है कि उनकी अन्तिम बैठक होने वाली है तथा शीघ्र मामला तय हो जायेगा ।

†**श्री मुरारका** : क्या इस फर्म को दिया जाने वाला धन पूरा पूरा दे दिया गया अथवा मध्यस्थ निर्णय होने तक कोई धनराशि रोक ली गई है ?

†**श्री राज बहादुर**: जिस धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है उसको रोक लिया गया है तथा इसीलिए वह इन आदेशों को वापस लिवाना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : मुलत: इस फर्म पर २५ लाख रुपये का जुर्माना किया गया था । क्या २५ लाख रुपया रोक लिया गया है अथवा थोड़ी सी राशि रोकी गई है ?

†**श्री राज बहादुर**: मैं पूरी धनराशि तो नहीं बता सकता परन्तु ठेकेदारों ने २८,३१,४२१ रुपये मांगे थे जिसमें से मध्यस्थों ने ठेकेदारों को १२,६६,९२४ रुपये देने को कह दिया है ।

†**श्री कासलीवाल** : यह विवाद किस प्रकार का था तथा क्यों हुआ था ?

†**श्री राज बहादुर** : काम पूरा होने में विलम्ब हुआ था । निर्माण कार्य के पूरा किये जाने की तिथि २८ फरवरी, १९५७ थी परन्तु वह काम को इस तिथि से पहले पूरा नहीं कर पाये । इसलिये विकास आयुक्त ने सोचा कि जुर्माने अथवा प्रतिकर का खण्ड लागू किया जाये । उसको लागू किया गया और विलम्ब के लिये २५ लाख रुपयों का प्रतिकर लगा दिया गया । मामला हुआ, जिसके उत्तर में दूसरा मामला हुआ कि विलम्ब ठेकेदार की ग़लती से हुआ अथवा अधिकारियों की ग़लती से हुआ । ऐसे ही विवाद उठ खड़ा हुआ ।

†**श्री तंगामणि** : कांडला पत्तन प्रशासन ने जुर्माने के खण्ड के अधीन २० लाख रुपया प्रतिकर मांगा । क्या यह २० लाख रुपया रोक लिया गया अथवा इसमें से कुछ ठेकेदार को दे दिया गया ।

†**श्री राज बहादुर** : मैंने बताया कि ठेकेदार के २८ लाख रुपये के दावे में से मध्यस्थों ने १२ लाख रुपया दे दिया है ।

†**श्री खीमजी** : कार्यवाही किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री राज बहादुर** : १५ जुलाई, १९५८ से मध्यस्थों ने कुछ बैठकें की हैं। उनकी अब और बैठकें हो रही हैं जो १२ अगस्त, १९६१ तक चलेंगी तथा इस तिथि के बाद भी कुछ दिन तक सुनवाई होती रहे ।

†**श्री खीमजी** : क्या यह सच है कि दोनों मध्यस्थों के पास बहुत काम हैं और उनको मामला सुनने का समय नहीं मिल पाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : उनकी कई बैठकें हुई हैं और उन्होंने कुछ अन्तरिम पंचाट भी दिये हैं । श्री मथरानी अब रिटायर हो गये हैं इसलिये उनके पास अब अधिक काम नहीं हो सकता है ?

†**श्री दामानी** : मध्यस्थ कौन-कौन हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : एक श्री मथरानी है दूसरे श्री कसाड़ हैं । तीसरे का मैं नाम बताने में असमर्थ हूं ।

†**श्री तंगामणि** : प्रतिकर के बारे में कब तक पंचाट दे दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जेसे ही वह विचार पूरा कर लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लगभग समय ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि कितना समय लगेगा परन्तु उनकी बैठक अब २२ अगस्त तक हो रही है और वह जल्दी ही काम निबटाना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

\+ **भारत के होटलों में जगह**

†*५८३. **श्री कोडियान :**
श्री दिनेश सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पर्यटकों के लिये होटलों में जगह की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) होटलों में जगह की हालत सुधारने के लिये और क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). पर्यटन यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश में वर्तमान होटल व्यवस्था अपर्याप्त है, होटल उद्योग को सभी प्रकार की उचित सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे नये होटल बनाये जा सकें और वर्तमान होटलों में सुधार किया जा सके । कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों पर पर्यटन विभाग विश्रामगृह बना रहा है तथा राज्य सरकारों को अल्प आय वर्ग विश्रामगृह बनाने के लिये सहायता दी जा रही है ।

†**श्री कोडियान** : माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि निवास स्थान बढ़ाने के लिये होटल उद्योग को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि उचित सहायता क्या है तथा होटल उद्योग को अब तक कितना धन दिया गया है ?

†**श्री राज बहादुर**: कुछ समय पहले औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन किया गया है जिससे पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाने वालों को सुविधायें दी जा सकें । पिछले आय-व्ययक में पांच वर्ष तक आय-कर अवकाश होटल उद्योग के नये संचालकों को दिया गया था । हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि महत्वपूर्ण स्थानों के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर उपयुक्त भूमि दी जाये जिससे उचित मूल्यों पर नये होटल बनाये जायें । यह कार्यवाहियां की जा रही हैं ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या दिल्ली में जनता होटल बनाने का प्रस्ताव है और वह कहां बनेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : दिल्ली में जनता होटल बनाने का प्रस्ताव है । परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि वह किस स्थान पर बनेगा ।

†**श्री कासलीवाल** : गत दस वर्षों में कितने प्रतिशत होटल के स्थान में वृद्धि हुई है तथा आगामी पांच वर्षों में कितना स्थान और बढ़ाने का विचार है ?

†**श्री राज बहादुर** : पिछले दस वर्षों में होटलों में ३० प्रतिशत पलंग और बढ़ गये हैं । परन्तु पर्यटक यातायात ५०० प्रतिशत बढ़ गया है । कुल पलंग ११,००० हैं । आगामी पांच वर्षों में ५,५०० पलंग बढ़ाने का विचार है । इसमें से ५० प्रतिशत की तुरन्त ही आवश्यकता है ।

†**श्री कोडियान** : क्या दूसरी योजना में होटल में निवास स्थान बढ़ाने के लिये निर्धारित धन-राशि पूरी पूरी व्यय कर दी गई और यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : दूसरी योजना में होटल को रुपया देने के लिये कोई धनराशि अलग नहीं रखी गई थी । होटल बनाने वालों को औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज को ऋण दिलाने की व्यवस्था थी ।

गुण्टावडा में सिलेरू जलविद्युत् परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार को आपत्ति

+

†*५८५. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री रामी रेड्डी :
श्री कोडियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा गुण्टावडा में सिलेरू जल विद्युत् परियोजना से सम्बन्धित बांध के निर्माण पर आपत्ति उठायी है ;

(ख) उड़ीसा सरकार ने क्या आपत्तियां उठायी हैं ;

(ग) क्या इन दो राज्यों के झगड़े के बारे में केन्द्रीय सरकार को बता दिया गया है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार की आपत्तियों के कारण निर्माण-कार्य बन्द कर दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) . गुण्टावडा बांध की ऊंचाई के बारे में मतभेद था ।

(ग) जी हां ।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारें बातचीत कर रही हैं । जब आपस में मतभेद दूर नहीं हो पायेंगे तब केन्द्रीय सरकार मतभेद दूर करने में सहायता देगी ।

(ङ) उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा की ओर का काम बन्द कर दिया था ।

अपर सिलेरू परियोजना

†*६१८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्तावाड़ा में जलधरोक की ऊंचाई के बारे में उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के दोनों मुख्य मन्त्री सहमत हो गये हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के मुख्य मन्त्री आन्ध्र सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं कि उच्चतम तल नदी के पाट से ३४ फुट ऊंचा होना चाहिये;

(ग) गुन्टावड़ा बांध पर अधिकतम कितनी बिजली बनाई जायेगी;

(घ) क्या इस बिजली का उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश दोनों ही प्रयोग करेंगे; और

(ङ) गुन्टावड़ा बांध की ऊंचाई बढ़ाने से उड़ीसा में बालीमाला के बांध के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). १७ तथा १८ जुलाई, १९६१ को उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री से बातचीत की थी। वह सहमत हो गये हैं कि दोनों राज्यों के मुख्य इंजीनियर इस पर बातचीत करें तथा रिपोर्ट दें।

(ग) लगातार ३० एम डब्ल्यू ।

(घ) क्योंकि गुण्टावड़ा बांध पर व्यय आन्ध्र प्रदेश अकेला कर रहा है इसलिए परियोजना के लाभ बांटे नहीं जायेंगे ।

(ङ) स्वीकृत योजनानुसार गुण्टावड़ा बांध का एफ० आर० एल० १३३९ बनाने का था जिससे बालीमेला बांध के निर्माण में कोई कठिनाई न हो ।

†**श्री कोडियान** : क्या आन्ध्र सरकार तथा उड़ीसा सरकार के बीच बातचीत में कोई प्रगति हुई है ?

†**श्री हाथी** : मैंने बताया कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री पिछले महीने की १६ तारीख को हैदराबाद गये थे तथा दोनों मुख्य मंत्रियों ने इस प्रश्न पर बातचीत की थी । यह तय पाया गया कि दोनों राज्यों के मुख्य इंजीनियर प्राक्कलनों का पुनरीक्षण करें और उनके प्राक्कलन मिलने पर दोनों मुख्य मंत्री पुनः मिलेंगे और तय करेंगे ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के गुण्टावड़ा बांध को ३४ फीट ऊंचा करना स्वीकार कर लिया है और समझौता हो गया है ?

†**श्री हाथी** : ऊंचाई ११३९ एफ० आर० एल० थी । उड़ीसा सरकार ने इस कारण आपत्ति की थी कि उसका असर बालीमेला परियोजना पर पड़ेगा । अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है ।

खड़गपुर-चक्रधरपुर सेक्शन पर बिजली से रेल चलाना

+

†*५८६. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर से चक्रधरपुर तक बिजली से रेल चलाने का काम बंद कर देने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) वह काम कब तक बंद रहेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं। चक्रधरपुर से टाटानगर तक बिजली से रेल चलाई जाने लगी है । टाटानगर से खड़गपुर तक बिजली लगाई जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सवारी गाड़ी में हत्या

+
†*५९०. { श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री कुंभार :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २९ मई, १९६१ को हावड़ा–नागपुर सवारी गाड़ी के पहले दर्जे में यात्रा करते हुए उड़ीसा के एक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ता पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की हत्या के बारे में उन्हें जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चलती गाड़ी में इस भयंकर हत्या के बारे में कोई जांच की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस में मामला दर्ज हो गया है और जांच हो रही है।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मई में हत्या हुई थी। परन्तु आज भी मंत्री महोदय ने बताया है कि जांच हो रही है।

†अध्यक्ष महोदय : मामला दर्ज हो गया है।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जांच हो रही है।

†अध्यक्ष महोदय : मई से अब तक।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मामला उड़ीसा राज्य पुलिस का है।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वह उड़ीसा के एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे और चलती गाड़ी में उनकी हत्या हुई थी। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों में बताया गया था कि यह एक राजनैतिक हत्या थी। हम जानना चाहते हैं कि क्या पिछले तीन महीनों में कोई जांच हुई है और क्या कोई गवाही अथवा सुराग लगा है।

†अध्यक्ष महोदय : जांच यह लोग नहीं कर रहे हैं।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मामला राज्य पुलिस का है।

†अध्यक्ष महोदय : मामला चलती गाड़ी में हुआ था। रेलवे पुलिस का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। राज्य पुलिस ही जांच कर सकती थी। प्रश्न केवल यह है कि क्या रेलवे ने कोई कार्यवाही की है।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : दूसरे दिन ही सवेरे को मामला दर्ज किया गया था। जांच राज्य पुलिस को ही करनी है। संभवतया यह ठीक नहीं होगा कि जांच तथा अभियोग लगाने के अधिकार रेलवे अथवा केन्द्रीय सरकार को दे दिये जायें।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : यह हत्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश अथवा पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में हुई थी तथा क्या रेलवे ने इसकी जांच कर ली है कि डिब्बे की सिटकनी आदि ठीक थीं ? रेलवे को कम से कम इतना अवश्य पता होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम ने जांच की है और पता लगा है कि 'सेफ्टीलाक' ठीक थे तथा खिड़कियों पर लोहे की छड़ें लगी हुई थीं।

†**श्री त्रिविव कुमार चौधरी** : किस क्षेत्र में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला उड़ीसा न्यायालय में है। इसलिए यह उड़ीसा के क्षेत्राधिकार में होगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कोई गिरफ्तारी हुई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अभी कोई नहीं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैंने एक बार रेलवे मंत्री से पूछा था कि रिटायर्ड पुलिस अफसरों को रेलवे पुलिस में क्यों रखा जाता है क्योंकि इस से काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न से इसका क्या सम्बन्ध है। हमें रिटायर्ड अफसरों से ही काम चलाना पड़ता है क्योंकि सेवा के अफसर नहीं मिल पाते हैं। पुलिस अफसर का प्रशिक्षण करने में बहुत वर्ष लगते हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : एक सार्वजनिक व्यक्ति मारा गया है। गत तीन महीनों में राज्य पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जनता को संदेह है कि यह एक राजनैतिक हत्या होने के कारण राज्य की पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरा माननीय रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि मामले में रुचि लें और इसके कारण खोजने का प्रयत्न करें।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे मित्र संभवतयाराज्य पुलिस के बारे में ठीक बात नहीं कह रहे हैं कि वह कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वह पूरी तरह से जांच कर रही है। मैं उड़ीसा सरकार का ध्यान और इस ओर दिलाऊंगा।

सरकारी माल लादने उतारने में समन्वय

†*५९१. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी माल लादने उतारने के मामले में विभिन्न सरकारी विभागों के काम का समन्वय करने के लिए सरकार ने एक नया विभाग खोला है; और

(ख) इस विभाग ने भारतीय जहाजों को सरकारी माल ले जाने तथा हमारे आयात का माल लाने के लिए अधिकतम गुंजाइश देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी नहीं। ऐसा कोई नया विभाग नहीं खोला गया। एक नौवहन समन्वय समिति परिवहन मंत्रालय में बनाई गई है जो १९५८ से काम कर रही है। इस समिति ने सरकारी माल के मिलने के बारे में सूचना इकट्ठी करने का उपयुक्त तरीका निकाला है और भारतीय जहाजों का अधिकतम उपयोग होने के लिये सब संभव कार्रवाई की हैं, यदि वे विश्व की प्रतियोगी भाड़ा दरों पर यह माल उठाने के लिये उपलब्ध हों। अधिकतम सम्भव सीमा तक भारतीय नौवहन का उपयोग 'माल के मालिकों के अधिमान' के अधिकार पर निर्भर है।

†**श्री मोरारका** : सरकार ने इस कार्य के लिये कि तमाम सरकारी खरीद तट पर्यन्त निश्शुल्क आधार पर किया जाये और परिवहन भारतीय जहाजों में किया जाये, क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** अभी जिस तरीके का उल्लेख किया गया है उस प्रकार क्रय करने के लिये सब संबद्ध विभागों को परिपत्र भेजा गया है । इस के अतिरिक्त, समन्वय समिति का एक काम समय समय पर स्थिति पर पुनर्विचार करने का है और जहां कहीं व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिये कुछ कार्यवाही करनी होती है, वह की जाती है ।

†**श्री मोरारका :** क्या इस बात का अनुमान लगाया है कि यदि ये सब कार्यवाहियां की जायं तो विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह इस बात पर निर्भर होगा कि कितना माल ढोया गया हैं, परन्तु मैं भूतकाल में जो कुछ किया गया है उस के बारे में कह सकता हूं । आंकड़े मेरे पास यहां हैं, परन्तु उन आंकड़ों को देने में समय लगेगा ।

†**श्री मोरारका :** क्या इस कारण से होने वाली बचत का कुछ अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** हम आयात-निर्यात माल तथा उस पर खर्च होने वाली कुल विदेशी मुद्रा के सही आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयत्न करते रहे हैं । विशिष्ट रूप से और सही तौर पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की राशि बताना कठिन होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जल दूषण बोर्ड[1]

†***५७०. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय और राज्य स्तर पर जल दूषण बोर्ड स्थापित करने के लिए लोक स्वास्थ्य इंजिनियरों के चौथे सम्मेलन की सिफारिश पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) और (ख) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के चौथे सम्मेलन की सिफारिशों का परीक्षण, योजना आयोग द्वारा स्थापित योजना की परियोजनाओं संबंधी समिति के अधीन राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम की तालिका एवं विदेशों में लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी तरीकों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और भारत में लोक स्वास्थ्य इंजनियरों के मार्गदर्शनार्थ एक प्रारम्भ नियम संग्रह तैयार करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, किया जाएगा ।

पटसन की फसल के लिये उर्वरक

†***५७४. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को १९६१–६२ में पटसन की फसल के लिए उर्वरक खरीदने और बांटने के लिए अभी हाल में कुछ अल्पावधि ऋण देना मंजूर किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1] Water Plolution Board.

(ख) यदि हां, तो उन ऋणों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन राज्यों के लिए मंजूर किये गये हैं !

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी गई है :

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	मंजूर ऋण की राशि
		(लाख रुपयों में)
१.	बिहार	२०.००
२	आसाम	१०.००
३	पश्चिम बंगाल	५.००
४	उत्तर प्रदेश	४.५०
	जोड़	३९.५०

कावेरी पर रेलवे पुल

†*५७७. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री सिदय्या :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-मैसूर सेक्शन पर श्री रंगपत्तनम के पास कावेरी नदी और कावेरी दक्षिण पर पुनः तीन रेलवे पुल बनाने का काम किस प्रक्रम पर है ;

(ख) अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) यह काम संभवतः कब तक पूरा हो जायगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तीनों पुलों के स्तम्भों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं ।

(ख) लगभग ८६,००० रुपये जुलाई, १९६१ तक ।

(ग) पूरे काम की अप्रैल, १९६३ तक मुकम्मल हो जाने की आशा है ।

जयपुर में योग अनुसन्धान तथा चिकित्सा केन्द्र

†*५८२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में योग अनुसन्धान तथा चिकित्सा केन्द्र चालू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस लागत पर और वह लागत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच किस प्रकार बांटी गयी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश में इसी प्रकार के और केन्द्र खोलने की व्यवस्था है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार ने इस केन्द्र को ४०,००० रुपये का सहाय्य-अनुदान दिया है ।

(ग) इसकी छानबीन की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में दूर-संचार व्यवस्था

***५८४. श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक-तार विभाग के उत्तर प्रदेश परिमण्डल में दूर-संचार व्यवस्था को पुनर्गठित करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : दो नये सब डिवीज़न बनाए गये हैं । आगे पुनर्गठन की योजना पर विचार किया जा रहा है ।

तम्बरम् और विल्लुपुरम् सेक्शन पर बिजली से रेल चलाना

†***५८७. श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बरम् और विल्लुपुरम् के बीच बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था करने के काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(१) परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और संक्षिप्त प्राक्कलन मंजूर किया जा चुका है ।

(२) सब स्टेशन और स्विचिंग स्टेशन उपकरण के लिये टेंडर मांगे गये हैं ।

(३) १६ बिजली के इंजनों के निर्माण का आर्डर चित्तरंजन इंजन कारखाना को दे दिया गया है ।

(४) मद्रास राजकीय बिजली बोर्ड के साथ विद्युत संभरण संबंधी व्यवस्था कर दी गई है ।

रेलवे साइडिंग की जमीनें

†***५८८. श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे साइडिंग की जमीनों की अधिभोग फीस बढ़ाने के विरुद्ध खनिज उद्योग संघ से अभी हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा अधिसूचित वृद्धियों के बारे में।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

तार सेवा

†*५८९. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, मई और जून, १९६१ में कोल्हापुर, सांगली, कराड, पूना, रत्नागिरि और चिपलून जैसे कई तारघरों में तारों का बहुत अधिक जोर था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ तारघरों में तार भेजने में दो या तीन दिन देर लग गयी;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ जगहों पर एक्सप्रैस तार भेजने के लिए नोटिस दिये गये थे ;

(घ) क्या एक्सप्रैस तार भेजने में भी दो दिन देर लग गयी थी; और

(ड) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कभी कभी रत्नगिरि में।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, कभी कभी रत्नगिरि में।

(ङ) तारों के अधिक्य का कारण यह था कि विवाहों, और परीक्षा परिणामों के कारण बधाई के तार भेजे जा रहे थे। तारों के भेजने में देरी का कारण यह था कि दक्षिण कोकण क्षेत्र में भारी आंधी और चक्रवात आये थे जिन के परिणाम से तार की तारों को बहुत अधिक क्षति पहुंची और बिजली फेल हो गई तथा वैकल्पिक संचार साधन तथा वायरलैस सामान्यतया खराब हो गये।

त्रिगुणात्मक इंजेक्शन बनाना

†५९२ { **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ मार्च १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन गुण वाले इंजेक्शन बनाने के संबंध में जो योजना सरकार के विचाराधीन थी उसमें तब से अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियुक्त एक अल्पावधि परामर्श-दाता ने केन्द्रीय अनुसंधान-शाला कसौली में जनवरी से मार्च १९६१ तक तीन महीने तीन गुण वाली वेक्सीन के बड़ी मात्रा में उत्पादन के तकनीक के संबंध में मौके पर अध्ययन किया। इस विशेषज्ञ द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशों तथा उन पर प्रस्तावित कार्यवाही का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में यमुना के पानी का दूषित हो जाना

†*५९३. **श्री वाजपेयी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आसर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना का पानी इस कारण दूषित हो गया है कि नालियों से होकर दिल्ली का मलमूत्र मेटकाफ हाउस से जमना बाजार तक कई जगहों पर नदी में आकर गिरता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त क्षेत्र में करीब ३५ घाट बसे हुए हैं और प्रतिदिन दस हजार से अधिक लोग नहाते हैं ;

(ग) क्या मलमूत्र की इन नालियों को किलोकडी की ओर ले जाने की कोई योजना है ; और

(घ) जब तक इन नालियों को दूसरी ओर नहीं ले जाया जाता तब तक क्या सरकार ने सवेरे ३ बजे से १० बजे तक पानी निकासी के फाटक बंद कर देने की संभावना की जाच की है ताकि नहाने वालों को सवेरे निश्चित रूप से शुद्ध पानी मिल सके ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) जी हां ।

(ख) उक्त क्षेत्र में बहुत से स्नानघाट हैं और प्रतिदिन अनेकों लोग नदी में स्नान करते हैं। सही आंकड़े दिल्ली नगरपालिका निगम के पास नहीं हैं ।

(ग) गन्दगी को निगम बोध पम्पिग स्टेशन की ओर मोड़ने के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है ।

(घ) नजफ़गढ़ नाला पर द्वारों का प्रबन्ध किया गया है । खुश्क मौसम में, द्वार नीचे कर दिये जाते हैं और गन्दगी निकाल दी जाती है । नियमतः कम प्रवाह होने के कारण प्रातः ३ बजे से रात्रि के ९ बजे के बीच इस नाला से गन्दगी को बहने नहीं दिया जाता ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

†*५९४. **श्री कालिका सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री खुशवक्त राय :
श्री प्र० गं० देव :
श्री हेम बरुआ
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाशिंगटन में हस्ताक्षर किये गये, दिनांक २१ जून, १९६१ के करार के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये गये ६ करोड़ डालर के ऋण से प्रत्येक राज्य में कौन कौन सी परियोजनाओं के लिए धन दिया जायगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) करार वास्तव में किन किन के बीच हुआ और ऋण के वापसी भुगतान का तरीका क्या है;

(ग) बातचीत किसने आरंभ की और उन्होंने उसे करार में किस तरह समाप्त किया ;

(घ) करार के अधीन पूरी की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने का आधार क्या है ; और

(ङ) ब्याज की दर तथा करार की दूसरी शर्तें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

कलकत्ता-भुवनेश्वर विमान सेवा

†*५९५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा भुवनेश्वर के बीच दैनिक विमान सेवा चलाने के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कोई योजना है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने कलकत्ता तथा भुवनेश्वर के बीच एक अपनी निजी सेवा चलाने के लिये भारत सरकार की अनुमति मांगी है ?

†**असैनिक उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी नहीं ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अतिरिक्त रेल गाड़ियां

†*५९६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६१ से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कितनी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चालू की गयी है ; और

(ख) क्या इनकी संख्या रेल-यातायात के लिये पर्याप्त हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) संभवतः यह उल्लेख अतिरिक्त यात्री गाड़ियों को चलाने के बारे में है । दोनों ओर एक गाड़ी धूबरी तथा फकीराग्राम के बीच १-७-६१ से चला दी गई है ।

(ख) कुछ और यात्री गाड़ियां चलाने की जरूरत है । तथापि इस समय लाइन क्षमता, इंजनों और डिब्बों की कमी के कारण कोई और अतिरिक्त गाड़ी चलाना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े क्षेत्रों में डाक-तार सुविधायें

†*५९७. { श्री आचार :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करने तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्षेत्रों में डाकतार सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई नये नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में तार तथा टेलीफोन की सुविधाओं में सुधार के सम्बन्ध में किस प्रकार की रियायत दी गयी है ; और

(ग) क्या नया डाकघर खोलने के लिए जनसंख्या की आवश्यकता के बारे में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). केवल १००० रुपये वार्षिक हानि की अनुज्ञेय सीमा तक डाक सुविधाओं को बढ़ाने के लिये किसी क्षेत्र को 'अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र' घोषित करने के लिये १९५३ में कुछ मार्ग दर्शक सिद्धान्त निश्चित किये गये थे, तार तथा टेलीफोन सुविधाओं के लिये नहीं । तीसरी योजना में, फैसला किया गया है, कि दूरस्थ क्षेत्र में डाक संचार सेवा बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति डाकघर २५०० रुपये वार्षिक हानि की अधिक अनुज्ञेय सीमा तक और २०० डाकघर विशेष रूप से खोले जायें ।

(ग) जी नहीं ।

परादीप बन्दरगाह

†*५९८. { डा० सामन्त सिंहार :
श्री पांगरकर :
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परादीप बन्दरगाह के विकास के लिए विदेशी गैर-सरकारी फर्म द्वारा सहायता के दूसरे प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया है ;

(ख) यह फर्म किस देश की है और किस प्रकार सहायता देने का उसका विचार है ;

(ग) क्या इस विषय में उड़ीसा सरकार की सलाह ली गयी है ; और यदि हां, तो उसकी राय क्या है ;

(घ) क्या इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(च) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो वह निर्णय कब किया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषण निगम पानामा ने प्रदीप पत्तन के विकास के लिये वित्तीय एवं प्रविधिक सहायता देने तथा खानों से पत्तन तक अयस्क के समूचे परिवहन का उत्तरदायित्व लेने की पेशकश की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उड़ीसा सरकार ने योजना की स्वीकृति की सिफारिश की है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) भारत सरकार वर्तमान रूप में योजना को व्यवहारिक नहीं समझती क्योंकि कम्पनी खानों से पत्तन तक अयस्क के समूचे परिवहन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहती है, जिसका यह अभिप्राय है कि कम्पनी को रेलवे लाइन और नई पत्तन बनाने की अनुमति दी जाए । यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती । पेशकश की शर्तें भी स्पष्ट नहीं थीं । इसलिये कम्पनी को ६ मई, १९६१ को कहा गया है कि वह स्थिति का स्पष्टीकरण करे । वहां से कोई उत्तर नहीं आया है ।

(च) सवाल पैदा नहीं होता ।

मौसम सम्बन्धी सूचनायें

†*५९९. **श्री सूपकार :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बांधों के ऊपरी जलागम क्षेत्रों के मौसम सम्बन्धी सूचनाएं बांधों के परियोजना अधिकारियों को दिये जाने की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) क्या तार की लाइनें अक्सर बेकार हो जाने के कारण मौसम सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनायें बांध परियोजना अधिकारियों को समय पर नहीं दी जाती ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ऐसे अवसर कम ही होते हैं । जब आवश्यकता होती है, लाइनों को पुनः लगाने के लिये डाक तथा तार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

ग्राम सभायें

†*६००. { **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन:

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में ग्राम सभायें पंचायत राज्य के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से राज्य हैं और उनका अनुभव क्या है ; और

(ग) किन किन राज्यों ने ग्राम सभायें नहीं बनाई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) से (ग). वैध निकाय के तौर पर ग्राम सभा संविहित रूप से आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में मानी गई हैं । मैसूर और राजस्थान के गांव के सभी वयस्क निवासियों की बैठक की व्यवस्था है जिसमें पिछले वर्ष के लेखा विवरण, प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट और आगामी वर्ष के लिये प्रस्तावित काम का कार्यक्रम पढ़े जाते हैं । आन्ध्र प्रदेश, एकीकृत आन्ध्र प्रदेश पंचायत विधेयक १९६१ में जो विधान मंडल के समक्ष हैं, ग्राम सभाओं की स्थापना के लिये उपयुक्त उपबन्ध करने का विचार कर रहा है । केरल और मद्रास में ग्राम सभा को अभी तक संविहित रूप से मान्यता नहीं दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. यद्यपि प्रत्येक राज्य में ग्राम सभाओं के संचालन सम्बन्धी विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है, सामान्य अनुभव यह रहा है कि गांव वालों की भागिता और सहयोग काफी उत्साहवर्द्धक रहा है ।

३. सामुदायिक विकास सम्बन्धी वार्षिक सम्मेलन और पंचायत राज्य के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलनों में, जो हाल ही में हैदराबाद में हुये थे, ग्राम सभाओं की संविहित तौर पर मान्यता की आवश्यकता पर जोर दिया गया और इसे दिये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाई गई । बैठकें करने के लिये, जहां ग्राम सभाओं का आकार बहुत बड़ा है, सम्मेलन ने सुझाव दिया कि ग्राम सभा को सुविधाजनक आकार के वर्गों में विभक्त कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग विविध कार्यों को करने के लिये पृथक बैठकें करें। सिफारिशें कार्यान्विति के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ।

नगरों में यातायात की अधिकता

†*६०१. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों में यातायात की अधिकता कम करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

डाक व तार विभाग के लिए फार्मों आदि की छपाई

†*६०२. **श्री सिदय्या** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि डाक व तार विभाग के लिए फार्मों आदि की छपाई का काम दिल्ली में केन्द्रित करने से देश में डाक व तार के नये डाकतारों का खुलना रुक गया है क्योंकि इससे मांग की ठीक प्रकार और समय पर पूर्ति नहीं हो सकी है ;

(ख) क्या इस काय का विकेन्द्रीकरण करने और सर्किलों के पोस्टमास्टर जनरल को अपने अपने सर्किल के लिए अपेक्षित फार्म, आदि अपने सर्किल में छापने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो वह कब लागू किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो कठिनाई दूर करने के लिए और क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)**: (क) जी नहीं । डाक व तार के फार्मों की छपाई न तो दिल्ली में केन्द्रित है और न ही कोई ऐसी सूचना मिली है कि फार्मों के अभाव के कारण डाक व तार घर खोलना बन्द कर दिया गया था ।

(ख) सर्कलों के मुखियाओं को शक्ति प्राप्त है कि वे सभी गैर-अत्यावश्यक फार्मों और आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए अत्यावश्यक फार्मों को भी स्थानीय तौर पर छपवा सकते हैं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) छोटी आफ-सैट मशीनें (रोटा प्रिंट किस्म की) पुंज आधार पर सर्किलों को दी जा रही हैं ताकि वे फार्मों की छपाई के मामले में अधिक स्वावलम्बी बन सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलोल के पास मालगाड़ी की दुर्घटना

†*६०३. **श्री मो० ब़० ठाकुर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ या २८ जुलाई, १९६१ को साईज सेरठा रोड और खोदीयार रेलवे स्टेशनों के बीच कलोल के पास एक बड़ी मालगाड़ी-दुर्घटना हुई ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). २८ जुलाई, १९६१ को लगभग १२ बज कर ५ मिनट रात्रि को, जब ६४१ अप मालगाड़ी राजकोट डिवीजन के मेहसाना-अहमदाबाद सैक्शन पर सैज सेरठा रोड और खोदियार स्टेशनों के बीच जा रही थी, इंजन का टैंडर पटरी से उतर गया और उसके पीछे के १९ डिब्बे उलट गये, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति घायल हो गये जिनमें दो को गहरी चोटें आईं ।

रेलवे सम्पत्ति की क्षति का अनुमान २०,००० रुपये लगाया गया है ।

"हार्ट फाउन्डेशन"

†*६०४. **श्री थीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्ट विषयों में अनुसन्धान के परिणामों के आदान-प्रदान और सामूहिक कार्य की सुविधा के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय 'हार्ट फाउन्डेशन' बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का उससे किसी भी रूप में कोई सम्बन्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) भारत सरकार को पता चला है कि एक भारतीय हार्ट फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग). यह फाउंडेशन जब बन जायेगा तब अनुसन्धान करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से काम करेगा ।

नर्मदा नदी बोर्ड

†*६०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनो लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा बेसिन के लिये एक नदी बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस मामले पर सम्बद्ध राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाली टिकट

†*६०६. {श्री नेक राम नेगी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद तथा कलकत्ता में जाली टिकट जापने वाले जिन प्रेसों का पता लगा था उनसे सम्बद्ध मामले अब किस स्थिति में हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) मुरादाबाद के बारे में

मामला अभी न्यायालय में निलम्बित है ।

(ख) कलकत्ता के बारे में

अभियुक्तों को सैशन सुपुर्द किया गया था और गिरोह के नेता को ७ वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया है तथा उसके एक साथी को ५ वर्ष का कठोर कारावास दण्ड मिला है। तीसरा अभियुक्त अपराधी सिद्ध नहीं हुआ और छोड़ दिया गया ।

नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था

†*६०७. श्री यादव नारायण जाधव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ रही है और गलत नम्बरों की शिकायतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ में ऐसी कितनी शिकायतें थीं; और

(ग) टेलीफोन व्यवस्था ठीक करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी नहीं ।

(ख) गलत नम्बरों के बारे में ७२० लिखित शिकायतें थीं ।

(ग) दिल्ली टेलीफोन व्यवस्था पर काम अधिक है और यह तेजी से बढ़ रहा है । अधिक भार को घटाने और व्यवस्था को सुधारने के प्रयत्न लगातार किये जा रहे हैं ।

मसालों का विकास

†*६०८. {श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री कोडियान :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री २२ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मसालों के विकास के लिए एक पण्य समिति के बनाने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : भारतीय केन्द्रीय मसाला और काजू समिति की स्थापना करने के बारे में एक सरकारी संकल्प शीघ्र ही जारी होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़े की बजाय ईंटों की गांठें

†*६०९. {श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री चुनी लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर कपड़े के बजाय ईंटों की दो झूठी गांठों सहित एक रेलवे कर्मचारी के पकड़े जाने के फलस्वरूप एक बहुत बड़े गिरोह का हाल में पता लगा है जिसमें फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) के कपड़ा व्यापारियों को २३ लाख रु० की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सारे मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आजकल यह किस स्थिति में है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). कपड़ा व्यापारियों को २३ लाख की हानि करने वाले ऐसे किसी गिरोह की सूचना नहीं मिली। तथापि रेलवे गार्डस् रनिंग सत्र फर्रुखाबाद के एक रसोइये को पुलिस ने १८-४-६१ को फिरोजाबाद स्टेशन पर गिरफ्तार किया है जब वह किसी रेलवे चिन्ह या पते के बिना एक जाली पार्सल उठाये ले जा रहा था। जब पार्सल खोल गया तो उसमें २ ईंटें, कुछ पुरानी रूई और बोरे आदि थे।

(ग) पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भारतीय नाविकों को काम पर लगाना

†*६१०. {श्री हेम बरुआ :
श्री तंगामणि :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बेरोजगार भारतीय नाविकों के लिये रोजगार ढूंढने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विदेशी जहाज मालिक अपने जहाजों में ९० प्रतिशत भारतीय नाविकों को रखते हैं। अभी थोड़ा समय पहले, लगभग ११० विदेशी जहाज अपनी भर्ती के स्थानों को बम्बई और कलकत्ता से बदल कर विदेशी पत्तनों पर ले गये हैं जिस कारण अनुमानतः ८००० नौकरियों की हानि हो गई है। प्रयत्न किये गये हैं और किये जा रहे हैं कि विदेशी जहाज मालिकों को इस बात पर रजामन्द किया जाए कि वे भारतीय नाविकों को रोजगार के अधिक अवसर दें। परिवहन तथा संचार मंत्री ने इंग्लैण्ड के जहाज मालिकों को यह मनाने के लिये कि वे भर्ती के स्थानों को न बदलें और भारतीय पत्तनों से भर्ती किये जाने वाले नाविकों के लिये नौकरियों की संख्या बढ़ायें, निजी पत्र लिखे हैं। भारत में विदेशी जहाज मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत सी मुलाकातें की हैं। तथापि यह भी स्पष्टतः समझना होगा कि विदेशी जहाज मालिकों के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है और यद्यपि हम निश्चय ही उनको मनाने का प्रयत्न कर सकते हैं, हम उनको इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते कि वे भारतीय नाविकों को ही भर्ती करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास और नई दिल्ली के बीच एक और यात्री रेलगाड़ी

†*६११. { श्री कुन्हन :
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और नई दिल्ली के बीच एक और यात्री रेलगाड़ी कब से चलाई जायेगी;

(ख) इस सैक्शन में रेलगाड़ियां चलाई जाने की क्षमता बढ़ाने के लिये द्वितीय योजना काल में कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) क्या नई दिल्ली और मद्रास के बीच कोई सीधी मालगाड़ी चलती है; और

(घ) इस दूरी की यात्रा करने में मालगाड़ी को औसतन कितना समय लगता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अनुमानतः १६·०४ करोड़ रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

हुगली में डूबा हुआ हालैंड का जहाज

†*६१२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री १ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली में डूबा हुआ हालैण्ड का जहाज इस बीच में निकाल लिया गया है;

(ख) क्या डूबे हुए अन्य जहाजों में से और किसी में सोना था; और

(ग) यदि हां, तो क्या जहाज निकालने का काम और भी किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) ऐसा विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । डूबे हुए डच जहाज को डच रक्षा फर्म निकाल रही है। तीन महीनों में काम पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) १८६४ से हुगली में १९ जहाज डूब गये हैं । यह मालूम नहीं है कि क्या डूबे हुए किसी जहाज में माल के तौर पर सोना बुलियन लदा हुआ था ।

(ग) जी नहीं ।

स्टेनोग्राफरों के वेतन-क्रम

*६१३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि डाक-तार विभाग के डाइरेक्टरों के साथ जो स्टेनोग्राफर्स हैं उनके वेतन-क्रमों में बढ़ोतरी नहीं की गयी है, जबकि वेतन आयोग की सिफारिश पर रेलवे आदि में यह किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) रेलवे में स्टेनोग्राफरों के तीन ग्रेड यानी ८०/२२० रुपये, २००/३०० रुपये और २६०/३५० रुपये थे । पहले ग्रेड की जगह १३०/३०० रुपये और बाकी दो की जगह २१०/४२५ रुपये का ग्रेड रखा गया है । डाक-तार परिमण्डलों में स्टेनोग्राफरों के दो ग्रेड यानी ८०/२२० रुपये और २००/३०० रुपये थे । पहले ग्रेड की जगह १३०/३०० रुपये और दूसरे की जगह २१०/४२५ रुपये का ग्रेड रखा गया है । इस तरह सापेक्ष स्थिति पहले जैसी ही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड

६१४. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार बोर्ड की बैठक नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड ने क्या क्या सिफारिशें कीं ; और

(ग) उन में से कितनी कार्यान्वित की गयीं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां । बोर्ड की दूसरी बैठक २९ मई, १९६१ को दिल्ली में हुई थी ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यवाही कर दी गई है ।

गेहूं की खरीद

†*६१५. **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री दिनेश सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अधिक विदेशी गेहूं खरीदना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो जुलाई, १९६१ तक कितना खरीदा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां । क्योंकि हमारी आवश्यकता की तुलना में हमारा आन्तरिक उत्पादन अभी कम है ।

(ख) जनवरी से जुलाई १९६१ तक की अवधि में विदेशों से १८·७ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'पठानकोट एक्स्प्रेस' में हत्या

†*६१६. श्री श्रीराम रेड्डी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ जुलाई, १९६१ को बम्बई जाने वाली "पठानकोट एक्स्प्रेस" रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक हत्या हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो मृत व्यक्ति कौन था ;

(ग) क्या अपराध के बारे में कोई जांच पड़ताल हुई है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी हां । श्री एन० रघुरामन बी० ई० (आनर्ज़), खंडवा (मध्य प्रदेश) में पोलीटेक्निक इंस्टीच्यूट का लेक्चरार गाड़ी में मरा हुआ पाया गया ।

(ग) से (घ). पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल अभी चल रही है। अब तक दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस की जांच पड़ताल पूरी होने के उपरान्त अपराधी लोगों पर मुकदमा चालाये जाने की संभावना है ।

टेलीविजन सेट के लिए लाइसेन्स

†*६१७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन के लिये लाइसेन्स दिये जाने लगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेन्स कब से दिये जा रहे हैं ;

(ग) अब तक कितने लाइसेन्स दिये गये हैं; और

(घ) इन लाइसेन्सों की क्या फीस है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी हां।

(ख) १९५९ से ।

(ग) (१) १९५९—११
(२) १९६०—३०
(३) १९६१—६

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) विभिन्न प्रकार के ऐसे लाइसेन्सों के शुल्क की दर इस प्रकार है :

(१) घरेलू ३० रुपये वार्षिक

(२) वाणिज्यिक १२० ,, ,,

(३) प्रदर्शन ३० ,, ,,

(४) स्कूल १० ,, ,,

रूसी वनस्पति विशेषज्ञ

†*६१९. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ में छः वनस्पति विशेषज्ञ कोयम्बटूर, टी, पूना बंगलौर गये थे ;

(ख) यदि हा, तो उन्होंने क्या अध्ययन किया ;

(ग) क्या सरकार को कोई रिपोर्ट दी गई है ; और

(घ) क्या भारत सरकार के मुख्य वनस्पति शास्त्री भी अध्ययन में सम्मिलित थे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** (क) से (घ). इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री देंगे क्योंकि इसका उनके मंत्रालय से संबंध है।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए तार

†*६२०. **श्री सिदय्या** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पूरी करने के लिए आज कल देश में उपलब्ध तार काफी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या तारों के उत्पादन के लिए सरकार का विचार एक कारखाना खोलने का है ; और

(ग) ऐसा कारखाना खोलने के लिए कौन सा स्थान सुविधाजनक है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). इस मामले पर भारत सरकार का वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय विचार कर रहा है।

शराब के परमिट

†*६२१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री कालिका सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लिये भारत भर में शराब के पर्मिटों की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव का ब्यौरा संबंधित राज्यों के परामर्श से तैयार कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). समूचे भारत में वैध प्रस्तावित शराब के परमिटों का ब्यौरा संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। मोटे तौर पर, प्रस्ताव यह है कि ये परमिट विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा अस्थायी आगन्तुकों को और प्रादेशिक पर्यटन अधिकारियों के द्वारा जारी किये जायेंगे। जब कि राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकारों में वैध परमिट जारी करती रहेंगी।

पुराने वाइकाउन्ट विमान

†*६२२. { **श्री दी० चं० शर्मा।**
श्री रामकृष्ण गुप्त।

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराने दो वाइकाउन्ट विमान खरीदने के लिए जो वार्ता हो रही थी ; उसका क्या परिणाम रहा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने दो पुराने वाइकाउन्टों की खरीद पूरी कर ली है जिस का मा० सदस्य ने उल्लेख किया है। अगस्त १९६१ के अन्त तक उन के आने की आशा है।

कठुआ-जम्मू रेलवे लाइन

†*६२३. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री बलराज मधोक :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री आसर :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८८० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कठुआ और जम्मू के बीच रेलवे लाइन बनाने का इस बीच अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ;

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

सहकारी चीनी कारखाने

†*६२४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी चीनी कारखानों का उत्पादन अन्य कारखानों की अपेक्षा बहुत कम है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ठीक स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह भी ठीक है कि सहकारी चीनी कारखानों की पूंजी में सरकारी अंश बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)**: (क) और (ख). जी नहीं। १९६०-६१ में देश में चीनी तैयार करने वाली १७४ चीनी फैक्टरियों में से २० सहकारी चीनी फैक्टरियां थीं। उन्होंने मूल राष्ट्रीय २९.५४ लाख टन में से ४.३५ लाख टन चीनी तैयार की। इस प्रकार कुल उत्पादन में सहकारी मिलों का भाग १४.७२ प्रतिशत के लगभग था।

(ग) जी नहीं। सहकारी चीनी फैक्टरियों की अंश पूंजी में सरकारी अंश की सीमा पहले ही बढ़ा कर २५ लाख रुपये कर दी गई है और इसे अधिक बढ़ाने का विचार नहीं है।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

भारत और पाकिस्तान में पूर्वी नदियों के जल का विभाजन

†*६२५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान में पूर्वी नदियों के जल विभाजन के प्रश्न सम्बन्धी वार्ता आजकल किस स्थिति में है ; और

(ख) क्या यह सच है कि फरक्का बान्ध परियोजना इस कारण रोक दी गई है कि पानी के विभाजन का प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई और कार्यवाही करने का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) यह इरादा है कि इन प्रश्नों पर दोनों देशों के मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाय। परन्तु ऐसा सम्मेलन तभी उपयोगी हो सकता है जब दोनों देशों के विशेषज्ञ पहले पारस्परिक दिलचस्पी की सांख्यिकी का परीक्षण एवं विनिमय कर लें।

भारत और पाकिस्तान सरकारों के जल संसाधन विशेषज्ञों की तीन अवसरों पर मुलाकात हो चुकी है, पहली मुलाकात नई दिल्ली में २८ जून से ३ जुलाई १९६० तक, दूसरी बैठक ढाका में अक्तूबर, १९६० के प्रारम्भ में, तीसरी कलकत्ता में २८ अप्रैल से ३० अप्रैल, १९६१ तक हुई थी। इन बैठकों में बहुतेरे प्राविधिक आंकड़ों का विनिमय हुआ है और इन में से कुछ परियोजनाओं के स्थान पर गये भी हैं। विचार है विशेषज्ञों की अगली बैठक ढाका में शीघ्र ही की जाय जिस में अवशिष्ट सांख्यिकी का विनिमय किये जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं। कलकत्ता पत्तन के परिरक्षण की योजना जिसे अन्यथा फरक्का बांध परियोजना कहते हैं, भारत के लिये अत्यन्त महत्व की है और इसकी योजना बनाने के बारे में कुछ काम तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार सोचती है कि फरक्का बांध का पाकिस्तान के उचित हितों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसे ध्यान में रखा जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मचकुण्ड परियोजना

†*६२६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के दोनों मुख्य मंत्री इस बात से सहमत हो गये हैं कि मचकुण्ड परियोजना के जालापट बान्ध की ऊंचाई बढ़ा दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस की ऊंचाई कितनी बढ़ाई जायेगी ;

(ग) ऊंचाई बढ़ाने से अनुमानतः और कितनी अधिक बिजली पैदा होगी ; और

(घ) इस बिजली में से दोनों राज्यों को कितनी कितनी बिजली मिलेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) एफ आर एल + २७५० फुट

(ग) अनुमानतः २०,००० किलोवाट ।

(घ) अभी दोनों राज्य सरकारों को इसके बारे में फैसला करना है ।

रेलवे दुर्घटनाओं में हताहतों के लिए प्रतिकर

†१२५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री राम गरीब :

क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८५ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को भुगतान के लिये नई प्रतिकर योजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आशा है कि आवश्यक विधेयक शीघ्र ही संसद् में पेश किया जायेगा ।

रेनीगुण्टा-तिरुपति रेलवे लाइन

†१२६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेनीगुण्टा-तिरुपती मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: इस समय रेनीगुण्टा से तिरुपती तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । रेनीगुण्टा से तिरुपती तक एक पृथक बड़ी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेती के नये तरीके

†१२६१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिल कर किसानों को अपने खेतों में खेती के नये तरीकों का प्रयोग करने के लिये प्रेरणास्वरूप राजसहायता देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). मामले की राज्य सरकार के साथ मिल कर जांच की जा रही है । कुछ राज्यों से उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं ।

पंजाब में पुल

†१२६२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में तीसरी योजना अवधि में निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने पुलों की मंजूरी दी गई है ;

(ख) ये पुल किन किन स्थानों में बनाये जायेंगे ; और

(ग) इन में से प्रत्येक पुल का अनुमानित व्यय कितना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) अभी तक एक पुल की मंजूरी दी गई है ।

(ख) वह पुल दिल्ली मथुरा सड़क पर गौंची नाले पर बनाया जा रहा है ।

(ग) इस कार्य पर ४,५१२,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

वेतन आयोग का प्रतिवेदन

†१२६३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेतन आयोग के प्रतिवेदन के क्रियान्वयन में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस के कब तक पूर्णत: क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). १. कर्मचारियों द्वारा नये वेतनक्रमों के प्रवरण और उन के अनुसार भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर प्रगति निम्न प्रकार है :

	३-६-६१ की स्थिति
पुनरीक्षित वेतन-क्रम का प्रवरण करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत .	९७.५
उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें चालू महीने का वेतन नये वेतनक्रम के अनुसार दिया गया है	९६
उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें १ जुलाई, १९५९ के बाद के अतिरिक्त वेतन की राशि का भुगतान किया जा चुका है .	९४

२. निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित सिफारिशों के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जा चुके हैं :

(१) दैनिक भत्ते की दरें ।

(२) सवारी भत्ता ।

(३) जिन कर्मचारियों को अभी कोई सार्वजनिक छट्टियां नहीं मिलती हैं उन को तीन राष्ट्रीय छुट्टियां देना ।

(४) गाड़ियों में चलने वाले कर्मचारियों को गाड़ी में चलने के भत्ते की दरें ।

(५) उच्च श्रेणी के पद पर नियुक्ति पर वर्तमान वेतनक्रम में कम से कम एक वृद्धि का लाभ ।

(६) छुट्टी के वेतन का आकलन ।

(७) अध्ययन के लिये छुट्टी की मंजूरी ।

३. आयोग की केवल थोड़ी सी सिफारिशें शेष रही हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं।

पर्यटकों के लिए सुविधायें

†**१२६४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा पर्यटकों को सुविधायें देने के लिये १९६०-६१ में उठाये गये विभिन्न क़दम क्या हैं ; और

(ख) उन पर क्या व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). पर्यटकों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिल्ली राज्य प्रशासन से सिफारिशें करने के लिये दिल्ली के मेयर के सभापतित्व में दिल्ली राज्य पर्यटन मंत्रणा समिति निर्मित की गई है । बिना मीटर और भिन्न रंग की मध्यम आकार की और अच्छी सज्जा वाली टैक्सियों के लिये परमिट जारी किये गये हैं । गैर-सरकारी चालकों को पुरानी आरामदेह टैक्सियों को बदलने के लिये २३ बड़ी कारें वितरित की गई थीं । दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ष १९६०-६१ में कोई व्यय नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार दिल्ली में एक प्रादेशिक पर्यटक कार्यालय चला रही है जिस पर वर्ष १९६०-६१ में १,३६,५८२ रुपये व्यय हुए। पर्यटन की केन्द्र की दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में उस में निम्नलिखित कार्य जारी रहे :

	३१ मार्च, १९६१ तक का व्यय
	रुपये
कुतुब मीनार के अहाते में उपहारगृह, कार पार्क आदि ...	१,३२,११५·००
सूरजकुन्ड में कैफेटेरिया और पेविलियन आदि	८२,९७८·००
तुगलकाबाद में कमरों (सेल) की मरम्मत	१२,६१६·००

पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित पर्यटन प्रचार पुस्तकें प्रकाशित की गईं और उन्हें भारत में तथा विदेशों में वितरित किया गया :

पुस्तक का नाम	वे भाषायें जिनमें उन्हें मुद्रित किया गया
१. दिल्ली गाइड	अंग्रेजी, स्पेनिश, इटेलियन और फ्रेंच।
२. दिल्ली फोल्डर	अंग्रेजी, स्पेनिश, इटेलियन और फ्रेंच।
३. दिल्ली, 'इन्सर्ट'	अंग्रेजी, इटेलियन और स्पेनिश।
४. दिल्ली सिटी गाइडमैप	अंग्रेजी।
५. पोस्टर	राष्ट्रपति के अंगरक्षक और कुतुब मीनार।
६. चित्रों के पोस्टकार्ड	दिल्ली की १० विभिन्न इमारतों के चित्र : (केन्द्रीय सचिवालय इंडिया गेट, जन्तर मन्तर, कुतुब मीनार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, संसद भवन, मोती मस्जिद, पुराना किला, लाल किला)।

दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के लिये भोजन व्यवस्था करने वाले मंजूरी प्राप्त होटलों और रेस्टोरेन्टों को आतातित उपकरण एवं सामग्री प्राप्त करने में सहायता मंजूर की गई।

उर्वरक

†१२६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को १९६०–६१ की अवधि के लिये दिसम्बर के बाद कितने एमोनियम सल्फेट तथा अन्य उर्वरकों का आवन्टन किया गया ; और

(ख) पंजाब को १९६० और १९६१ में ३० जून, १९६१ तक कितने उर्वरक भेजे गए?

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) पंजाब को दिसम्बर, १९६० में जनवरी से मार्च, १९६१ की अवधि के लिये ५,००० टन सल्फेट आफ एमोनिया आवंटित किया गया।

(ख) पंजाब को १९६० और जनवरी—जून, १९६१ में विभिन्न उर्वरकों की निम्नांकित मात्रायें प्रेषित की गईं :

(समस्त आंकड़े मीट्रिक टनों में)

वर्ष	उर्वरक की किस्म	प्रेषित मात्रा
१९६० (जनवरी-दिसम्बर, १९६०)	(१) सल्फेट आफ एमोनिया	१७,४२०
	(२) कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	१८,१४०
१९६० (जनवरी—जून, १९६१)	(१) सल्फेट आफ एमोनिया	१०,७३०
	(२) कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	२४,४३०

महाराष्ट्र राज्य के लिए खाद्यान्न

†१२६६. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य को अप्रैल, मई, जून और जुलाई, १९६१ में अलग अलग कितने खाद्यान्न, चावल और गेहूं दोनों, का संभरण किया गया ; और

(ख) वे उपभोक्ताओं को किस भाव पर बेचे गए?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) महाराष्ट्र राज्य को केन्द्रीय स्टाक से अप्रैल, मई, जून और जुलाई, १९६१ में संभरण किए गए चावल और गेहूं की मात्रायें निम्नांकित हैं :

मीट्रिक टनों में

महीना	चावल	गेहूं
अप्रैल, १९६१	१३·३	३४·७
मई, १९६१	१३·३	३७·४
जून, १९६१	१०·५	३०·९
जुलाई, १९६१	१३ ३	३३·४

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (खुदरा दर प्रति ५० किलोग्राम)

अन्न	बम्बई में	अन्य जिला केन्द्रों में
चावल	२२.७८ रुपये से ४१.५३ रुपये तक (सामान्य, बढ़िया, बहुत बढ़िया आदि किस्मों के अनुसार)	२४.६५ रुपये से ४३.४१ रुपये तक (सामान्य, बढ़िया, बहुत बढ़िया आदि किस्मों के अनुसार)
आयातित गेहूं	२०.१० रुपये	२०.६४ रुपये

आन्ध्र प्रदेश में चीनी के कारखाने

†१२६७. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश से राज्य सें सहकारिता के आधार पर वर्ष १९६१–६२ में चीनी के कारखानों की स्थापना के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) १९६० के अन्त में आन्ध्र प्रदेश में निजी और सहकारी क्षेत्रों में कितने चीनी के कारखाने थे ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान । १९६१–६२ में एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है । देश में चीनी के अतिरेक उत्पादन को देखते हुए अभी चीनी उद्योग में और क्षमता के लिये लाइसेंस न देने का निर्णय किया गया है । इस प्रार्थना पत्र पर, अन्य लम्बित प्रार्थना पत्रों के साथ, उस समय विचार किया जाएगा जब नई क्षमता के लिये पुनः लाइसेंस देना प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ग) १९६०–६१ में आन्ध्र प्रदेश में चीनी के ११ कारखाने चले। उनमें से ९ संयुक्त स्कन्ध व्यापार संस्थायें थीं और दो सहकारी ।

महाराष्ट्र राज्य में पशु और कुक्कुट प्रजनन योजनायें

†१२६८. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को अच्छी नस्ल के पशु और कुक्कुट प्रजनन योजनाओं के लिये वर्ष १९६०–६१ में किस प्रकार की सहायता दी गई है ;

(ख) उस अवधि में केन्द्रीय सहायता से राज्य में योजनाओं की क्रियान्विति किस प्रकार की हुई ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन्हीं योजनाओं पर कितना आवंटन किया जा रहा है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

खेतिहरों को वित्तीय सहायता

†१२६९. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों को खेती के औज़ारों और मशीनों की खरीद के लिये सहायता देने के लिये समस्त पंच-वर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र और तत्कालीन बम्बई राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई थी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों, अर्थात १९५६-५७ और १९५७-५८ में तत्कालीन बम्बई राज्य को किसानों की खेती के औज़ारों और मशीनों की खरीद में सहायता करने के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं मंजूर की गई थी। वर्ष १९५८–५९ से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया बदल दी गई थी। पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को देय केन्द्रीय सहायता "कृषि" शीर्षक के अन्तर्गत अनेक योजनाओं के लिये एक साथ मंजूर की जाती है, अलग अलग योजनाओं के लिये नहीं। इसलिये योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की राशि बताना संभव नहीं है। परन्तु किसानों और सहकारी निकायों को तगाई ऋणों के दिये जाने के लिये योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ट्रैक्टरों और संबंधित औज़ारों की खरीद के लिये ४.६२ लाख रुपये के ऋण दिए हैं।

महाराष्ट्र में चीनी के कारखाने

†१२७०. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में चीनी के कारखानों में १९६०–६१ में चीनी की औसत प्राप्ति कितनी हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : महाराष्ट्र में १९६०-६१ में चीनी के कारखानों की औसत प्राप्ति ११.६५ प्रतिशत रही थी।

महाराष्ट्र का दूसरी योजना के दौरान गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम

†१२७१. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने गांवों में बिजली लगाने के कार्य-क्रम के क्रियान्वयन के लिये अधिक धन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र को दूसरी योजना अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ग) वर्ष १९६१–६२ में महाराष्ट्र के परभानी जिले में बिजली लगाने की योजना में कितने नए गांव सम्मिलित किए गए हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दूसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्दिष्टत: ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के संबंध में सहायता का कोई कार्यक्रम लागू नहीं था। इन योजनाओं का राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषण मुख्यत: रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये विद्युत् सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तत्कालीन बम्बई राज्य के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये आवन्टन २४१.६० लाख रुपये था। परन्तु उस सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर केवल १९४.८९ लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी योजना के अंतिम दो वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के वित्तपोषण के लिये एक योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें राज्य सरकारों को उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर ऋण देने का प्रस्ताव था जोकि रोजगार के अवसरों की योजना के अन्तर्गत ग्राह्य थीं। इस सहायता को विभिन्न राज्य सरकारों को वचन दी गयी कुल केन्द्रीय सहायता के अन्दर ही रखना था। इस लिये समस्त राज्य सरकारों से अपने परियोजना प्रतिवेदन, जिनमें उनकी योजनाओं का ब्योरा दिया हुआ हो, भेजने और यह संकेत करने का अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावित सहायता का केन्द्रीय सहायता द्वारा पूर्व निर्धारित केंद्रीय सहायता की अधिकतम सीमा में किस प्रकार समायोजन किया जाये। महाराष्ट्र सरकार ने १९६०-६१ में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये ८७.०० लाख रुपये के ऋण के लिये प्रार्थना की थी। उसे मंजूर नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने प्रारम्भ किये जाने के लिये प्रस्तावित योजनाओं का ब्योरा नहीं दिया था।

(ग) अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। परन्तु तीसरी योजना में इस जिले में लगभग नौ गांवों में बिजली लगाये जाने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†१२७२. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में वर्ष १९६१-६२ में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और कितनी सहायता देने का विचार है ; और

(ख) कौन-कौन सी परियोजनायें मंजूर की गई हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये वर्ष १९६१-६२ के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। मध्यम सिंचाई योजनाओं का वित्तपोषण विविध विकास योजनाओं के लिये ऋण के माध्यम से किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार को १९६१-६२ में उपलब्ध किये जाने वाले विविध विकास ऋण की राशि अभी तक निश्चित नहीं की गई है।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना की तीसरी योजना में जारी मध्म सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित दूसरी योजना की मध्यम सिंचाई परियोजनायें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हैं :

(१) बोर परियोजना।

(२) नलगंगा।

(३) पिंडराबोडी।

(४) मनार प्रकमी।

(५) वान परियोजना।

(६) गुल्हाटी।

(७) भेखरी।

(८) खेलना।

(९) अपर दूधना।

(१०) सिन्ध फन्ना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(११) काडा ।

(१२) हरनी ।

(१३) जीवराखा ।

(१४) सूखना परियोजना ।

(१५) तिरना ।

(१६) चांदनी ।

(१७) मोहेसंगवी ।

(१८) गंगापुर प्रक्रम २ ।

(१९) एकबुर्जी ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की कोई नई योजना सरकार से जांच एवं अनुमोदन के लिये प्राप्त नहीं हुई है ।

विविध विकास योजनाओं के लिये ऋण सहायता किसी विशेष योजना के लिये निश्चित नहीं की जाती है ।

महाराष्ट्र की १९६१-६२ के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†१२७३. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का ब्योरा पेश किया है जो वह १९६१-६२ में प्रारम्भ करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्व रेलवे में स्वास्थ्य एकक

†१२७४. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में रेलवे बोर्ड के निदेश के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने स्वास्थ्य एकक खोले गये हैं ; और

(ख) उस योजना के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५९-६०--६ ।

१९६०-६१--४ ।

(ख) तीन स्वास्थ्य एककों के लिये २,४१,७१४ रुपये आवंटित किये गये थे और शेष सात का उपबन्ध वर्तमान उपलब्ध स्थान में किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औरंगाबाद स्टेशन पर कुली

†१२७५. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के औरंगाबाद स्टेशन पर कितने कुलियों को लाइसेंस मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) क्या यह संख्या आने और जाने वाले यात्रियों के सामान को संभालने के लिये पर्याप्त समझी जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३० ।

(ख) जी हां, इस समय आवश्यकता होने पर रेलवे संख्या बढ़ा सकती है ।

रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१२७६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या १९ मई, १९६१ को या उसके आस पास बालासोर से लगभग १५ मील दूर सबीरा स्टेशन के निकट एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का कारण क्या था ;

(ग) उस दुर्घटना में जन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ;

(घ) दुर्घटना के पश्चात् लाइन पर कितनी देर तक यातायात बन्द रहा ; और

(ङ) इस कारण कितनी रेल गाड़ियां लेट हुईं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १८-५-६१ को (१९-५-६१ की नहीं) डाउन ओर स्पेशल[1] मालगाड़ी सबीरा स्टेशन पर पटरी से उतर गई थी ।

(ख) रेलवे कर्मचारियों की गलती ।

(ग) कोई व्यक्ति मरा नहीं । रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का निर्धारण १००० रुपये किया गया है ।

(घ) आठ घंटे पच्चीस मिनट ।

(ङ) पांच यात्री गाड़ियों को रुका रहना पड़ा । इस कारण सेक्शन पर कुछ मालगाड़ियां रोक ली गईं ।

कलकत्ता पत्तन के लिए कार्यानुसार मजूरी योजना

†१२७७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में लदान और उतराई के कार्य में लगे हुये मजदूरों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई नई कार्यानुसार मजूरी योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कब लागू किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस योजना से जहाजों के चक्कर बढ़ जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Down ore Special.

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)**: (क) जी, हां। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने अपने माल ढोने वाले मजदूरों के लिये एक प्रोत्साहन टनभार योजना तैयार की है ।

(ख) मूलतः यह योजना १५ जून, १९६१ को लागू की जानी थी। मजदूर संघों द्वारा कुछ अभ्यावेदन किये जाने के कारण योजना का लागू किया जाना अग्रेतर चर्चा किये जाने तक के लिये स्थगित कर दिया गया। मुख्य श्रम आयुक्त, संबन्धित संघों के प्रतिनिधि और पत्तन आयुक्तों ने मुख्य प्रश्नों पर चर्चा की है। परन्तु मतभेद होने के कारण यह मामला निर्णय हेतु सरकार को निर्दिष्ट किया गया है। आशा है कि निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा और तत्पश्चात् यह योजना पत्तन आयुक्तों द्वारा लागू की जा सकीती है ।

(ग) पत्तनआयुक्तों द्वारा निर्मित योजना के मुख्य उद्देश्य वर्तमान कार्यानुसार मजूरी योजना के दोषों को दूर करना और मजदूरों को अधिक कार्य करने की अतिरिक्त प्रेरणा देना है। आशा है कि इस योजना के लागू होने से मजदूरों के कार्य की मात्रा बढ़ेगी और जहाजों के चक्कर भी बढ़ सकेंगे।

ट्रान्सिस्टर रेडियो के लाइसेंस

१२७८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रान्सिस्टर रेडियो सेटों के लिये लाइसेंस फीस अलग से निश्चित नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिये उनकी लाइसेंस फीस कम करना चाहती है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नही ।

रेडियो लाइसेंस

१२७९. श्री क० भे० मालवीय : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६१ से जून, १९६१ तक कितने रेडियो सेट बिना लाइसेंस के पकड़े गये ; और

(ख) इन रेडियो सैटों के मालिकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५५३८ ।

(ख) उन रेडियो सेटों के मालिकों से शेष लाइसेंस फीस और अधिभार जमा करके लाइसेंस लेने के लिये कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस लेने से इन्कार करता है तो मामले को उसके औचित्य के अनुसार अदालत में ले जाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल गाड़ियों में रेडियो सेट

१२८०. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना विचाराधीन है कि लम्बे सफर वाली रेलगाड़ियों में रेडियो लगाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) से (ग). हावड़ा-नई दिल्ली-मद्रास के बीच चलने वाली वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों के एक वातानुकूल डिब्बे में, प्रयोग के रूप में २-४-६० से आकाशवाणी के समाचार और संगीत रिले किये जा रहे हैं। इस डिब्बे में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। इस प्रयोग के परिणाम और इस के सम्बन्ध में जनता की प्रतिक्रिया मालूम हो जाने के बाद इस योजना को दूसरी वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियों में शुरू करने के सवाल पर विचार किया जायेगा। दूसरी गाड़ियों में इस सुविधा की व्यवस्था करना संभव नहीं है, क्योंकि खिड़कियों के रास्ते डिब्बे में बाहर से जो आवाज़ आती है, उस पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है।

रेडियो

†१२८१. **श्री चुनी लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो लाइसेंस फीस की छूट किस प्रकार के रेडियो सेटों के लिये दी गई है ;

(ख) क्या यह पुराने रेडियो सेटों को नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) लाइसेंस फीस की छूट भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त रेडियो व्यापारियों से खरीदे गये नये ऐसे रेडियो सेटों पर दी गई है जिन का मूल मूल्य (समस्त करों सहित परन्तु स्थानीय करों के अतिरिक्त) १२५ रु० से अधिक न हो।

(ख) नहीं।

(ग) क्योंकि पुराना सेट खरीदने पर, चाहे वह १२५ रु० या कम में खरीदा गया हो, उसका मूल्य उस से कहीं अधिक होगा। इस प्रकार वह 'सस्ते सेटों' की श्रेणी में नहीं आयेगा।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†१२८२. **श्री चुनी लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंशदायी स्वास्थ्य का एक औषधालय पर, जो दस हज़ार लाभानुभोगियों की सेवा करता है, प्रति वर्ष कितना व्यय होता है और उस में कितना लाभानुभोगियों का अंश होता है और कितना सरकार का ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के खाते औषधालयवार नहीं अपितु समूची योजना के लिये रखे जाते हैं। अतः अपेक्षित जानकारी देना संभव नहीं है। इस के अतिरिक्त, एक औषधालय के लाभानुभोगियों की संख्या प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न है और यह अनिवार्यतः १०,००० नहीं है। फिर भी, लगभग १०,५०० लाभानुभोगियों की सेवा करने वाले एक औषधालय का औसत व्यय लगभग १.६० लाख रु० होगा जिसमें सरकारी अस्पतालों में

---

†मूल अंग्रेजी में

चिकित्सालयीयन का व्यय सम्मिलित नहीं है । लाभानुभोगियों से प्राप्त होने वाली राशि व्यय की लगभग ५० प्रतिशत होती है ।

होम्योपैथिक औषधियां और योगाभ्यास

†१२८३. **श्री चुनी लाल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य बनाये रखने और रोगों की चिकित्सा करने में निम्नांकित बातों की प्रभावोत्पादकता के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच गई है :—

(१) होम्योपैथिक औषधियां ;

(२) योगाभ्यास ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे पर वाटर कूलर

†१२८४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर १९६०-६१ में वाटर कूलर (पानी ठंडा करने की मशीनें) लगाये गये हैं ; और

(ख) १९६१-६२ में कितने स्टेशनों पर वाटर कूलर लगाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) तीन ।

(ख) एक ।

दिल्ली का चिड़िया घर

†१२८५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त के आरम्भ में भारी वर्षा होने के कारण दिल्ली के चिड़ियाघर में पशु, पक्षियों आदि के निवास स्थानों सहित सब जगह पानी भर जाने पर उन्हें सूखे स्थान पर रखने के लिये वहां के प्राधिकारियों ने क्या उपाय अपनाये ; और

(ख) क्या चिड़ियाघर में उपरोक्त स्थिति के कारण किसी पशु, आदि की मृत्यु भी हुई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) निम्न उपाय अपनाये गये :—

(१) जलमग्न निवास स्थानों के सारे पशु सूखे स्थानों पर पहुंचाय गये ;

(२) खाइयों से पम्पों से पानी निकाला गया ; और

(३) पशुओं को ठंड न हो, इसके लिये पर्याप्त रोग निरोधक उपाय किये गये ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर राज्य में रज्जु मार्ग

†१२८६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्विस रज्जु-मार्ग विशेषज्ञ ने मैसूर राज्य में दो स्थानों पर लगभग ३००० फीट की ऊंचाई से मैदानों में लोह-अयस्क पहुंचाने की संभावनाओं का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन स्थान हैं ; और

(ग) इस योजना को लागू करने में क्या निश्चय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक स्विस रज्जु-मार्ग विशेषज्ञ ने (१) शिमोगा जिले के होसागार में कोटबड़े खानों (२) मैसूर में उत्तर कनारा जिले में होनावर के पास अपसरा कोंडा से लोह अयस्क ले जाने के लिये रज्जु-मार्ग बनाने के लिये मार्ग-रेखा का सर्वेक्षण किया है । विशेषज्ञ की रिपोर्ट मैसूर सरकार के विचाराधीन है ।

पूर्व रेलवे पर निन्द्रा स्टेशन पर रेल गाड़ियों की टक्कर

१२८७. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे की देहरी-बरकाकाना लाइन पर निन्द्रा स्टेशन के समीप कोई मालगाड़ी किसी ट्रक से गत १३ मई, १९६१ को टकरा गई थी ;

(ख) इस दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(ग) इस में कितने व्यक्ति मरे और घायल हुए ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां, ११-५-६१ को, न कि १३-५-१९६१ को ।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि ट्रक का ड्राइवर उस समय रेलवे लाइन को पार करने की कोशिश कर रहा था जब एक गाड़ी उधर से आ रही थी और समपार के बहुत करीब पहुंच चुकी थी । उस समपार पर कोई चौकीदार नहीं रखा गया है ।

(ग) ७ व्यक्ति मर गये और १६ घायल हुए ।

सिक्किम और भूटान में वर्षा तथा गाद जांच केन्द्र[1]

†१२८८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम और भूटान में अनेक वर्षा तथा गाद जांच केन्द्रों को चलाने की वित्तीय

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rain and Silt Obsevation Stations.

तथा प्रशासी ज़िम्मेदारी के बारे में कोई ऐसा व्यवहार्य करार हो गया है जिसके लिये पश्चिम बंगाल से मांग की गई थी और जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं माना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार हुआ है ; और

(ग) इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). नेपाल, सिक्किम और भूटान की सरकारों की सहमति से भारत सरकार ने भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्य के आयोजन के लिये अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के लिये उन देशों में कुछ जल-विज्ञान तथा ऋतु-विज्ञान केन्द्र (वर्षा तथा गाद परीक्षा केन्द्रों सहित) स्थापित किये हैं। इन केन्द्रों से एकत्रित की गई जानकारी अनिवार्य रूप से सम्बन्धित राज्यों के लिये अर्थात्, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश बाढ़-नियंत्रण के उपायों का आयोजन करने में लाभदायक है। भारत सरकार ने, जिसने १९५५-५६ से इन केन्द्रों का व्यय उठाया है, १९६० में सम्बन्धित राज्य सरकारों से इन केन्द्रों का भावी रखरखाव -व्यय उठाने की प्रार्थना की थी। इस बारे में राज्य सरकारों से वार्ता हो रही है।

चर्खी-दादरी टेलीफोन एक्सचेंज

†१२८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चर्खी-दादरी का टेलीफोन एक्सचेंज एक किराये की इमारत में काम कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो चर्खी-दादरी में विभागीय कार्यालय-भवन निर्माण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) विभागीय इमारत बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

चंडीगढ़ के बड़े डाकघर की इमारत

†१२९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ में बड़े डाकघर/डी०टी०ओ० की छोटी इमारत के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : इसके लिये जगह देने के लिये राज्य सरकार से वार्ता हो रही है।

राजस्थान नहर को कांड़ला बन्दरगाह तक बढ़ाना

†१२९१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यस्थान नहर का काण्डला बन्दरगाह तक बढ़ाने के प्रस्ताव की टेक्निकल संभावना की इस बीच जांच पड़ताल हो गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुरली-बैजनाथ-लटूर रेलवे लाइन

†१२९२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या रेलवे मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरली-बैजनाथ को लटूर से मिलाने के बारे में इस बीच कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ठंडे गोदाम

†१२९३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, बंगलौर और हैदराबाद में ठंडे गोदामों की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : आवश्यक जांच पड़ताल पूरी हो गई है और स्थानों को चुनने और प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली रिंग रेलवे

†१२९४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्र से सिंगल सामग्री हटाने के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय से कोई बात चीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) दिल्ली रिंग रेलवे बनाने के बारे में क्या अन्तिम निश्चय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). प्रतिरक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बीच वार्ता होने के बाद आवश्यक समायोजन किये गये हैं। दिल्ली मथुरा लाइन को दिल्ली क्षेत्रों में शकूर बस्ती और बदली (रिंग रेलवे) से मिलाने के लिये माल-यातायात को अलग करने वाली लाइनों (गुड्स अवाइडिंग लाइन्स) का बनाना स्वीकृत हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ के लिये पंजाब की बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†१२९५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बी० चं० शर्मा :

†क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ११ फरवरी, १९६१ के अताराकत प्रश्न संख्या ३०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने इस बीच उन बाढ़-नियंत्रण योजनाओं का ब्योरा पेश कर दिया है जिन्हे वह १९६१ में आरम्भ करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या ये योजनायें अब तक अनुमोदित हो गई हैं ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चरखी दादरी के पास निचला पुल

†१२९६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री २१ फरवरी १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चरखी दादरी के पास नया निचला पुल बनाने के बारे में चरखी दादरी की नगर पालिका का उत्तर मिलगया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) नगरपालिका के साथ १४–४–१९६१ को हुई संयुक्त बैठक में यह निश्चित हुआ था कि यार्ड के पार रेलवे पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिये एक उपमार्ग से काम चल जायेगा । विद्यमान फाटक से गाड़ी यातायात की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं । वर्तमान नियमों के अनुसार इस उपमार्ग की लागत पूर्णतया नगरपालिका भरेगी क्यों कि यह फाटक के स्थान पर नहीं होगा । नगरपालिका का कहना है कि वे भार उठाने में असमर्थ हैं ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली को भाखड़ा की बिजली

†१२९७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६१ में भाखड़ा की जिस ४०,००० किलोवाट बिजली का अधिक संभरण करने का वचन दिया गया था क्या उसके संभरण में विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) दिल्ली को अधिक बिजली कब दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). मई, १९६१ में जिस ४०,००० किलोवाट बिजली के संभरण की आशा थी उसमें केवल ६,००० किलोवाट बिजली दिल्ली में उस मास में आई। और ९,००० किलोवाट बिजली १३ अगस्त को आई। भाखड़ा बिजली घर के बायें किनारे में तीसरे विद्युत जनक एकक के चालू होने में बिलम्ब होने के कारण विलम्ब हुआ। और बिजली प्राप्त होने का प्रोग्राम निम्न है :—

(१) नवम्बर, १९६१ में ५,००० किलोवाट ।

(२) जून, १९६२ में २०,००० किलोवाट ।

दिल्ली में कृषि कालिज

†१२९८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में एक कृषि कालिज खोलने की योजना अन्तिम रूप से निश्चित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह कब और कहां खोला जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) दिल्ली में कोई सरकारी कृषि कालेज खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे मंत्री की कल्याण तथा सहायता निधि

†१२९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्री की कल्याण तथा सहायता निधि नामक कोई नई सहायता निधि हाल में बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई निधि का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) अब तक इस निधि में कुल कितनी राशि जमा की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां ।

(ख) और (ग). रेलवे मंत्री कल्याण तथा सहायता निधि एक गैर-सरकारी निधि है। यह निधि ऐसे रेलवे कर्मचारियों की सहायता करने के लिये उपदानों से बनाई गई है जिन्हें रेलों पर लागू सामान्य नियमों या विनियमों के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं दी जा सकती है ।

माल डिब्बों का लदान

†१३००. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल-डिब्बों के 'टर्नराउन्ड' (आने-जाने) में सुधार करके वैगनों का लदान बढ़ाने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). वैगनों का लदान बढ़ाने के उपायों में वैगनों के 'टर्नराउन्ड' में सुधार करना एक उपाय है। वैगनों के वापस आने में सुधार करने के लिये रेलों को समय समय पर निम्न कार्यवाही करने के लिये अनुदेश किये गये हैं :—

(१) मार्शलिंग यार्डों और मंजिल-स्टेशनों पर वैगनों को रोकना कम करना।

(२) वैगनों का शीघ्र लदान तथा खाली करना सुनिश्चत करना।

(३) खाली वैगनों के जाने की दिशा में लदान बढ़ाना।

(४) अधिक दूरी के लिये पूरी गाड़ी बनाना जो बीच के स्टेशनों (यार्डों) को छोड़ सके।

अन्दमान का वन विभाग

†१३०१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान के वन विभाग में लगाये गये लकड़ी को पक्की बनाने के कारखाने में पक्की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे देचने और उसका प्रयोग लोक-प्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) नहीं, श्रीमान्। २४—६—१९६१ को स्टाक में केवल ४५ टन ४३.८० हंडरवेट पक्की लकड़ी थी जो लकड़ी पक्की बनाने के कारखाने की एक मास क्षमता से कम थी।

(ख) द्वीपों और देश में पक्की लकड़ी का प्रयोग लोक-प्रिय बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सारे विभागीय भवन, आदि का निर्माण, पक्की लकड़ी से हुआ है। स्थानीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी इमारतों आदि के निर्माण के लिये पक्की लकड़ी लेना आरम्भ कर दिया है। स्थानीय जनता ने भी पक्की लकड़ी थोड़ी थोड़ी लेनी आरम्भ कर दी है। देश में इमारतें पूर्णतया पक्की लकड़ी से बनी थी। उनमें से एक नई दिल्ली में विश्व कृषि मेला में थी और दूसरी कृषि मेला, कलकत्ता में थी। ये प्रचार के लिये बनाई गई थीं।

नदी जोनों की सिंचाई और बिजली क्षमता का अध्ययन

†१३०२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के अताराकित प्रश्न संख्या २२३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नदी खण्डों तथा उपखंडों की सिंचाई तथा विद्युत संभाव्यता के समूचे अध्ययन के कार्य में अद्यतन क्या प्रगति हुई है?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : २२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३३ के उत्तर में दी गई जानकारी के अतिरिक्त, अध्ययन में निम्न प्रगति हुई है:—

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई की क्षमता

ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान

रिपोर्ट का संकलन प्राय समाप्त हो गया है ।

बिजली क्षमता

स्थानवृत मानचित्रों अध्ययनों के आधार पर जो तत्काल उपलब्ध हैं, देश में नदी के मैदानों की बिजली संभाव्यताओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

कोसी परियोजना से नेपाल क्षेत्र में नहर का निर्माण

†१३०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी परियोजना से नेपाल क्षेत्र में ४० मील लम्बी नहर के निर्माण में इस बीच कोई प्रगति हुई है ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : ३५ मील लम्बी नहर का विस्तृत सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल पूरी हो गई है। १६ सहायक नदियों में से ४ का सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल पूरी हो गई है। नेपाल की सरकार का नहर बनाने के लिये अनुमोदन प्राप्त होने पर नहर की खुदाई आरम्भ होगी ।

नारनौल तथा अतेली के बीच नया स्टेशन

†१३०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के रीवाड़ी-फुलेरा सेक्शन के नारनौल और अतेली स्टेशनों के बीच एक नया रेलवे स्टेशन खोलने के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : १५-७-१९६१ से नारनौल और अतेली स्टेशनों के बीच ठेकेदार द्वारा संचालित हाल्ट स्टेशन खोला गया है ।

रोम में बांध सम्बन्धी सम्मेलन

†१३०५. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोम में बांध संबंधी सम्मेलन में भाग लेने के लिये कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां।

(ख) निम्नलिखित अधिकारियों का एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल रोम में जून-जुलाई में हुए बड़े बान्ध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सातवें सम्मेलन में भाग लेने के लिये अध्ययन यात्रा में सम्मिलित होने के लिये भेजा गया था :—

(१) डा० के० एल० राव, सदस्य, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, नई दिल्ली।

(२) श्री वी० रंगनाथन, प्रमुख इंजीनियर, केरल राज्य विद्युत बोर्ड।

(३) श्री आर० एस० गिल, प्रमुख इंजीनियर, व्यास बान्ध परियोजना, पंजाब।

बैठक में ४६ देशों के ११०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कंक्रीट उप-समिति की बैठक में बान्धों में प्रयोग होने वाले मिश्रण पर, उनके अनुपात, मिश्रण समय, 'एयर एन्ट्रेन्मेन्ट' की मात्रा बनने वाली कंक्रीट की शक्ति तथा जल-बंद आदि को ध्यान में रख कर, विचार विमर्श किया गया। भारतीय प्रतिनिधियों ने भारत में प्रयोग होने वाले मिश्रण के बारे में बताया।

निम्नलिखित चार विषयों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया :—

(१) बान्धों में कंक्रीट के लिये मिलावा का चुनाव तथा परिष्करण।

(२) जमीन नीचे के काम।

(३) बान्ध बनाने की आधुनिक प्रविधियां।

(४) डाकर तथा अन्य परतें।

विभिन्न देशों के अनुभवों तथा घटनाओं पर विचार विमर्श हुआ। भारत ने चार पत्र पेश किये जिनमें से तीन पहिले विषय पर और एक तीसरे विषय पर था। इनमें भारत में हुए विकास तथा प्राप्त हुई जानकारी का उल्लेख था। भारतीय प्रतिनिधियों ने चर्चा में सक्रिय भाग लिया।

कान्फ्रेंस के बाद अध्ययन यात्रा आयोजित की गई जिसमें इटली में कुछ महत्वपूर्ण बान्धों की यात्रा सम्मिलित थी। भारतीय प्रतिनिध मंडल ने वृताकार तथा गुंबदनुमा बान्धों के निर्माण की प्रविधियों, बान्धों के प्रयोग की जांच के लिये प्रयोग में लाई गई बड़ी बड़ी मशीनों और इटली में इस गैल प्रयोगशाला में किये गये बड़े बड़े रचनात्मक परीक्षणों का गहन अध्ययन किया ताकि पर्याप्त और कम व्यय वाले डिजाइन बनाये जा सकें।

ग्रामीण संस्थाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

†१३०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं के लिये ग्रामीण संस्थाओं में डिप्लोमा पाठ्य-क्रम आरम्भ करने का विचार है और उनके लिये छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**सामदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) नहीं, श्रीमान्। सभी ग्रामीण संस्थाओं में डिप्लोमा पाठ्य-क्रम पहिले से ही हैं। अब मंत्रालय गांवों में काम करने वाले चुने हुए कार्यकर्त्ताओं को ग्रामीण संस्थाओं में डिप्लोमा पाठ्य-क्रम में प्रवेश पाने में समर्थ बनाने के लिये छात्रवृति देने की प्रारम्भिक योजना कार्यान्वित कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना का ब्योरा निम्न है :—

(१) प्रारम्भिक योजना में १०० रु० प्रति वर्ष की ३०० छात्रवृत्तियां गांवों में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं को देने की व्यवस्था है। इन छात्रवृत्तियों के लिये धन फोर्ड प्रतिष्ठान ने दिया है। ये छात्रवृत्तियां ऐसे मैट्रिक, इन्टरमीडियेट कार्यकर्त्ताओं को ग्रामीण संस्थाओं और कृषि कालिजों में अध्ययन करने के लिये दी जायेंगी जिन्हें क्षेत्रीय कार्य का पांच वर्ष का अनुभव हो।

(२) ग्रामीण संस्थाओं तथा कृषि कालिजों में प्रवेश के लिये चुनाव संस्थायें/कालिज परीक्षा या मौखिक परीक्षा द्वारा, जो भी राज्य सरकार के परामर्श से निश्चित हो, किया जाता है।

(३) १९६०–६१ में ग्रामीण संस्थाओं में ८० और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में २० छात्रवृत्तियां दी गईं।

(४) क्योंकि ग्रामसेवक प्रशिक्षिण केन्द्रों में गांवों में काम करने वाले कार्यकर्त्ता दो वर्ष तक प्रशिक्षण ले चुके हैं और उनके पांच वर्ष के क्षेत्र अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात् मैट्रिक व्यक्ति ग्रामीण संस्था का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्य-क्रम दो वर्ष में और इन्टरमीडियेट व्यक्ति उत्तर प्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय का तीन वर्ष का बी०एस०सी० कृषि पाठ्य-क्रम दो वर्ष में पूरा कर सकते हैं।

(५) गांवों में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं पर अध्ययन करते समय संबंधित राज्य के छुट्टी नियम लागू होंगे। जहां आवश्यक हो, वहां उनके लिये छुट्टी नियम भी ढीले किये जायेंगे। अध्ययन अवकाश का वेतन राज्य सरकारें देंगी।

(६) चुने गये ग्रामसेवकों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि. उनके पाठ्य-क्रम में प्रवेश पाते समय भत्तों सहित मूल वेतन और अध्ययन अवकाश वेतन के अन्तर एवं ५० रु० तक के मासिक अन्य भत्तों के योग के बराबर होगी।

(७) विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई छात्रवृत्तियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८**]।

पंजाब में विद्युत् परियोजनायें

†१३०७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी पंजाब की विद्युत् परियोजनाओं की क्या संख्या और नाम हैं, और

(ख) पंजाब में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये केन्द्र ने क्या पग उठाये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). पंजाब में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये उस राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित नयी विद्युत् उत्पादन योजनायें शामिल की गयी हैं :—

(१) भाखड़ा दाहिना किनारा बिजली घर (४ × ७० किलोवाट का पंजाब का अंश)

†मूल अंग्रेजी में

(२) व्यास परियोजना (२४० मिलोवाट का पंजाब का अंश)

(३) बड़ी दोआब नहर पर विद्युत् उत्पादन (२२ मिलोवाट) और पश्चिमी यमुना नहर (१२ मिलोवाट)

(४) उहल नदी परियोजना--दूसरी प्रावस्था (४० मिलोवाट)

(५) विद्युत् तापीय उत्पादन (५०/६० मिलोवाट)

(६) डीज़ल सेट (१० मिलोवाट) और माइक्रो हाईडल्स

(७) फरीदाबाद में विद्युत् तापीय केन्द्र (१५ मिलोवाट)

लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में कर्मचारी

†१३०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग कालिज, नई दिल्ली में इससे सम्बन्धित विभिन्न डिस्पेन्सरियों से विशेषज्ञों के पास भेजे गये रोगियों की संख्या के लिये कर्मचारी अपर्याप्त हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार भेजे गये रोगियों को अस्पताल में अपनी बारी के लिये घंटों इंतजार करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार रोगियों द्वारा अधिक प्रतीक्षा करने को दूर करने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी, नहीं । अन्य डिस्पेन्सरियों से भेजे गये रोगियों को अन्य रोगियों की अपेक्षा अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है जब तक उन्हें किसी विशेष जांच के लिये अथवा किसी विशेष विशेषज्ञ के पास न भेजा गया हो ।

(ख) जी नहीं । बाह्य रोगी विभाग में रोगियों को अन्य रोगियों के साथ अपनी बारी लेनी होती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में यात्रियों की भीड़ भाड़

†१३०९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेन से उपनगरों में जाने वाली और उपनगरों से दिल्ली मेन आने वाली गाड़ियों में यात्रियों की बहुत अधिक भीड़भाड़ रहती है ;

(ख) क्या इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). कुछ अवसरों पर, कुछ गाड़ियों में भीड़भाड़ देखी गयी और स्थिति को सुधारने के लिये पग उठाये जाने पर, जैसे भार में वृद्धि करके गाड़ियों की क्षमता बढ़ाना, अधिक बार गाड़ियां चलाना और अपेक्षित संसाधनों को विकसित करने, सक्रिय रूप से परीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सहकारी कृषि अग्रिम परियोजना एकक

†१३१०. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल के लिये पंजाब को सहकारी कृषि का प्रयोग करने के लिये अग्रिम परियोजना एकक आवंटित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या संख्या है और ये प्रमुख प्रयोजना एकक स्थापित करने के लिये पंजाब को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(ग) ये एकक किन स्थापित पर एकत्र किये जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) तृतीय योजना में पंजाब में लगभग १० समितियों वाली २० अग्रिम परियोजनाओं का संगठन किया जायेगा। इस के लिये ३३.६० लाख रुपये का वित्तीय उपबन्ध किया गया है।

(ग) चालू वर्ष में निम्नलिखित जिलों में ४ प्रमुख योजनायें आरम्भ की जायेंगी :

१. करनाल जिला--नीलोखेड़ी खंड ।

२. पटियाला जिला--पटियाला खंड ।

३. जालंधर जिला--गोराया खंड ।

४. अमृतसर जिला--नोशेवारा पुन्नुआ खंड ।

आगे के वर्षों के लिये कार्यक्रम बनाना और जिलों का चयन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर किया जायेगा ।

भांडागार

†१३११. **पंडित द्वा०ना० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भांडगार निगम (केन्द्रीय) द्वारा वर्ष १९६१-६२ में विशेष रूप से निर्मित भंडारों समेत कितने भांडागार स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) क्या इनके लिये स्थान चुन लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) केन्द्रीय भांडागार निगम का वर्ष १९६१-६२ के प्रथम चार महीनों में स्थापित किये गये १० भांडागारों के अतिरिक्त १० और भांडागार स्थापित करने का प्रस्ताव है और उनके लिये जांच पड़ताल जारी है।

पांच केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास और कलकत्ता में शीत भंडार खोलने के लिये जांच पड़ताल पूरी हो गयी है और स्थानों के चयन के लिये पग उठाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में आम हड़ताल

†१३१२. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पांगरकर :
श्री प० ला० बारूपाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे कर्मचारियों की क्या संख्या है जिन्हें ३१ जुलाई, १९६१ को जुलाई, १९६० में, आम हड़ताल में भाग लेने के लिये पृथक पृथक बर्खास्त किया गया अथवा मुअत्तिल किया गया ;

(ख) क्या सम्बन्धित प्रशासनों ने उपरोक्त कर्मचारियों के मामलों पर फिर विचार किया है ; और

(ग) उनमें से कितनों ने रेलवे बोर्ड के पास अपील की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) केवल जुलाई १९६० की हड़ताल में भाग लेने के लिये किसी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिनको हड़ताल के सम्बन्ध में दुराचारण का दोषी पाया गया। ३१-७-६१ को सभी रेलवे पर स्थिति निम्न प्रकार है :

(१) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें सेवा से निकाला गया :

मुअत्तिली--१८
बर्खास्तगी--५६

निकाले गये (मुअत्तिली और बर्खास्तगी के अतिरिक्त)--६

(२) ३१-७-६१ को विलम्बनाधीन कर्मचारियों की संख्या--१०

(ख) पिछली आम हड़ताल के सम्बन्ध में सभी कर्मचारियों के विरुद्ध किये गये मामलों का सरकार की आम नीति के अनुसरण में सम्बन्धित रेलवे प्रशासनों द्वारा पुनर्विलोकन किया गया और जहां उचित समझा गया, कार्यवाही का समर्थन किया गया।

(ग) रेलवे बोर्ड में किसी ने अपील नहीं की है।

बिना टिकट यात्रा

†१३१३. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य और पूर्व रेलवे पर बिना टिकट यात्रियों ने अधिकांश टिकट निरीक्षकों को पीटा ; और

(ख) यदि हां, तो उनको उस कठिनाई से निकालने और उनके जीवन की रक्षा के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं। तथापि कुछ मामले हुए हैं जहां टिकट निरीक्षकों को बिना टिकट यात्रियों ने कष्ट दिया और पीटा।

(ख) उठाये गये पगों में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने में सहायता के लिये रेलवे सुरक्षा बल के रक्षकों और सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाहियों को भेजना और जहां आवश्यक हो जिला अधिकारियों और राज्य सरकारों से सहायता मांगना शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य रेलवे पर बिना टिकट यात्रियों पर मुकदमा

†१३१४. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे पर बिना टिकट यात्रा करने के दोषियों पर मुकद्दमें के लिये कोई पृथक रेलवे मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अपराधियों पर शीघ्र मुकद्दमा चलाने में यह बड़ी बाधा है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० राममस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां कुछ हद तक ।

(ग) दो मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, जिनका सदर मुकाम भोपाल और ग्वालियर में होगा, विचाराधीन है ।

दिल्ली में नये 'गाइड बैंक' का निर्माण

†१३१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर को संभरित किये जाने वाले पानी को सुरक्षित रखने के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना-काल में दिल्ली में वजीराबाद बांध के अतिरिक्त एक नये 'गाइड बैंक' के निर्माण की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि, हां, तो इस योजना की लागत क्या है; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस कार्य पर ६,७०,२५० रुपये लागत आने का अनुमान है ।

(ग) प्राक्कलन की जल संभरण और नाली व्यवस्था उपक्रम जांच कर रहा है ।

डाकू आतंक वाले क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विकास

†१३१६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के परामर्श से उन राज्यों में डाकू आतंक वाले क्षेत्रों में संचार सुविधाओं (सड़क और पुल) का विकास करने की एक योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की लागत क्या है; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस बारे में केवल एक योजना, अर्थात भिंड-इटावा सड़क पर चम्बल और यमुना नदियों पर पुल बनाना, विचाराधीन है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यमुना पुल पर लागत का अनुमान ३५ लाख रुपये है और चम्बल पुल पर ७५ लाख रुपये है ।

(ग) देखिये उत्तर (क) ।

जिला अस्पतालों में दांत चिकित्सालय

†१३१७. **श्री कोडियान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय योजना में शामिल की गयी राज्यों में जिला अस्पतालों में दन्त चिकित्सालय स्थापित करने की योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित की गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्र ने कुल कितना व्यय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) द्वितीय योजना-काल में स्थापित किये जाने के लिये १५३ दन्त चिकित्सालयों में से वास्तव में ८० चिकित्सालय स्थापित किये गये ।

(ख) कमी के करण मुख्यत : अर्ह डाक्टरों की कमी और राज्य सरकारों से अपर्याप्त मात्रा में उत्तर हैं ।

(ग) वर्ष १९५६–५७ से १९५८–५९ तक विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय राज्य सहायता के रूप में ९८,२९५ रुपये दिये गये । वर्ष १९५८–५९ के बाद से केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता एकमुश्त दी जाती है और पृथक योजनाओं के लिये नहीं । राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पृथक योजनाओं पर धन व्यय करने के लिये स्वतन्त्र हैं ।

भारतीय पौधों का निर्यात

१३१८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पौधे बड़ी संख्या में रूस भेजे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है ।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). भारतीय पौधों का यू० एस० एस० आर० को निर्यात सीमित संख्या में हुआ है और ये प्रयोगिक है तथा प्रजनन के लिये हैं और यह अधिकांशत: लेन देन के आधार पर किया गया है ।

गाड़ियों में डकैतियां

†१३१९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में डकैतियों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो १५ जून, १९६१ तक वर्ष १९६१ में ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं; और

(ग) उस बारे में सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां । पुलिस द्वारा रजिस्टर किये गये मामलों से वृद्धि का पता चलता है ।

(ख) ७

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यात्री गाड़ियों में अपराध रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है और वे रेलवे प्रशासनों और रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से अपराध रोकने के लिये सब संभव उपाय कर रहे हैं। रेलवे यात्रा को यथासंभव सुरक्षित बनाने के लिये रेलवे प्रशासन ने भी निम्नलिखित पग उठाये हैं।

(१) डिब्बों में सुरक्षात्मक तरीकों की व्यवस्था की गयी है ताकि अवांछित व्यक्ति डिब्बों में अवैध रूप से प्रवेश न कर सकें।

(२) हाल ही में एक नयी व्यवस्था की गयी है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों के जनाने डिब्बों में दबाने वाले बटन लगाये गये हैं जिनके दबाने से गार्ड के डिब्बे में और साथ के डिब्बे में घंटी बजनी शुरू हो जाती है और डिब्बे के बाहर लाल बत्ती जलती है जिससे यह पता चलता है कि सहायता की कहा पर आवश्यकता है।

(३) कन्डक्टर गार्डों और टिकट निरीक्षकों को महिला यात्रियों पर, विशेषत: जब वे अकेली यात्रा कर रही हों, विशेष ध्यान रखने के आदेश हैं।

(४) उच्च श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वाली महिलायें रात के समय अपने साथ तृतीय श्रेणी के टिकट वाला एक व्यक्ति साथ रख सकती हैं।

(५) लाउडस्पीकरों और नोटिसों द्वारा घोषणा की जाती है जिनसे यात्रियों को सजग रहने और जेब कतरों और अन्य गैर-सामाजिक तत्वों से सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है।

(६) अवैध रूप से खतरे की जंजीर खींचने पर जुर्माने को बढ़ाकर २५० रुपये कर दिया गया है।

(७) इस बात के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि आरंभ होने वाले स्टेशनों पर सभी रात्रि गाड़ियों का जिम्मेवार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाये ताकि यह देखा जाये कि उच्च श्रेणी के डिब्बों में, विशेषत: महिलाओं के लिये आरक्षित डिब्बों में कोई पाखाने में अथवा बर्थ के नीचे न छुपा हो।

(८) रेलवे सुरक्षा बल की गुप्तचर शाखा को आदेश हैं कि वह रेलवे पर चलने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखे और एकत्र की गयी जानकारी सरकारी रेलवे सुरक्षा बल को दे दे।

(९) आक्रामय सेक्शनों पर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के सैनिक गाड़ी के साथ चलते हैं।

(१०) अपराध वाले यार्डों और रेलवे लाइनों पर गश्त लगाने के लिये रेलवे सुरक्षा बल के के सशस्त्र व्यक्ति रखे गये हैं।

कानपुर के निकट गैंगमैन का रेलगाड़ी से कुचला जाना

†१३२०. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ मई, १९६१ को कानपुर के निकट झिन्झक रेलवे स्टेशन के पास राष्ट्रपति स्पेशल द्वारा एक गैंगमैन कुचला गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गयी है ; और

(ग) क्या कोई तदर्थ मुआवजा दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस दुर्घटना के बारे में की गयी जांच से पता चला कि एक डाउन गाड़ी द्वारा ५-५-६१ को लगभग २.३० बजे एक गैंगमैन कुचला गया जब कि राष्ट्रपति स्पेशल दुर्घटना स्थल से लगभग ४ बजे गुजरी ।

(ग) जी, हां ।

खांडसारी, मिश्री, बूरा आदि का अन्तर्राज्यिक परिवहन

†१३२१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खांडसारी, मिश्री, बूरा आदि के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर सभी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे चीनी के संभरण की स्थिति सुधरी है; और

(ग) किस हद तक ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ये प्रतिबन्ध हटाने से जितनी भी माग हो उस हद तक इन वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से लाने ले जाने का परिणाम निकला है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी

†१३२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिये केन्द्र द्वारा क्या ठोस सहायता दी गई है ;

(ख) क्या बिजली की कमी की स्थिति में सुधार हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में बिजली की कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो जावेंगी ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). बिजली की स्थिति नीचे बताई जाती है :—

प्रथम योजना के आरम्भ में

स्थापित क्षमता (एम डब्ल्यु)	वास्तविक क्षमता (एम डब्ल्यु)	मांग (एम डब्ल्यु)
१८३.८	१०३.६	१०५.५

प्रथम योजना के अन्त में—

स्थापित क्षमता (एम डब्ल्यु)	वास्तविक क्षमता (एम डब्ल्यु)	मांग (एम डब्ल्यु)
२८६	१६३	१४५

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय योजना के अन्त में--

स्थापित क्षमता (एम डब्ल्यु)	वास्तविक क्षमता (एम डब्ल्यु)	माग (एम डब्ल्यु)
३७८	२२०	३१२

उत्तर प्रदेश सरकार को रिहांद परियोजना के लिए १९५४-५५ से २,५७२ लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है। इसके अतिरिक्त विकास की विविध योजनाओं के लिए राज्य सरकार को ऋण पेशगी दिया गया है। केन्द्र ने यथासंभव विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त सीमेंट तथा इस्पात जैसी कमी वाली सामग्री के लिए भी सहायता दी गई थी।

(घ) उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना में बिजली की निम्नलिखित परियोजनायें शामिल कर ली गई हैं :--

१. रिहांद बांध परियोजना (२५० एम डब्ल्यु)
२. कानपुर इलैक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटैन्शन प्रोजैक्ट (१५ एम डब्ल्यु)
३. यमुना हाइडल क्रम १ } ३२० एम डब्ल्यु
   क्रम २ }
४. माताटिला पन-बिजली परियोजना (३० एम डब्ल्यु)
५. हरदुआ गंज एक्सटैन्शन क्रम १ (६० एम डब्ल्यु)
६. गंगा ग्रिड ट्रांसमिशन क्रम ४
७. रामगंगा पन-बिजली परियोजना (१२७.५ एम डब्ल्यु)
८. गाज़ियाबाद में डीज़ल स्टेशन (२५० एम डब्ल्यु)
९. सिंगरौली थरमल बिजली घर (२५० एम डब्ल्यु)
१०. हरदुआगज एक्सटैन्शन क्रम २ (३० एम डब्ल्यु)
११. ओबरा हाइडल (४८ एम डब्ल्यु)
१२. ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन योजनायें
१३. ग्राम्य विद्युतीकरण योजनायें
१४. छोटी पन-बिजली योजनायें

यमुना क्रम २ तथा रामगंगा परियोजना के अतिरिक्त अन्य सभी योजनाओं को तीसरी योजना में पूरा करने का आयोजन किया गया है।

कानपुर में ऊपरी पुल

†१३२३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कानपुर नगर में कुछ ऊपरी पुल बनाये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कितने ऊपरी पुल; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). ऊपरी तथा भूमिगत पुलों की योजनायें रेलवे ने वहां आरम्भ की हैं जहां राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित सड़क प्राधिकार ने व्यय का अपना भार वहन करना स्वीकार कर लिया है। कानपुर नगर में अब तक जूही मारीलिंग यार्ड के आर-पार सड़क पर एक ऊपरी पुल बनाने का निर्णय कर लिया गया है और पुल की लागत

---

†मूल अंग्रेजी में

का रेलवे का भाग अर्थात ११,५५,०५८ रुपये की स्वीकृति दे दी गई है। कानपुर नगर के तीन और प्रस्ताव मिले हैं जो मरी फाटक, जी टी रोड़ फाटक के स्थान पर ऊपरी पुल तथा हमीरपुर रोड पर पनकी में ऊपरी पुल के बारे में हैं। परन्तु इन योजनाओं को रेलवे वार्षिक कार्य कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार ने अपने आय व्ययक में इन कार्यों के व्यय के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है।

गोविन्द नगर के निकट नया स्टेशन

†१३२४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में गोविन्द नगर के निकट नये रेलवे स्टेशन ने काम करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्टेशन पर कितनी गाड़ियां रुका करेंगी ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). स्टेशन को चालू करना इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अभी तक यह निर्णय नहीं किया जा सका कि इसका क्या नाम रखा जाये ।

(ग) तीन अप तथा तीन डाउन यात्री गाड़ियां यहां रोकने का विचार है ।

इन्दौर में डाक तथा तार कर्मचारी

†१३२५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर डाक तथा तार सर्किल में कर्मचारी अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या सर्किल ने और कितने पद मांगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बारायन्)** : (क) सामान्यत: पर्याप्त कर्मचारी हैं तथा जहां कहीं भी कमी का पता लगता है स्वीकृत अभ्यर्थी लगा दिये जाते हैं।

(ख) सर्किलों के हैड स्वयं अधीनस्थ पदों तथा श्रेणियों की स्वीकृति दे सकते हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मेडिकल कालेजों में 'प्रिवैंटिव एण्ड सोशल मैडीसन' डिपार्टमेंट

†१३२६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ मैडीकल कालिजों में 'डिपार्टमैंटस आफ प्रिवैंटिव एण्ड सोशल मैडीसिन' स्थापित करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित २५ लाख रुपये व्यय कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा किन कालिजों में;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजना के लिए कितने डब्ल्यू० एच० ओ० के प्रोफैसर लगाये गये हैं; और

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना के क्या प्रस्ताव हैं ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). राज्य सरकारों को १९५६–५७ तथा १९५७–५८ वर्षों में १,७८,४२१ रुपये की वित्तीय सहायता दी है जो नीचे दी जाती है :—

१९५६–५७

मद्रास सरकार

मैडिकल कालिज, मद्रास	रुपये १,२००
बम्बई सरकार	
मैडिकल कालिज, नागपुर . .	रुपये २३,७८३
जोड़ . .	रुपये २४,९८३

१९५७–५८

उत्तर प्रदेश सरकार

के० जी० मैडिकल कालिज, लखनऊ . .	रुपये ५६,९१८
मद्रास सरकार	
मद्रास मैडिकल कालिज, मद्रास . .	रुपये १४,७६२
आन्ध्र प्रदेश सरकार	
आन्ध्र मैडिकल कालिज, विशाखपटनम . .	रुपये २६,९४९
मध्य प्रदेश सरकार	
जी० आर० मैडिकल कालिज, ग्वालियर . .	रुपये ३५,३७३
राजस्थान सरकार	
एस० एम० एस० मैडिकल कालिज, जयपुर . .	रुपये १९,४३६
जोड़ . . .	रुपये १,५३,४३८

१९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में नयी प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को 'मैडिकल एजूकेशन तथा ट्रेनिंग' वर्ग के अधीन केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इस वर्ग में भारत के मैडिकल कालिजों में 'डिपार्टमैंटस आफ प्रिवैंटिव एण्ड सोशल मैडीसिन' की स्थापना भी शमिल है जो नीचे दिये जाते हैं :—

१९५८–५९ . . .	रुपये १९८.१२७ लाख
१९५९–६० . . .	रुपये २७५.७९१ लाख
१९६०–६१ .	रुपये ३२७.४२१ लाख
जोड़ . . .	रुपये ८०१.३३९ लाख

†मूल अंग्रेजी में

इस वर्ग की किसी भी योजना पर राज्य सरकारें इस धनराशि को व्यय कर सकती हैं ।

(ग) चार ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में भारत के मैडिकल कालिजों में 'डिपार्टमैंट्स आफ प्रिवैंटिव एण्ड सोशल मैडीसिन' की स्थापना की योजना 'वर्तमान मैडिकल कालिजों में सुधार तथा विस्तार' के अधीन आयेगी ।

जम्मू और काश्मीर वैकल्पिक राज-पथ

†१३२७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पार के पुराने मुग़ल रास्ते के साथ साथ जम्मू और श्रीनगर के बीच एक वैकल्पिक राजपथ बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यय से; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

समुद्र द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकन के लिये महाराष्ट्र की योजना

†१३२८. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने समुद्र द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

†१३२९. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यवहन का निर्धारण करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां,

(ख) प्रतिवेदन के मुख्य ब्यौरों वाला एक विवरण संबध है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

लेमाखोंग बिजली योजना

†१३३०. **श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेनस्टाक पाइप' प्राप्त न करने के कारण लेमाखोंग बिजली योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी ; और

(ख) क्या इस पाइप को लेने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ;

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)**: (क) यद्यपि 'पेनस्टाक पाइप' की व्यवस्था करने में कुछ विलम्ब हो गया है परन्तु फिर भी परियोजना पर काम हो रहा है।

(ख) जी हां। डी० जी० एस० एण्ड डी० को टेंडर मिल गये हैं तथा अब वह पेनस्टाक पाइप के निर्माण के आर्डर देने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं।

इम्फाल-तामेंग लांग सड़क

†१३३१. **श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही चालू की गयी इम्फाल-तामेंग लांग सड़क पर जीप गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती है और हाल में ही तामेंगलांग के दौरे में चीफ कमिश्नर को लगभग १० मील तक पैदल चलना पड़ा था ;

(ख) क्या यह सच है कि चीफ कमिश्नर के उपयोग के लिये एक जीप के अलग अलग भाग करके तामेंगलांग ले जाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सड़क का निर्माण इतने अवधि तक क्यों पूरा नहीं हो सका ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** (क) जी नहीं,

(ख) और (ग). जीप गाड़ी के चलाने योग्य सड़क को १९ अप्रैल १९६१ को चालू कर दिया गया था। परन्तु अचानक ही सड़क पर एक चट्टान गिर जाने से लगभग २५० फीट सड़क रुक गई थी जिसको चीफ कमिश्नर के दौरे से पहले हटाया नहीं जा सका था। चीफ कमिश्नर के उपयोग के लिए दो जीपों को अलग अलग करके थोड़े से बचे रास्ते से दूसरी ओर ले जाया गया था। सड़क के निर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

मनीपुर में वन विभाग

†१३३२. **श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के वन विभाग ने इमारती लकड़ी साधन संयंत्र[1] लगाया है ;

(ख) क्या मनीपुर के वन विभाग में इमारती लकड़ी साधने के लिए कोई प्रशिक्षित विशैषज्ञ है ; और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ की क्या अर्हतायें हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Timber treating plant.

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं परन्तु वन अनुसंधान संस्था में प्रशिक्षण सुविधायें हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है।

(ग) वन अनुसंधान में प्रशिक्षित बी० एससी० (कैमिस्ट्री):

मनीपुर में वन

†**१३३३. श्री लैं० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिम जाति के लोग मनीपुर के वनों का वैज्ञानिक प्रबन्ध करने के मामले में मनीपुर प्रशासन के वन विकास से सहयोग करना नहीं चाहते हैं।

(ख) क्या मनीपुर के पर्वतीय वनों में अभी भी झूमिंग की बेकार पद्धति प्रचलित है; और

(ग) क्या मनीपुर के वैज्ञानिक प्रबन्ध करने के लिये कोई योजना स्वीकार की गयी है?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) आदिम जाति के लोग वनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध को शंका से देखते हैं। अधिकांश आदिम जाति के लोग अभी भी सारी भूमिकों अपनी ही मानते हैं। परन्तु वह धीरे धीरे वन के महत्व को समझते जा रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। मनीपुर प्रशासन ने दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यवहन योजना शामिल करके वनों को वैज्ञानिक प्रबन्ध में लाने के संबंध में प्रगति की है।

गिट्टी की ढुलाई

१३३४. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गिटटी का सौ घनफुट का मूल्य रेलवे विभाग को क्या देना पड़ता है ; और

(ख) दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली गिट्टी कितनी दूर से लाई जाती है ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : तुगलकाबाद पत्थर खान से विभिन्न आकार की गिट्टियां मंगाई जाती हैं। गिट्टी के आकार के अनुसार १०० घन फुट गिट्टी का मूल्य ११ रुपये ९ नये पैसे से लेकर २८ रुपये १२ नये पैसे तक होता है।

(ख) गिटटी तुगलका बाद पत्थर-खान से मंगायी जाती हैं जो लगभग १० मील से लेकर १३ मील की दूरी पर है।

मुगलसराय-फतेहपुर लाइन पर गिट्टी की दर

१३३५. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में मुगलसराय से लेकर फतहपुर के बीच में जो गिट्टी रेलवे कार्य के लिये सप्लाई की जाती है उसका मूल्य ढुलाई निकाल कर क्या है ; और

(ख) गिट्टी की तुड़ाई निकालकर सिर्फ चट्टान कटाई का क्या दर है ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) मोगलसराय और फतेहपुर के बीच रेलवे लाइन पर जो गिट्टी सप्लाई की गयी, उसकी दर २१ रुपये से लेकर २३ रु० २५ न० प० प्रति सौ घ न फुट हैं। इसमें उसकी ढुलाई का खर्च शामिल नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तोड़कर बनाने गिट्टी के लिये रेलवे पत्थर सप्लाई करने का ठेका नहीं देती । इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

रेलगाड़ियों में फल आदि ले जाने के लिये ठंडे डिब्बे[1]

१३३६. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों पर फल तथा अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के लाने ले जाने के लिये चलाई जाने वाली ठंडी गाड़ियों को हटाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है अथवा की गई है ।

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

पटना में डाकघरों की इमारतें

१३३७. श्री विभूति मिश्र : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना शहर में डाकघरों को बनाने के लिये कई स्थानों पर जमीनें बहुत वर्षों पहले खरीदी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अगर तत्काल डाकघरों के लिये मकान बनाये जायें तो बहुत रुपयों की बचत होगी; और

(ग) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं । पटना शहर में विभागीय इमारत बनाने के लिये केवल एक जगह पर ज़मीन ली गई है ।

(ख) कोई ज़रूरी नहीं है ।

(ग) जी हां । विभागीय इमारतें बनाने से हमेशा ही बचत नहीं होती क्योंकि यह उपयुक्त स्थान उपलब्ध होने और किसी खास मोहल्ले में चालू किराये की दरों पर निर्भर करता है कि बचत होगी अथवा नहीं । जहां कहीं डाकघरों के लिये उपयुक्त इमारतें उपलब्ध नहीं होतीं या उनके लिये मांगे जाने वाले किराये बहुत अधिक होते हैं वहीं विभागीय इमारतें बनाने की आवश्यकता पड़ती है ।

बिना टिकट यात्रा

१३३८. श्री विभूति मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना टिकट चलने वाले यात्रियों की संख्या में पिछले ५ वर्षों में कैसा परिवर्तन हुआ है ;

(ख) उसका अनुपात क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से स्टेशनों पर टिकट बिक्री की खिड़कियां समय से नहीं खुलती हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Refrigerated vans.

(घ) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). एक ब्यान सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ग) कभी-कभी इस बात की शिकायत आती है कि कुछ टिकट-घर समय पर नहीं खोले जाते ।

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए ये उपाय अमल में लाये जाते हैं:—

(१) टिकट खिड़कियों के खुलने का समय निर्धारित कर दिया गया है और इन आदेशों का समुचित पालन होता है या नहीं, इसकी जांच की भी व्यवस्था की गयी है;

(२) यातायात को देखते हुए, जहां कहीं आवश्यक हो, टिकट खिड़कियां समय से पहले भी खोली जाती हैं ।

(३) कुछ टिकट खिड़कियां नियत समय पर नहीं खोली गयीं, इसके लिए जो कर्मचारी दोषी पाये गये, उन पर उचित कार्रवाई की गयी ।

(४) निरीक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया है । इसमें अचानक जांच करने की व्यवस्था भी शामिल है ।

सहकारिता सम्बन्धी अध्ययन दल

†१३३९. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकार प्रशिक्षण तथा शिक्षा संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या अब तक कोई सिफारिश लागू कर दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) सहकारिता प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन दल का प्रतिवेदन राज्य सरकारों, संघों तथा अन्य सहकारी संगठनों को टिप्पणी के लिए भेजा गया था । अधिकांश राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी संघों से टिप्पणियां मिल गई हैं । मंत्रालय उन पर विचार कर रहा है । निर्णय लेने से पूर्व अक्तूबर १९६१ में होने वाले सहकार राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिशों पर चर्चा होगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में चावल तथा धान के मूल्य

†१३४०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि उड़ीसा में हाल में ही चावल तथा धान के मूल्य कम हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले वर्ष क्या मूल्य थे तथा इस वर्ष क्या हैं ;

(घ) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा से चावल खरीदना आरंभ कर दिया है ; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितनी धन राशि का चावल खरीदा गया था ?

खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : : (क) जी हां ।

(ख) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चावल के मूल्य औसतन प्रति मन ३ रुपये तथा धान के मूल्य औसतन प्रति मन २ रुपये कम हैं ।

(ग) जुलाई १९६० में साधारण चावल के औसत राज्य मूल्य १८·६० रुपये प्रति मन थे तथा जुलाई में इस वर्ष १५·७१ रुपये प्रतिमन थे । धान की क़ीमतें क्रमशः ११·४३ रुपये तथा ९.२६ रुपये प्रतिमन हैं ।

(घ) से (च). यद्यपि इस वर्ष चावल के मूल्य पिछले वर्ष से कम हैं। परन्तु वह १९५९ के मूल्यों से कम नहीं हैं। कोरापुट ज़िले में घटिया किस्म के चावल के मूल्य और कम होने के समाचार हैं । भारत सरकार ने कालाहांडि, कोरापुट, तथा गंजम ज़िलों से सरकार के समाहार मूल्यों पर चावल खरीदना चाहा परन्तु अब तक बहुत थोड़ी मात्रा में चावल मिला है । इससे भी स्पष्ट होता है कि बाज़ार भाव बहुत कम नहीं है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१३४१. **श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग, विशेषतया आर० एम० एस० ब्रांच के उन कर्मचारियों को, जिनको क्वार्टरों का आवंटन नहीं किया गया है, उन क्वाटरों का किराया देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इसके बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने ऐसे मामले हैं तथा निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है ;

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तार सेवा

†१३४२. **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही समस्त भारत, विशेषतया कलकत्ता-दिल्ली तथा दिल्ली-कलकत्ता लाइनों पर तारघरों में बहुत से तार इकट्ठा हो गये थे जिसके कारण उनको विमान द्वारा भेजा गया था और प्रतिदिन उनका भार बहुत होता था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो स्थिति के पूरे ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) ऐसा होने के क्या कारण हैं ;

(घ) इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) जिनके तार डाक द्वारा भेजे गये थे क्या उनके तार व्यय वापस कर दिए गए थे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां, कलकत्ता-दिल्ली तथा दिल्ली-कलकत्ता लाइनों पर । इस लाइन के अतिरिक्त अन्य लाइनों पर स्थिति सामान्य थी ।

(ख) अप्रैल, मई तथा जून महीनों में क्रमश: ४८९८०, ४८१६४ तथा ३९५२४ तार तथा २००, २१६६ तथा ८३३४ तार डाक से भेजे गये थे । इसी प्रकार दिल्ली से कलकत्ता को इसी अवधि में क्रमश: ४५१०७, ४४४६६, तथा ३४६४१ तार भेजे गये तथा कोई नहीं, २८४९ तथा ५९२६ डाक द्वारा भेजे गये । जब तारों को तार द्वारा भेजने में कठिनाई हो जाती है तो इनको रात्रि की विमान डाक से भेजा जाता है जिससे इनको अगले दिन के लिए नहीं रोका जाये ।

(ग) तारों को भेजने में विलम्ब मानसून के तूफानों के कारण होता है । इसके साथ साथ १८-५-१९६१ से लागू प्रोत्साहन योजना के साथ भी कुछ प्रतिशत कर्मचारियों का असहयोग भी है ।

(घ) धीरे धीरे जब आपरेटरों ने प्रोत्साहन योजना को समझा तो स्थिति सामान्य हो गई । तूफान से नष्ट लाइनों को शीघ्रता से ठीक किया गया ।

(ङ) दावेदारों को धन वापस दे दिया गया ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा पत्नियों और परिवारों की उपेक्षा के लिये दण्ड

†१३४३. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी पत्नियों और परिवारों की उपेक्षा करने के लिये दंड दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उस परिपत्र का ब्योरा और उद्देश्य क्या है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). केवल पूर्वी रेलवे ने इस विषय पर एक परिपत्र जारी किया है । उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है । **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

घी का अन्तर्राज्यिक वहन

†१३४४. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ही के अन्तर्राज्यिक वहन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार करती है जब तक कि घी पर "आग-मार्क" महर न हो; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). घी के अपमिश्रण को रोकने की दृष्टि से यह विचार किया गया है कि :

(१) बिक्री या स्टोर करने के लिये जिस क्षेत्र में घी का आयात किया जाता है, वहां के लिये निर्धारित ४०°सी दर्जे के बूटाइरो-रिफ्रैक्टोमीटर के मान से भिन्न तथा रीचर्ट मूल्य में कम वाला घी उस क्षेत्र में न बेचा जाएगा न संग्रह किया जाएगा जब तक उस पर 'आग मार्क' की मुहर मुहर न हो।

परन्तु ऐसा घी (१) आग-मार्क मुहर वाला डिब्बा खुलने के बाद एक समय में ५ पौण्ड से अनधिक मात्रा में बेचा जा सकता है और (२) मिठाइयों व टौफी आदि बनाने के काम में लाया जा सकता है।

(२) (१) उपरोक्त (१) के अनुसार इस घी को बेचने वाला व्यक्ति तथा (२) मिठाइयों व टौफी आदि बनाने वाला व्यक्ति जिसे तैयार करने में ऐसे घी का उपयोग किया गया हो, खाद्य निरीक्षक को, जब वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ की धारा १० के अन्तर्गत विश्लेषण के लिये उसका नमूना लेता है, नियत फार्म में एक घोषणा देगा और उक्त अधिनियम की धारा १२ के अन्तर्गत नमूने का विश्लेषण करवाने की इच्छा रखने वाले खरीदार को भी घोषणा करेगा।

(३) यदि विश्लेषण किये जाने पर वह नमूना ऐसे घी का बना पाया जाता है जो इस क्षेत्र के लिये जहां उसके तैयार होने की सूचना दी गई है, निर्धारित गुण प्रकार के मानों के अनुसार हैं, तो केवल इस कारण से घी अपमिश्रण नहीं माना जाएगा कि वह उस क्षेत्र में जहां बेचा जाता है, निर्धारित गुण प्रकार या किस्म के मान के अनुसार नहीं है।

दिल्ली के किसानों के लिये खाद

१३४५. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद नहीं दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारउपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) व (ख). जी हां। स्लज खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिये इसकी मांग के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों और सरकारी विभागों में इसकी मांग बहुत अधिक है। दिल्ली नगर निगम से अलोक निकायों को स्लज उठाने की इजाज़त देने की प्रथा को बन्द करने और किसानों की मांग की की पूर्ति को तरजीह देने के बारे में निवेदन किया जा रहा है।

दिल्ली में रबी की फसल

१३४६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की रबी फसल ने अपने पहले सब रिकार्ड तोड़ दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके आंकड़े क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) पूछी हुई जानकारी का एक विवरण नत्थी कर दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में रबी के मौसम में खाद्य उत्पादन

(हजार टनों में)

वर्ष	गेहूं	जो	चना	कुल
१९५८-५९ . . .	२८	१	१७	४६
१९५९-६० (आंशिक संशोधित अनुमान)	२६	१	५	३२
१९६०-६१ (अन्तिम अनुमान) . . .	२९	१	१९	४९

रेलवे पर उपाहार गृह

†१३४७. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर उपाहारगृहों, चाय स्टालों, फल स्टालों, पान की दुकानों आदि का किराया लेने की क्या प्रणाली है;

(ख) क्या इनकी प्रतिवर्ष नीलामी की कोई पद्धति है; और

(ग) यदि हां, तो इन के विज्ञापन का क्या तरीका है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) भोजन व्यवस्था / खोमचे व्यवस्था के लिये जो किराया लिया जाता है, वह न्यायसंगत होना चाहिये और रेलवे द्वारा बनाई गई इमारत और उपकरण की पूंजी लागत के ९ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ख) जी, नहीं। भोजन व्यवस्था और खोमचों के ठेके प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करके दिये जाते हैं।

(ग) समाचार पत्रों और/या स्टेशनों के नोटिस बोर्डों पर चिपकाये नोटिसों के द्वारा, जो ठेकों के महत्व पर निर्भर होता है।

जीजीभाई समिति

†१३४८. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कोडियान :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **परिवहन तथा सचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीजीभाई समिति की रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि गोदी कर्मचारियों के विभिन्न संघों ने हड़ताल करने के लिये नोटिस दिये हैं; और

(घ) संघों की क्या मांगें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) सरकारी संकल्प संख्या २३–जी० एल० ए० (८७)/५८ दिनांक २० जुलाई, १९५८ में घोषित किया गया है कि समिति के निर्णय अन्तिम और पत्तन अधिकारियों तथा श्रमिकों दोनों पर बाध्य होंगे ।

(ग) और (घ). यह अनुमान है कि उल्लेख, मई, १९६१ में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बड़े पत्तनों में कुछ संघों द्वारा हड़ताल के लिये दिये नोटिसों का है। इस सम्बन्ध में स्थिति पर व्याख्या संलग्न प्रेस टिप्पणी में दी गई है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२**] जो ११ जून, १९६१ को संघों के साथ किये गये समझौते के तुरन्त पश्चात् जारी किया गया था।

कृष्णा और गोदावरी के लिये नदी बोर्ड

†१३४९. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों की घाटियों के लिये एक नदी बोर्ड स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की नवीन रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या नदियों से सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है और उनकी अनुमति या सलाह ली गई है; और

(घ) बोर्ड के निर्देश निबन्धन क्या ह ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) इस मामले के बारे में सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार जारी है ।

(घ) नदी बोर्ड स्थापित होने पर नदी बोर्ड अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा ।

त्रिपुरा में डाक की डिलीवरी

†१३५०. **श्री दशरथ देव** :
श्री बंगशी ठाकुर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के खोबाई, कमालपुर और कैलाशाहर डिवीजनों को डाक डिलीवरी देने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब को कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) साधारणतया नहीं। तब भी मई के दूसरे पक्ष और जून, १९६१ के पहले पक्ष में, कुछ विलम्ब हो गया था क्योंकि डाक मोटर ठेकेदार प्रति दिन डाक लाने में असमर्थ हो गया था।

(ख) १०-७-६१ से पुराना ठेका समाप्त कर दिया और डाक प्रतिदिन लाई जाने लगी। इसके अतिरिक्त इन स्थानों के लिये सप्ताह में दो बार विमान सेवा का उपयोग १९-६-६१ से किया जा रहा है ताकि डाक शीघ्रता से भेजी जाए। १०-७-६१ से दलूबरी गेट तथा कमालपुर के बीच डाक की डिलीवरी को तेज करने के लिये एक सफरी डाक चपरासी सेवा भी जारी कर दी गई है।

तीसरी योजना में केरल के लिये जल विद्युत् परियोजनाएं

†**१३५१. श्री अ० क० गोपालन**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सी नई जल विद्युत् परियोजनायें आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)**: केरल की तीसरी योजना में निम्न दो नई परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है :—

(१) बुट्टिपाडी परियोजना

(२) इडिक्की परियोजना ।

ऐलिश चामर ट्रैक्टर

†**१३५२. श्री विभूति मिश्र**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐलिस चामर ट्रैक्टरों के पुर्जे नहीं मिलते; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मन्त्री (डा० प० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). ट्रैक्टरों के पुर्जों की कमी के बारे में सामान्यतया समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि विशिष्ट रूप से ऐलिस चामर ट्रैक्टरों के पुर्जों के न मिलने की कोई विशिष्ट शिकायत नहीं आई।

ट्रैक्टरों के प्रतिष्ठापित आयातकों को प्रति वर्ष अपने सर्वोत्तम वर्ष के आयातों के २० प्रतिशत तक पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी जाती है। इस के अतिरिक्त, प्रतिष्ठापित आयातकों को अपना स्टाक बढ़ाने के लिये ट्रैक्टरों के पुर्जों के आयात के लिये तदर्थ लाइसेंस भी दिये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है कि देश में ट्रैक्टरों के आर्थिक जीवन के लिये पुर्जों के आयात की व्यवस्था हो सके। तथापि ट्रैक्टरों की वर्तमान कमी की दृष्टि से ट्रैक्टरों को उनके आर्थिक जीवन से अधिक चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है इस कारण पुर्जों की कुछ कमी अनुभव होती है।

टेलीफोन कनेक्शन

१३५३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन कनेक्शनों के कितने आवेदन-पत्र शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में विचाराधीन हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे कब से विचाराधीन हैं; और

(ग) गत दो वर्ष में वहां कितने कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४४ ।

(ख) सबसे पुराना आवेदन-पत्र नवम्बर १९५९ का है ।

(ग) ३० ।

मत्स्यपालन का विकास

†१३५४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन के विकास के लिये क्या आवंटन किया गया है;

(ख) इस काम के लिये आवंटन में केरल राज्य का क्या भाग है; और

(ग) केरल में तीसरी योजना में प्रस्तावित विकास की रूपरेखा क्या है ?

†**कृषि मन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत मत्स्यपालन के विकास के लिये २८.६४ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

(ख) केरल राज्य की तीसरी योजना में इस कार्य के लिये ४.५० करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है । यह किसी राज्य के लिये सब से अधिक उपबंध है ।

(ग) केरल की तीसरी योजना में प्रस्तावित मत्स्यपालन निकाय की प्रमुख रूपरेखा ये है :

(१) मछली पकड़ने की नावों का मशीनीकरण ।

(२) मत्स्यपालन सम्बन्धी आवश्यक उपकरण का संभरण ।

(३) शीतागार सुविधाओं का प्रबन्ध ।

(४) लैंडिग एवं बर्थिग सुविधाओं का सुधार ।

(५) मछली सुखाने के यार्डों की स्थापना ।

(६) मछली को डिब्बों में बन्द करने और मछली सुखाने के संयंत्रों की स्थापना ।

(७) समुद्रतटीय मत्स्यपालन के विकास के लिये अग्रिम एवं वाणिज्यिक मछली पकड़ना तथा औद्योगिक एककों की स्थापना ।

(८) अन्तर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिये जलाशयों और झीलों के मत्स्यपालनों का उपयोग, मछली पालन और विकास ।

(९) मत्स्यपालन सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं को सहायता ।

(१०) मत्स्यपालन सम्बन्धी स्कूल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे को माल डिब्बों के फर्श की लकड़ी का सम्भरण

†१३५५. **श्री कुन्हन्** : क्या **रेलवे** मंत्री केरल से रेलवे को माल डिब्बों के फर्श की लकड़ी के संभरण से सम्बन्धित २१ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्मों और इमारती लकड़ी उद्योग अफसर के विरुद्ध मामला किस स्तर पर है; और

(ख) मामले के शीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). विशेषज्ञ जज, पूना ने, जिस के न्यायालय में मामला लम्बित है, अभियुक्तों के विरुद्ध दोष लगाये थे। अभियुक्तों ने विधि की उन धाराओं पर कुछ आपत्ति की, जिन के अन्तर्गत दोष लगाये गये थे और उच्च न्यायालय में अपील कर दी। उच्च न्यायालय ने उस अपील को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के पूर्व बैंच ने भी अपील रद्द कर दी। अब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है और आशा है कि शीघ्र ही उस की सुनवाई होने वाली है।

छोटी सिंचाई योजनायें

†१३५६. { **श्री सुगन्धि** :
श्री अगाड़ी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये तथा उन की उन्नति के लिये आंध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र और केरल राज्यों को कितनी राशियां आवंटित की गई हैं; और

(ख) उक्त अवधि में इन राज्यों ने कितनी राशि का उपयोग किया, कितनी राशि को अगले वर्ष में ले गये और कितनी राशि व्ययगत हो गई ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही दे दी जायेगी ?

मनीपुर में छोटे सिंचाई कार्य

†१३५७. **श्री लैं० अचौ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में छोटे सिंचाई कार्यों के लिये जिस तरीके से धन अनुदानों का उपयोग किया गया है उस पर आसाम के महालेखापाल ने कुछ आपत्तियां की हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में मनीपुर में सब-डिवीजनवार छोटे सिंचाई कामों के लिये कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ग) सब-डिवीजनवार कितनी राशि का उपयोग किया गया और उस से कितने एकड़ भूमि को लाभ हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). मनीपुर में छोटी सिंचाई योजनायें १९५९–६० में पहली बार मंजूर की गई थीं और काम अभी चल रहे हैं । निम्न विवरण में अपेक्षित सूचना दी गई है :—

विवरण

सबडिवीजन का नाम क्रमांक	१९५९–६०		१९६०–६१		योजनाओं की पूर्णता पर लाभ लेने वाले भूमि (एकड़ों में)
	मंजूर राशि	उपयोग में लाई गई राशि	मंजूर राशि	उपयोग में लाई गई राशि	
	रु०	रु०	रु०	रु०	एकड़
१. ओवल सबडिवीजन	१,९७,९००	७१,८७३	१,४९,५५७	६०,३११	६,०००
२. इम्फाल पश्चिम	१९,५००	११,५४०	३१,६२५	८,०८६	२,०००
३. चूड–चांदपुर सबडिवीजन	२७,६००	२०,१८६	४७,६४२	३२,७५२	१,२००
४. इम्फाल पूर्व .	५,०००	१,१७०	२१,१७६	६८१	४,०००
जोड़ .	२,५०,०००	१,०४,७६९	२,५०,०००	१,०१,८३०	१३,२००

लखनऊ अमृतसर फास्ट पैसजर में पहली श्रेणी की वर्थों का कोटा

†**१३५८. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ से लखनऊ-अमृतसर फास्ट पैसेंजर में कानपुर के लिये पहली श्रेणी के बर्थों का एक नियत अभ्यंश है ;

(ख) क्या इन डिब्बों को लखनऊ से कानपुर तक ताला लगा रहता है ;

(ग) क्या किसी पहली श्रेणी के यात्री को इन डिब्बों में लखनऊ से कानपुर तक यात्रा करने नहीं दिया जाता ;

(घ) यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ;

(ङ) क्या जनरल मैनेजर ने ये हिदायतें जारी की हैं ;

(च) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(छ) क्या किसी यात्री ने शिकायत की ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग) और (ङ). जी हां, ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (च). ऐसा इसलिये किया गया है कि यात्री लखनऊ से और मार्ग के स्टेशनों से कानपुर वाले अभ्यंश पर बैठ जाते थे और उसको कानपुर में उन यात्रियों के लिये खाली करने से इनकार कर देते थे, जिनका आरक्षण इन अभ्यंश में से स्टेशन मास्टर कानपुर द्वारा पक्का कर दिया गया होता था ।

(छ) जी हां, । दो शिकायतें हाल ही में आई हैं, जिनमें से एक शिकायत प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा की गई है ।

नंगल में टेलीफोन

†१३५९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के नंगल बांध में टेलीफोनों की कितनी अर्जियां लम्बित हैं ;

(ख) शीघ्र टलीफोन मंजूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रत्येक स्थान पर मांग के अनुसार स्टोर न देने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) २० ।

(ख) जवाहर मार्केट क्षेत्र को टलीफोन देने के लिये तथा सतलुज नदी के दूसरी ओर दूसरा एक्सचेंज लगाने के लिये अतिरिक्त तार लगाने के प्रस्तावों की छानबीन की जा रही है ।

(ग) सामान की सामान्यतया कमी है ।

मनाली में डाक व तार विभाग के क्वार्टर

†१३६०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनाली (कुल्लू) के डाक व तार के कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों का प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या क्वार्टरों के निर्माण की कोई योजना निकट भविष्य में कार्यान्वित की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) मनाली में केवल ५ डाक व तार कर्मचारी हैं । उनमें से एक अर्थात् सब पोस्टमास्टर को क्वार्टर दिया गया है ।

(ख) इस समय कोई निश्चित योजना नहीं है ।

नैनीताल जिला में कृषि विश्वविद्यालय

†१३६१. **श्री कालिका सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के पंतनगर का कृषि सम्बन्धी विश्वविद्यालय अमरीका के लैंडग्रांट कालेज की तुलना में कैसा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विश्वविद्यालय की विभिन्न अंगभूत इकाइयां और कालेज कौन से हैं तथा उनकी क्षमता क्या हैं और अग्रतर विस्तार का क्या भविष्य है ;

(ग) 'पढ़ते समय कमाओ' की योजना इस विश्वविद्यालय में कैसे चल रही है ; और

(घ) क्या उपकुलपति वास्तव में ही विद्यार्थियों के साथ क्षेत्रीय कार्य करते हैं और यदि हां, तो कैसे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम प्रणाली, वर्गीकरण और आन्तरिक शिक्षा प्रणाली तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी कार्य अपनाये हैं जो अमरीका के लैंडग्रांट कालेज द्वारा अपनाये गये हैं। उस कालेज के समान इस विश्वविद्यालय के सभी कालेजों की अध्ययन एवं प्रशासन की एक सामान्य एकीकृत प्रणाली है।

(ख) विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठापि इकाइयां ये हैं :—

(१) कृषि कालेज

(२) पशु चिकित्सा कालेज

(३) बुनियादी विज्ञानों और मानव शास्त्रों का स्कूल

कृषि सम्बन्धी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का कालेज जुलाई १९६२ में आरम्भ होने वाला है, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता ७५ विद्यार्थी होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के आस पास गृह विज्ञान का एक कालेज खोलने का भी राज्य सरकार का इरादा है। कृषि एवं पशु चिकित्सा कालेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता क्रमशः १५० और १०० विद्यार्थी वार्षिक होगी।

(ग) विश्वविद्यालय एक अनिवार्य कार्यक्रम चलाता है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी से एक सप्ताह में तीन से चार घंटे तक काम करने की अपेक्षा रखी जाती है। उनको स्थानीय दरों पर भुगतान किया जाता है जो ८ घंटों के प्रति कार्य-दिन के लिये १·५० रुपय है। इसके अतिरिक्त, एक एच्छिक कार्य कार्यक्रम है जिसमें कुछ विद्यार्थियों को कुछ विशिष्ट काम करने के लिये प्रति मास लगभग १५ रुपये का मासिक काम दिया जाता है। विद्यार्थी फार्म, हाइक्रिन मकई अनुसंधान केन्द्र और विश्वविद्यालय में स्वेच्छापूर्वक, काम के महत्व के अनुसार नियत घंटे की मजूरी पर काम करते हैं। विद्यार्थी टेलीफोन एक्सचेंज, प्रयोगशालाओं और दफ्तरों में काम करते हैं। लम्बी छुट्टियों में कुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जाता है।

(घ) उपकुलपति स्वयं विद्यार्थियों के साथ क्षेत्रीय काम नहीं करता। पहले वर्ष में उपकुलपति के कार्य कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिये विद्यार्थियों के एक या दो दलों के साथ गये थे और उन अवसरों में उनके कार्य कायक्रमों में विद्यार्थियों के साथ काम किया था। कार्यक्रम का अधीक्षण विद्यार्थी कल्याण (कार्य-कार्यक्रम) के एक सहायक डीन द्वारा किया जाता है।

घी श्रेणीकरण एंव चिन्हांकन नियम

†१३६२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** ३ जून, १९६१ के भारत गजट भाग २ धारा ३ उपधारा (ii) पृष्ठ १२०४ में घी ग्रेडिंग तथा मार्किंग नियमों के कुछ नियमों में संशोधन करने वाले प्रारूप संख्या एस० ओ० १२५३ दिनांक नई दिल्ली २५ मई, १९६१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) इन प्रस्तावित नियमों के बनाने के विशिष्ट उद्देश्य एवं कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार घी विक्रेताओं तथा अन्य प्रकार के विक्रेताओं के लिये यह अनिवार्य बनाना है कि वे सभी डिब्बों पर 'आगमार्क' चिन्ह लगायें और अन्य प्रकार के डिब्बों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ग) खाद्य मिश्रण नियम, १९५५ को उसके बाद से अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) आजकल आगमार्क घी की दो श्रेणियां हैं अर्थात् विशेष और साधारण । ये श्रेणियां घी की किस्म के आधार पर बनाई गई हैं । खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम निरोध में संशोधन करने से, जिनके बारे में कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है, विभिन्न रासायनिक महत्वों वाले घी के अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लग जायेगा । उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार यह विचार है कि एक तीसरी श्रेणी 'स्टेन्डर्ड' नाम से और चालू की जाये । इस श्रेणी में घी तो शुद्ध रहेगा लेकिन वर्तमान स्तरों की अपेक्षा उसमें आर० एम० तत्व कुछ कम होंगे । यह नया 'स्टेन्डर्ड' चिह्नांकन भी खाद्यमिश्रण नियम निरोध में निर्धारित स्तर के अनुकूल ही होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ को घी के मामले में अधिक प्रभावी बनाने के लिये यह विचार किया गया है कि कम रासायनिक तत्वों वाले घी की बिक्री, उन क्षेत्रों में जहां कि इसका उत्पादन नहीं होता, नियंत्रित रूप से की जायेगी ।

राजपथ संख्या २९ पर पुल

†१३६३. **श्री कालिका सिंह :**
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी और गोरखपुर के बीच राजपथ संख्या २९ पर पुल बनाने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गोरखपुर में राप्ती पर तथा मऊ के निकट टौंक पर बनने वाले पुलों की निर्माण प्रगति किस स्तर पर है ;

(ग) घाघरा पर बोहरघाट तथा गोमती के मोहनघाट पुलों का निर्माण कार्य कब से शुरू होगा ; और

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क). से (घ). राजपथ संख्या २९ तथा अन्य स्थानों पर पुल बनाने सम्बन्धी प्रगति निम्न प्रकार से है :—

(१) **गोरखपुर के निकट राप्ति परहैल**

गोरखपुर के निकट राप्ती पर बनने वाले पुल का, जो गोरखपुर-लखनऊ सड़क (राजपथ संख्या २८) और गोरखपुर वाराणसी सड़क (राजपथ संख्या २९) के लिये उपयोगी होगा, निर्माण

---

†मूल अंग्रेजी में

हो रहा है। अप्रैल, १९६१ के अन्त तक ७० प्रतिशत काम हो चुका था और उस पर उस समय तक २८.०१ लाख रुपये व्यय हुए थे जब कि इसके लिये ४१·४३ लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। आर० सी० पुल पर डाली जा रही है। प्रगति का काम १४ जुलाई, १९६१ को स्पेन तथा केन्टीलिवर स्पेन के गिर जाने के कारण रुक गया है। इस सम्बन्ध में जानकारी करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति नियुक्त की है।

(२) मऊ के निकट टौन्स पर पुल

मार्च, १९६१ के अन्त तक इस निर्माण कार्य में ४१ प्रतिशत प्रगति हुई है। यह काम १९६२ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है इसके लिये १२,४८,८०० रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(३) मोहन घाट के निकट गोमती पर पुल

६ जून, १९६१ को इस परियोजना के लिये २४·४८ लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई थी। टेन्डर मिल जाने के बाद इसका काम शुरू होगा। टेन्डरों की जांच करने के बाद उपयुक्त ठेकेदार को यह काम सौंपा जायेगा।

(४) दोहरीघाट के निकट घाघरा पर पुल

धन की कमी के कारण यह परियोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में से निकाल दी गयी है दोहरीघाट पर सारे साल नावें चलती रहती हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नावों का एक पुल बनाने की व्यवस्था की गई है। इससे यातायात की कुछ कठिनाई हल हो जायेगी। नावों का पुल बनाने के लिये राज्य सरकार से जो ५·६८ लाख रुपये की योजना आई है उस पर विचार हो रहा है। स्थायी पुल बनाने का काम कब शुरू होगा यह बताना अब संभव नहीं है।

शाहगंज जंकशन

†१३६४. **श्री कालिका सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहगंज रेलवे, उत्तर रेलवे, स्टेशन पर बहुत सी पटरियां बिछाने एवं निर्माण-कार्य करने के बाद वहां की विस्तार योजनाओं को क्यों ठप्प कर दिया गया;

(ख) अनुमानित व्यय में से कितनी राशि व्यय कर दी गई है; और

(ग) शाहगंज और मऊ के बीच ५० लाख रूपये की लागत से बनाई जाने वाली वर्तमान रेलवे लाइनों को फिर से बनाने के काम की समाप्ति के पश्चात् अब यह ठप्प योजना कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) इस स्टेशन पर अनुमानित यातायात की वृद्धि की सम्भावना न होने के कारण आगे का काम रोक दिया गया है।

(ख) अनुमानित व्यय ८·९७ लाख में से ५·१८ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(ग) शाहगंज और मऊ जंकशनों के बीच नई रेलवे लाइन बनाने के काम को पूरा हो जाने के बाद अब इस योजना को फिर से चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बस्तर में रेलों की प्रगति

†१३६५. **श्री किस्तैया :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटावल्लासा से बेलाडिला (बस्तर में) तक रेलवे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बेलाडिला के निकट कुछ क्षेत्र का काम बाहरी ठेकेदारों को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि दी गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) रेलवे लाइन का अन्तिम सर्वेक्षण हो चुका है, और कुछ लाइन का प्रारम्भिक निर्माण-कार्य शुरू हो गया है ।

(ख) तथा (ग). 'बाहरी ठेकेदार' एवं 'कितने एकड़ भूमि' का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है । ठेकेदारों को काम समाचार-पत्रों में टेंडर का विज्ञापन देने के बाद और फिर उनका चयन करने के पश्चात् ही दिया जाता है ।

कांगड़ा घाटी खंड में पानी की कमी

†१३६६. **श्री हेमराज :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा घाटी खण्ड में स्टेशनों को पानी का सम्भरण करने वाला पानी का टैंक रोजाना काम नहीं करता; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कांगड़ा घाटी खण्ड के सभी स्टेशनों पर तथा उस खण्ड के स्टेशनों पर रेलों में, विशेष रूप से गर्मी के दिनों में पानी की बहुत कमी है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) कांगड़ा घाटी खण्ड के कुछ स्टेशनों पर पानी की कमी है लेकिन गर्मी के दिनों में यात्रियों की आवश्यकताओं के लिये पानी की कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है ।

मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

१३६७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय और संलग्न कार्यालयों में कितने अनुभाग हैं और उनमें कितने अनुभाग ऐसे हैं जिनमें हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की बहुसंख्या है; और

(ख) कितने अनुभागों को हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने की स्वीकृति दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मन्त्रालय और संलग्न कार्यालयों में कुल ६३ अनुभागों में से ३१ अनुभागों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की बहु संख्या है ।

(ख) ८ ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

रेलवे में कोयले की राख

१३६८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में रेलवे में कोयले की राख कितनी इकट्ठी हो गई;

(ख) क्या इसके उपयोग के लिये रेलवे अनुसन्धान संगठन द्वारा कोई अनुसन्धान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क). ६,२७,६५२ टन (जलाने के काम आने वाली राख) ।

(ख) और (ग). जी हां । राख में कैलोरिफिक शक्ति कम होती है और यह वहीं जलाने के काम में लायी जा सकती है जहां कम ताप की ज़रूरत हो । रेलें इस समय राख का इस्तेमाल भट्टियों आदि के जलाने और उसे कोयले के साथ मिला कर शंटिंग इंजनों और स्थिर बायलरों में भाप तैयार करने के लिये कर रही हैं ।

खण्ड विकास समितियां

१३६९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खण्ड विकास समितियों के गैर सरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण से अब तक क्या अनुभव प्राप्त हुआ है; और

(ख) सरकार ने पंचायत राज की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप बनाने के लिये इस प्रशिक्षण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) खण्ड विकास समितियों/पंचायत समितियों के प्रशिक्षित सदस्यों की इन समितियों की बैठकों में उपस्थिति, भाग लेना और बहसों से सामुदायिक कार्यक्रम और उसके प्रति उनकी जिम्मेदारियों की अच्छी समझ का बोध होता है ।

(ख) (१) प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सुधारने के लिये राज्य सरकारों को नीचे लिखे उपाय सुझाए गए हैं:—

(१) जहां संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण देने का तरीका सफल नहीं हुआ है वहां जगह-जगह घूम कर प्रशिक्षण देने का तरीका अपनाया जाए ।

(२) कम काम के समय में प्रशिक्षण दिया जाए ।

(३) प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी पहले तैयार कर लिया जाए ।

(४) खण्ड विकास समिति की एक बैठक में खण्ड विकास अधिकारी को प्रशिक्षण के महत्व एवं लाभों पर प्रकाश डालना चाहिये ।

(५) प्रशिक्षण शिविरों में खण्ड, जिला तथा डिविजनल अधिकारियों, जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हों, आमन्त्रित किया जाए ।

(६) राज्य स्तर की अनौपचारिक सलाहकार समिति एवं उसकी प्रशिक्षण उपसमिति और जिला परिषद् को पूरी तरह इस कार्य में सम्मिलित करना चाहिए।

(७) उपस्थिति की कमी को पूरा करने के लिये अपेक्षित संख्या से ५० प्रतिशत अधिक या दुगने सदस्य आमन्त्रित करने चाहियें।

(२) गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स खोलने के प्रस्ताव पर गम्भीर विचार किया जा रहा है।

कर्नाटक में हस्पताल

†१३७० { श्री अगाड़ी :
श्री सुगंधि :
श्री वोडियार :

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ से लेकर अब तक प्रतिवर्ष मैसूर राज्य में बेलगांव जिले के जे० सी० सहकारी अस्पताल लिमिटेड घटप्रभा (हुकेरी) और कर्नाटक स्वास्थ्य संस्था घटप्रभा (हुकेरी) को आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक मिलनी सहायता/अनुदान दिये गये हैं?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : जे० सी० सहकारी अस्पताल लिमिटेड घटप्रभा (हुकेरी) को कोई सहायता/अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि उसका कोई प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के द्वारा नहीं आया था।

कर्नाटक स्वास्थ्य संस्था घटप्रभा (हुकेरी) को निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं:—

वर्ष	तपेदिक, कोढ़ तथा दूसरी ऐच्छिक संस्थाओं को दी जाने वाली अनुदान योजना के अधीन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वेच्छिक अनुदान योजना के अधीन दी जाने वाली राशि	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन सहायक नर्स तथा मिडवाइफ के प्रशिक्षण के लिये दिया जाने वाला अनुदान
१९५४–५५	. ५०,००० रुपये (अनावर्त्तक)	—
१९५५–५६	. ३५,००० रुपये (अनावर्त्तक)	७,००० (अनावर्त्तक)
१९५६–५७	. १०,००० रुपये (अनावर्त्तक)	२४,००० (आवर्त्तक)
१९५७–५८	. ५०,००० रुपये (अनावर्त्तक)	१५,००० (आवर्त्तक)
१९५८–५९	. ५०,००० रुपये (अनावर्त्तक)	३२,३२० (आवर्त्तक)
१९५९–६०	. ५०,००० रुपये (अनावर्त्तक)	४७,०५० (आवर्त्तक)
१९६०–६१	. ३५,००० रुपये (अनावर्त्तक)	—

†मूल अंग्रेजी में

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

†१३७१. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडियार :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के बेलारी जिले में हुविनाबादगेली नगर में स्वचलित टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रश्न कब तै हुआ था;

(ख) इस निश्चय के बाद मैसूर, आन्ध्र, और महाराष्ट्र राज्यों में कितने स्वचलित टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये हैं; और

(ग) हुविनाबादगेली में एक्सचेंज खोलने में देरी के क्या कारण हैं;

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) २८–४–६० ।

(ख) मैसूर २४
आन्ध्र २०
महाराष्ट्र ८

इनमें २८–४–६० से पूर्व स्वीकृत विभिन्न योजनाएं भी सम्मिलित हैं ।

(ग) एक्सचेंज के लिये उपयुक्त भवन १–८–६१ को उपलब्ध हुआ था। एक्सचेंज लगाने का काम लगभग दो महीने में पूरा हो जायेगा ।

रायचूर में ऊपरी तथा निचला रेलवे पुल

†१३७२. **श्री सुगंधि :**
श्री अगाड़ी :
श्री वोडियार :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलारी जिले में दक्षिण रेलवे के रायचूर तथा होस्पेट स्टेशनों पर नगर के निवासियों ने ऊपर का तथा नीचे का रेलवे पुल बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) इस बारे में जो निर्णय किया गया है उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रायचूर तथा होस्पेट में रेलवे क्रासिंग के स्थान पर ऊपर का तथा नीचे का पुल बनाने की मांग जनता की ओर से रेलवे प्रशासन के पास कोई नहीं आई है; लेकिन मैसूर सरकार ने इन दोनों परियोजाओं को तीसरी योजना में सम्मिलित कर लिया है । और इनका काम क्रमश: १९६३–६४ और १९६५–६६ में शुरू करने का विचार है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के परामर्श के आधार पर इन परिजनाओं का काम दक्षिण तथा केन्द्रीय रेलवे निर्माण कार्यक्रम के अधीन ठीक समय पर सम्मिलित कर लिये जायेंगे ।

---

†मूल अँग्रेजी में

आयातित खाद्यान्न

†१३७३. **श्री झूलन सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित खाद्यान्न में पौष्टिक तत्व ज्यों का त्यों रहता है और निर्यात करने वाले देशों में अधिक समय तक रखे रहने अथवा आवागमन में उसके पौष्टिक तत्व पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इस बात की जांच एवं इसका सुनिश्चयन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, उसके क्या परिणाम निकले ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) तथा (ख). जी हां। इस प्रकार के परीक्षण किये जा रहे हैं। अब तक जो परीक्षण हुए हैं उनसे पता चला है कि पौष्टिक तत्वों में कोई कमी नहीं आती है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना

१३७४. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पूना में इस वर्ष किन-किन महत्वपूर्ण विषयों में अनुसंधान किया गया :

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पूना द्वारा इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण समस्याओं पर कार्य किया गया वे निम्नलिखित हैं :—

(१) हमीरपुर (केन्द्रीय रेलवे) के निकट यमुना पर रेलवे पुल का संरक्षण

रेलवे पुल के दक्षिण स्तम्भों के लिये उपयुक्त बाढ़ संरक्षक साधन निकालने के लिये प्रतिरूप प्रयोग पूर्ण किये गये।

(२) कोसी परियोजना

(क) हनुमाननगर के निकट कोसी के पश्चिम तट के लिये उपयुक्त बाढ़ संरक्षक साधन निकालने के लिये प्रयोग पूर्ण किये गये।

(ख) कोसी से चत्र नहर के निकास स्थान से रेत को निकालने के लिये साधन निकालने के प्रयोग प्रगति करते रहे। रेगुलेटर की सिल को ५.५ फुट ऊंचा उठाने की सामर्थ्य की जांच की गई।

(३) सोन परियोजना

बैराज का स्थान, इसके गाइड तटों का रेखांकन, जलचालित ऊर्जा विकिरण के अभिकल्प तथा कटाव संरक्षण कार्य पूर्ण किये गये।

(४) बदूआ परियोजना

प्रतिस्रोत वीयर का अभिकल्प पूर्ण किया गया। ये कार्य इसके द्वारा हुये उठान के कारण जल के स्तर में अनुज्ञेय चढ़ाव को ध्यान में रखते हुये किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) शरावथी जल-विद्युत परियोजना (मैसूर) का सर्जटैंक

सर्ज टैंक के अभिकल्प के विविध पहलुओं का परीक्षण होता रहा, जिन में सर्ज टैंक का स्थायित्व और इसके आधार पर संरचनाओं का आकार सम्मिलित थे ।

(६) कोयना परियोजना

विकास के द्वितीय चरण में बिजलीघर की अधिकतम सम्भाव्य सामर्थ्य का निश्चित करना ।

(७) भाखड़ा परियोजना

जल निःसरण के दौरान 'स्पिलवे क्रैस्ट गेट्स' में स्पन्दन का अध्ययन ।

(८) कड्डालोर बंदरगाह

मद्रास राज्य के बन्दरगाह अधिकारी द्वारा सुझाये गये लहरतोड़ बांध के नव अभिरूप की समर्थ्य

(९) थाना क्रीक

बम्बई बंदरगाह में गाद के भरने के सम्बन्ध में थाना क्रीक के ऊपर प्रस्तावित पुल के जलमार्ग की पर्याप्तता । इससे सम्बद्ध परीक्षण पूर्ण हो चुके हैं ।

(१०) दिल्ली में यमुना नदी का विनियन

दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर वर्तमान रेल-पथ-सड़क के पुल पर जल के बहाव की स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं ।

(११) महानदी पर मुण्डाली वीयर और 'अण्डरस्लुइसिज

वीयर के लिये प्रयोग जारी हैं ।

(१२) सलांदी बांध उमड़मार्ग तथा अभिरुप

इस के लिये प्रयोग प्रगति पर हैं ।

(१३) अभियम वारापानी बांध (असम)

(१) उमड़मार्ग अध्ययन प्रगति कर रहे हैं ।

(२) बांध के फोटोइलास्टिक अध्ययन किये जा रहे हैं ।

(१४) मेशवा बांध

उमड़मार्ग के पहले प्रस्ताव पर परीक्षण दिसम्बर, १९६० में छोड़ दिये गये थे, क्योंकि कंक्रीट बांध के लिये स्थान उपयुक्त नहीं पाया गया था ।

अब एक नया अभिकल्प सुझाया गया है, जिसमें वेनपुर सैंडल में स्थित उमड़मार्ग सहित मिट्टी का बांध सम्मिलित होगा । नये प्रतिरूप का निर्माण प्रगति कर रहा है ।

(१५) बानस बांध, दान्तीवाडा परियोजना

उमड़मार्ग के लिये परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(१६) कदाना उमड़मार्ग, कदाना परियोजना

उमड़मार्ग के लिये परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(१७) नागार्जुनसागर ट्रेसल ब्रिज का निर्माण

इस से सम्बन्धित प्रयोग किये जा रहे हैं ।

(१८) दक्षिण कक्ष लिंगानामक्की बांध

पत्थर की संरचनाओं के आधार के अभिकल्प-अध्ययन प्रगति कर रहे हैं ।

(१९) रत्नगिरि लहरतोड़ बांध अध्ययन

रत्नगिरि लहरतोड़ बांध के स्थायित्व के लिये २०० फुट लम्बी वेव फ्लूम में प्रयोग किये गये । लहरों (१२ फुट १० सैकण्ड) के साथ प्रयोग किये गये । ये प्रयोग टूटे फूटे जहाजों से बने हुये वर्तमान लहरतोड़ बांध के लिये प्रबलन के अभिकल्प बनाने तथा उनका परीक्षण करने के उद्देश्य से किये गये थे ।

(२०) विशाखापटनम बंदरगाह के वर्तमान लहरतोड़ बांध का दृढ़िकरण

टूटे फूटे जहाज़ों से बने हुये वर्तमान लहरतोड़ बांध के प्रवलन के अभिकल्प बनाने के उद्देश्य से रक्षात्मक यूनिटों की विविध किस्मों जैसे कि पत्थर, क्रंकीट के खण्ड तथा ट्राइबर्स के लहरों की टक्करों के प्रति स्थायित्व का परीक्षण किया जाता रहा ।

(२१) बम्बई की बंदरगाह के लिये आइसोटोप ट्रेसर अध्ययन

प्रगति कर रहा है ।

(२२) मंगलोर बंदरगाह

बंदरगाह के सुधार तथा विकास के लिये महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया जा रहा है ।

(२३) भूमि विज्ञान तथा भूमि यान्त्रिकी

(१) कुआं खाए नाली (उड़ीसा)

इस नाली के आधार की निर्माण सामग्री काली मिट्टी की भार वाहन क्षमता के लिये परीक्षण किये जा रहे हैं ।

(२) खडकवसला झील का पानी

खडकवसला झील के पानी में द्राव्य नमक तथा गाद के सम्बन्ध में, चमकीली रेत के सम्बन्ध में, भेदय मिट्टी का रसायनिक पदार्थों द्वारा अभिपूर्ण के रेत का प्रस्तर विज्ञान सम्बन्धी विश्लेषण तथा सिंचित भूमि में रासायनिक पदार्थों के अदल बदल के सम्बन्ध में अध्ययन किये गये ।

द्वितीय योजना में नलकूप

१३७५. श्री म० ल० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नलकूप लगाने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(ख) क्या वह लक्ष्य पूरा हो गया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). लक्ष्य ३२५० का था परन्तु आंशिक रूप में अनुपयुक्त स्थानों के छोड़ने और राज्य की योजनाओं में कुछ परिवर्तन के कारण वास्तविक प्राप्ति की कुल संख्या २९११ थी ।

दिल्ली में उद्योगों को बिजली के कनेक्शन

१३७६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उद्योगों के लिये गत एक वर्ष से बिजली नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिल्ली की औद्योगिक सलाहकार समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां । दिल्ली प्रशासन जनवरी, १९६० से उद्योगों के लिये दिन में विद्युत के बारे में प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किये गये विद्युत सम्भरण स्थिति के पुनरावलोकन से पता चला था कि दिल्ली में ऐसी मांग को पूरा करने के लिये विद्युत् उपलब्ध नहीं थी ।

(ख) औद्योगिक सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया था कि लगभग २०० किलोवाट विद्युत प्रतिमास उन उद्योगों के वास्ते पृथक कर दी जाये जिन्हें ५ हार्सपावर अथवा उस से कम हार्सपावर विद्युत की आवश्यकता हो ताकि लघु उद्योगों की यथार्थ आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके । जब भाखड़ा नंगल परियोजना से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो जायेगी, तब दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

रेलवे कर्मचारी का मूर्छित होना

†**१३७७. श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के गार्डन रीच में लेखाविभाग के दो कर्मचारी अत्यधिक गर्मी तथा पानी की कमी के कारण मूर्छित हो गये थे ; और

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय गार्डन रीच में पानी का काफ़ी अच्छा इन्तज़ाम था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

दुग्ध सहकारी संस्थाएं

†१३७८. { **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी संस्थाएं बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा):** (क) तथा (ख). दिल्ली में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है क्योंकि दिल्ली के प्राय सभी गांव बहुप्रयोजनीय संस्थाओं के अन्तर्गत

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं और अधिकांशत: दूध वाले इन संस्थाओं के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त गांवों में डेरी संस्थाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी संस्थाएं पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही हैं। और राज्य सरकार का तीसरी योजना के अधीन अधिक दुग्ध सहकारी संस्थाएं खोलने का विचार है। पंजाब के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे में विभागीय खाद्य व्यवस्था

†१३७९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की कुछ रेलों में जो विभागीय भोजन व्यवस्था कार्य कर रही है वह लाभ में चल रही है अथवा हानि में ; और

(ख) विभागीय भोजन व्यवस्था के चालू होने से लेकर अब तक प्रतिमास कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) तथा (ख). उत्तर रेलवे में विभागीय भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण

†१३८०. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २५ अप्रैल १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये जो चल शिविर लगाये गये हैं उनको स्थायी शिविर बनाने के लिये अब तक कितनी प्रगति हुई है ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : चल प्रशिक्षण योजना १ अगस्त १९६० से बन्द कर दी गई है। आजकल यह प्रशिक्षण ११ समाज शिक्षा संगठन कर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाता है। इन केन्द्रों में अब तक ४०६ अध्यापकों को तथा ४४७ मुख्याध्यापकों को क्रमश: ४ सप्ताह तथा ३ दिन का प्रशिक्षण दिया गया है।

भटिंडा मार्शलिंग यार्ड

†१३८१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा मार्शलिंग यार्ड का निर्माण काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो लगभग कब तक पूरा हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री(श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) भटिंडा में कोई मार्शलिंग यार्ड नहीं बनाया जा रहा है। भटिंडा में छोटी लाइन के यार्ड को फिर-से बनाने का प्रस्ताव ज़रूर है। इस योजना के अधीन ६ लाइनों की लम्बाई बढ़ाने का विचार है।

(ख) अभी इस कार्य की योजना ही बनाई जा रही है अतः इसके बारे में कुछ कहना कि यह कब समाप्त होगा बहुत जल्दी होगी।

रासायनिक खाद

†१३८२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में भारतीय कपास के लिये कुल कितनी रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या इस फसल के लिये पूरी मात्रा दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) राज्य सरकारें फसल के हिसाब से नहीं बल्कि राज्य की सम्पूर्ण आवश्यकता के बारे में मांग भेजती हैं कि उन्हें इतनी रासायनिक खाद चाहिये। इसलिये १९६१ में कपास के लिये कितनी खाद चाहिये इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) १९६१-६२ में खाद का जो संभरण किया जायेगा वह कुल मांग का ६० प्रतिशत होगा ऐसी आशा है।

(ग) विदेशी विनिमय की कमी के कारण यह सम्भव नहीं है कि राज्य सरकारों की पूरी मांग की पूर्ति की जा सके।

धारवाड़ जिले में महात्मा गांधी यक्ष्मा सैनीटोरियम

†१३८३. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगंधि :
श्री वोडियार :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के धारवाड़ जिले में मलिक सुमद्रा, गडग के महात्मा गांधी यक्ष्मा सेनीटोरियम को इसकी स्थापना से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितनी सहायता/अनुदान आवर्त्त एवं अनावर्त्तक रूप में दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के पास अभी तक राज्य का अंशदान नहीं पहुंचा है और इस कारण उनको संस्था चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार के अनुदान सहायता का ब्यौरा क्या है जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस नई संस्था की स्थापना से लेकर अब तक प्रति मास कितने कितने यक्ष्मा रोगियों का उपचार किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) इस सेनिटोरियम को केन्द्रीय सरकार की ओर से निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :—

वर्ष	राशि रुपये
१९५७–५८	५०,००० (अनावर्त्तक)
१९५९–६० . . .	५०,००० (,,)
१९६१–६२	२५,००० (,,)

(ख) जी नहीं । राज्य सरकार को इस बात का पता नहीं है कि प्रबन्ध समिति इस संस्था को क्यों नहीं चला सकी है । जब इस सेनिटोरियम के अधिकारियों ने इस संस्था को राज्य सरकार को देने की बात उठाई तो सरकार ने इसको अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठाया ।

(ग) राज्य सरकार ने १९५८ में तदर्थ अनुदान के रूप में इस संस्था को ३३,६१५ रुपये दिये थे ।

(घ) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३**]

सियालदह के स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट

†१३८४. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगंधि :
श्री वोडियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ जून १९६१ को अथवा उसके आस पास सियालदह (बंगाल) स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ टीटागढ़ स्थानीय गाड़ी के यात्रियों ने स्टेशन यार्ड में गाड़ी रोकने के कारण मारपीट की थी;

(ख) यदि हां, तो वह गाड़ी स्टेशन यार्ड में किस लिये रोकी गई थी;

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे लाइन पर लकड़ी का स्लीपर पड़े होने के कारण गाड़ी रोकी गई थी ।

(ग) तथा (घ). मामला पुलिस को भेज दिया गया था जो घटनास्थल पर आ गई थी । स्लीपर को उठा दिया था और भ्रम के तौर पर ६ लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया था । जांच अभी तक चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कटक का रेलवे हास्टल

†१३८५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक के रेलवे हास्टल में कुल कितने व्यक्तियों के प्रवेश की क्षमता है; और

(ख) क्या पिछले वर्ष पूरी संख्या में विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था, हास्टल में विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २५ ।

(ख) जी हां । इस समय हास्टल में केवल १९ विद्यार्थी हैं ।

उड़ीसा के लिये परिवहन निगम

†१३८६. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की सरकार उड़ीसा में एक परिवहन निगम बनाने को तैयार हो गयी है; और

(ख) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी और भारत सरकार इस योजना की ओर कितनी राशि देगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) निगम की स्थापना शीघ्र ही की जाने वाली है । केन्द्रीय सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा तीसरी योजना के दौरान निगम को ८० लाख रुपये देने का विचार कर रही है । इसमें वह ६ लाख रुपये की राशि भी शामिल है जो उड़ीसा सड़क परिवहन समवाय लिमिटेड में लगाये जा चके हैं । इस समवाय की आस्तियां भी प्रस्तावित निगम द्वारा ले ली जायेंगी ।

त्रिपुरा में धान का उत्पादन

†१३८७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में धान के उत्पादन की वृद्धि करने के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गयी है, तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि व्यय की है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, १९५६ से अब तक का वार्षिक विवरण क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में ठगी

†१३८८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के कुछ व्यापारियों को पुरी और भुवनेश्वर की जाली रसीदें देकर ठगा गया;

(ख) यदि हां, तो पुरी और भुवनेश्वर स्टेशनों की रसीदों की कुल राशि क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। कलकत्ता की एक फर्म को ७ रेलवे रसीदों के सम्बन्ध में ठगा गया तथापि वे भुवनेश्वर स्टेशन से जारी हुई थीं न कि पुरी से।

(ख) कुल १२३,००० रु० की राशि की ठगी की गई है।

(ग) तत्काल जांच की गई और ज्ञात हुआ कि रेलवे रसीदें जाली और झूठी हैं। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को चेतावनी दे दी गयी है कि वे जाली रसीदों के प्रति सावधान रहें।

वाणिज्य संघ और व्यापारी संघों को सावधान कर दिया गया है।

मामला जांच के लिये पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

बद्रीनाथ के तीर्थ का मार्ग

†१३८९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थों के मार्ग के राष्ट्रीयकरण का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). मार्ग परिवहन के सम्बन्ध में कार्यकारी शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं। यह मामला वस्तुतः राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है। भारत सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नल-कूपों का लगाया जाना

१३९०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीकी प्रावधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप लगाने की योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) जो सामान अमेरिकन सरकार से इस निमित्त प्राप्त हुआ था वह क्या सब उपयोग में आ चुका है अथवा कुछ शेष है;

(ग) जो प्रमुख कायकर्ता प्रोग्रेस आफिसर आदि इस विभाग की देख-रेख कर रहे हैं वे क्या इस विषय के अच्छे ज्ञाता हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या विभाग की उन्नति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) भारत-अमरीकी प्रावधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, जोकि १९५२, १९५३ और १९५४ में शुरू किया गया था, यू० पी०, पंजाब और बिहार में ३००० नलकूपों के बनाने का एक कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम अब पूरा हो चुका है।

(ख) वह सामग्री अधिकांशतः पूरी प्रयोग कर ली गई है।

(ग) राज्यों में कार्य का निरीक्षण राज्य सरकारों के चीफ इन्जिनियरों तथा टैक्निकल अफसरों के द्वारा किया गया। केन्द्र के वरिष्ठ तकनीकी व्यक्तियों ने राज्यों को टैक्निकल मामलों पर आवश्यक सलाह दी। प्रोग्रेस अफसर की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से सामग्री को जल्दी हासिल करना था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

रासायनिक उर्वरक

†**१३९१. श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ के लिये रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता के संबंध में कोई अनमान लगाया गया है ; और

(ख) इसके संभरण की क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां। २६·९ लाख टन अमोनिया सल्फेट।

(ख) स्वदेशी संसाधनों से उपलब्ध उर्वरक के अलावा यथासंभव आयात करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है कि १९६१–६२ के दौरान कुल आवश्यकता का ६० प्रतिशत संभरित किया जा सकेगा।

पोस्टल आर्डर

†**१३९२. श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल खंड से जो पोस्टल आर्डर जारी किये गये हैं उनमें जारी करने वाले डाकखानों की मुहर नहीं है ;

(ख) क्या पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले डाकखाने की मुहर उस स्थान पर लगायी गयी है जहां पर भुगतान करने वाले डाकखाने की मुहर होनी चाहिये ;

(ग) क्या किंग जार्ज छटे के चित्र वाले पोस्टल आर्डर जारी किये गये हैं, जिन्हें पहिले ही अवैध करार दिया है ;

(घ) क्या भुगतान करने वाले कार्यालयों ने उक्त अनियमितताओं के आधार पर भुगतान देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, क्या यह अनुदेश जारी किये गये हैं कि ऐसे मामलों में भुगतान करने वाले कार्यालय भुगतान से इन्कार न करें ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग) जी हां। इस तरह के कुछ मामले हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी हां।

(ङ) जैसे ही ये मामले पश्चिम बंगाल खंड के पोस्टमास्टर के ध्यान में लाये गये उन्होंने उनके निपटारे की तत्काल कार्यवाही की और संबंधित कार्यालयों को उचित अनुदेश दे दिये गये हैं।

तंजौर में बाढ़

†१३९३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री तगामणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में बाढ़ आने के परिणामस्वरूप तंजौर पैकेज कार्यक्रम को गम्भीर आघात पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या इससे होने वाली हानि के कारण कार्यक्रम के अधीन रखे गये लक्ष्य पूरा नहीं होने पायेगा ;

(घ) यदि हां, तो कितना ; और

(ङ) जिले को क्या अतिरिक्त सहायता दिये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार तंजौर जिले में आई हुई अभी हाल की बाढ़ के परिणामस्वरूप ३०००० एकड़ की कुरुवई फस्ल को हानि पहुंची तथा ५०० एकड़ भूमि में बालू भर गई।

१९६१-६२ के दौरान जिले के २३ ब्लाकों की ३० प्रतिशत भूमि पैकेज कार्यक्रम के अधीन आनी थी। उनमें से १० खंडों की भूमि पर बाढ़ का प्रभाव हुआ है। यह अनुमान किया है कि १५०० एकड़ कुरवई धान की नर्सरी, को जिससे लगभग १५००० एकड़ में कुरुवई धान बोया जाता, हानि पहुंची है।, अनुमान है कि ८००० टन धान की फस्ल को हानि हुई है।

(ग) और (घ). १९६१-६२ के पैकेज कार्यक्रम के अधीन उत्पादन के लक्ष्य पर कोई गम्भीर आघात नहीं हुआ है।

(ङ) अतिरिक्त सहायता देने का कार्य राज्य सरकार का है। पैकेज प्रोग्राम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

अमृतसर में टेलीफोन के कनेक्शन

†१३९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर पंजाब में १ जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन किया ;

(ख) इसके पूर्व कितने आवेदनपत्र निलम्बित थे ;

(ग) उनमें से कितनों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ; और

(घ) अवशेष व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) २५६ ।

(ख) १८१० ।

(ग) ७० ।

(घ) मार्च १९६२ तक ८२५ कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

एक्सचेंज का अग्रेतर विकास करने के लिये योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं जिसके बनते ही सूची के सभी व्यक्तियों को कनेक्शन दे दिया जायेगा ।

भुंटार में सार्वजनिक टेलीफोन

†१३९५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुलु घाटी के भुंटार (पंजाब) कार्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और वह कब तक खुल जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है । आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने पर कार्य समाप्त कर दिया जायेगा ।

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

†१३९६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में अब तक उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति आवश्यक अनुपात में नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस अवधि में अनुसूचित जातियों की नियुक्ति उनके लिये रक्षित अनुपात से कम नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे के ब्रह्मपुर में फ्लैग स्टेशन

†१३९७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में रूपड़ नंगल बांध खंड में नंगल बांध और भानुप्ली के बीच ब्रह्मपुर में फ्लैग स्टेशन खोलने के लिये कुछ वर्ष पहिले ५०० रु० जमा किये गये थे ; और

(ख) यदि हां तो फ्लैग स्टेशन खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । यह राशि ब्रह्मपुर में प्रस्तावित हाल्ट को बनाने के लिये चुने गये ठेकेदार द्वारा जमा की गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हाल्ट बनाने के प्रस्ताव पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि राज्य सरकार ने अपने वित्तीय दायित्व की स्वीकृति नहीं भेजी ।

पंजाब में भांडागार

†१३९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अब तक पंजाब के कितने स्थानों में भांडागारों का निर्माण हो चुका है ; और

(ख) इनकी स्थापना किन किन स्थानों में की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). १९६१–६२ की पहिली तिमाही में केन्द्रीय भांडागार किराये की इमारतों में अबोहर (४०० टन), मेंशा (४२० टन) कर्नाल (८०० टन) अमृतसर (६०० टन) सोनीपत ५०० टन में खोले गये इसके अतिरिक्त मोगा में केन्द्रीय भांडागार की पहिले स्थापना की जा चुकी थी ।

अबोहर, करनाल, सोनीपत और अमृतसर में केन्द्रीय भांडागारों के निर्माण की योजनायें विचाराधीन हैं ।

होशियारपुर जिले में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†१३९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर जिले में अब तक १९६० और १९६१ में कुल कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले गये ; और

(ख) खंडों के नाम क्या हैं और उनमें कितनी राशि व्यय की जाती है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) और (ख). अप्रैल १९६० में सरोया खंड को पूर्व विस्तार खंड के रूप में खोला गया अप्रैल १९६१ में उसे प्रथम क्रम का खंड बना दिया गया । १९६०–६१ में इस खंड में ५३७४·५१ रु० का व्यय किया । जून १९६१ तक २३४०·७५ रु० का व्यय किया गया ।

अप्रैल १९६१ की श्रृंखला में दिये गये खंडों में से होशियारपुर–१ ब्लाक खोलने के आदेश राज्य सरकार द्वारा शीघ्र जारी किये जाने वाले हैं । इस खंड में अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है ।

केरल में पैकेज प्रोग्राम

†१४००. **श्री मणियंगाडन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पैकेज प्रोग्राम को क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) इस योजना के अधीन कौन कौन क्षेत्र आयेंगे ; और

(ग) यह योजना कब से कार्य आरम्भ करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) एलप्पी और पालघाट के दो जिलों में ।

(ग) भारत सरकार की स्वीकृति भेजी जा चुकी है । राज्य सरकार ने योजना को आरम्भ करने की तैयारियां कर ली हैं । राज्य सरकार को कुछ आरम्भिक कार्यवाही करनी होगी । वस्तुतः तभी योजना प्रभावशाली रूप में क्रियान्वित की जा सकती है ।

पंजाब सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारी

†१४०१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष से पंजाब सर्किल में कुल कितने जनरल सर्विस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) पिछले दो वर्षों में पंजाब सर्किल में कितने जनरल सर्विस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई और कितने व्यक्तियों को मुअत्तिल किया गया ; और

(ग) जनरल सर्विस के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों से मकान किराया भत्ता जिसके वे अधिकारी हैं, नहीं दिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १७ अधिकारी जिन पर पिछले एक वर्ष से विभागीय कार्यवाही चल रही है, उनमें से एक भी जनरल सर्विस पदालि में नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बम्बई मद्रास जनता एक्सप्रेस

†१४०२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और मद्रास के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली जनता एक्सप्रेस को रोज चलाने का को प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस दिन से किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). बम्बई मद्रास जनता एक्सप्रैस गाड़ियों को रोज चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सीमेंट का संभरण

†१४०३. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने योजना आयोग को यह सूचित किया है कि द्वितीय योजना के अधीन राज्य में जल विद्युत सम्बन्धी योजनायें, परियोजनाओं के कार्यों के लिये उपयुक्त मात्रा में सीमेंट न मिलने के कारण पूरी नहीं हुईं ; और

(ख) क्या परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिये उपयुक्त मात्रा में सीमेंट संभरण करने की व्यवस्था कर ली गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर हां में है।

(ख) सीमेंट की मांग को यथासम्भव पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के द्वारा १९५९ और १९६० में मांगी गई और उन्हें दी गयी सीमेंट की राशि को दिखलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

कोट्टयम के निकट नया रेलवे स्टेशन

†**१४०४. श्री मणियंगाडन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन-एर्नाकुलम रेलवे लाइन पर कोट्टायम और एट्टूमामेर के बीच प्रस्तावित नये स्टेशन का स्थान पूर्व निश्चित स्थान से बदला जा रहा है;

(ख) क्या स्थान परिवर्तन के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) प्रस्तावित परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत में चेचक उन्मूलन के कार्य में रूसी सहायता

†**१४०५.** { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत में चेचक उन्मूलन के कार्य में सहायता देने का संकेत दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये कार्यक्रम के विशेष विवरण क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० करमरकर)** : (क) और (ख). रूस की सरकार चेचक उन्मूलन योजना के लिये जमायी सूखी वेक्सीन की २५०० लाख खुराकें मुफ्त देने में सहमत हो गयी है।

अभी कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

उड़ीसा में नारियल और सुपारी का उत्पादन

†**१४०६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि के लिये उड़ीसा में नारियल और सुपारी के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(ख) यदि हां तो किस सीमा तक ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). जी हां। अतिरिक्त उत्पादन के निम्नलिखित लक्ष्य निश्चित किये गये हैं:—

नारियल	८८ लाख
सुपारी	८०० मन।

उर्वरक की आवश्यकता

†**१४०७. डा० सामन्त सिंहार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के आयात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य सरकारों से अपनी उर्वरक की मांगें प्रस्तुत करने को कहा है; और

(ख) राज्यवार आवश्यकता तथा प्रत्येक राज्य को मिलने वाली सम्भावित आवश्यकता क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) योजना के वर्षों में उर्वरकों के आयात का विचार करते हुए राज्य सरकारों से प्रत्येक वर्ष के अगस्त तक अनुसांगिक वित्तीय वर्ष में आवश्यक उर्वरक की सही राशि बतलाने को कहा गया है।

(ख) १९६१–६२ के लिये राज्यवार मांग का विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५५**] १९६१–६२ के लिये जो राशि दी जायेगी उससे ६० प्रतिशत मांग पूरी हो सकेगी।

भाण्डागार

१४०८. श्री जांगड़े : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में किन स्थानों पर खाद्यान्न एकत्र करने के लिये भाण्डागार बनाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : १९६०–६१ के वर्ष में निम्न स्थानों पर भाण्डागार बनाए गए हैं :—

	क्षमता
देवनगिरि . . .	५००० टन
बारंगल .	४८०० टन
अमरावती	१७०० टन
सांगली	१०० टन

१९६१–६२ की पहली तिमाही में श्रीगंगानगर में एक भाण्डागार (४५०० टन) और सांगली में २१०० टन और अतिरिक्त संचयन स्थान के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्न केन्द्रों पर भाण्डागार निर्माण कार्य हो रहा है :—

	कुल क्षमता
अमरावती	३८०० टन (अतिरिक्त)
सांगली	३८०० टन (अतिरिक्त)
श्रीगंगानगर	५०० टन (अतिरिक्त)
कोटा	५६०० टन
मुरैना	४५०० टन
गदग	५००० टन
गोंडिया	४००० टन
हनुमानगढ़	५००० टन

चीनी की खपत

†१४०९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दशरथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में इस समय चीनी की कितनी खपत है ;

(ख) सात वर्ष पूर्व यह खपत कितनी थी; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य की जरूरत कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). मांगी गई जानकारी नीचे के विवरण में दी गयी है :

राज्य का नाम	(क) नवम्बर १९६० से जून १९६१ के बीच औसत मासिक खपत	(ख) ७ वर्ष पूर्व (१९५३–५४) औसत मासिक निकासी	(ग) प्रत्येक राज्य का सामान्य मासिक कोटा
	टनों में	टनों में	टनों में
आन्ध्र प्रदेश	८,०४६	६,३८३	८,५००
आसाम	५,४५५	३,०६१	६,५००
बिहार	११,४११	८,२४४	१५,०००
गुजरात	१५,८०३	(महाराष्ट्र में मिला दिया गया)	२२,०००

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३	४
केरल	५,८८६	४,१५१	६,०००
मध्य प्रदेश	११,१३७	९,०६२	१२,५००
मद्रास	९,९१९	१०,८६३	१२,०००
महाराष्ट्र	२९,८१०	३४,९७२	३३,०००
मैसूर	७,२११	७,५२८	८,०००
उड़ीसा	२,८०८	१,४९५	४,०००
पंजाब	११,३०९	१२,०९८	१४,०००
राजस्थान	४,६४२	४,८१९	८,५००
उत्तर प्रदेश	१७,६६९	२१,१९७	२०,०००
पश्चिमी बंगाल	१८,९७०	१८,४९८	२२,८००
दिल्ली	५,०९८	७,८०९	६,५००
हिमाचल प्रदेश	२३६	६५	५००
जम्मू और काश्मीर	९५८	२४१	२,०००
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	५०२	१९	६००

ऊपर भाग (ख) के अधीन दिये गये आंकड़े देश की मिलों तथा पत्तनों से आयात की गयी चीनी का औसत मासिक निकास प्रदर्शित करते हैं। अतः इनसे पता लगता है कि पहली बार राज्यों को कितनी चीनी दी गयी। चूंकि उस समय चीनी के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं थी, अतः कुछ चीनी एक राज्य से दूसरे राज्य में आई-गई होगी। इस समय चीनी के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं है। भाग (क) के अधीन दिये गये आंकड़े मासिक खपत बताते हैं।

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†१४१०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पुरी और भुवनेश्वर डिवीजन में विभागीय क्वार्टरों में कितने डाक-तार विभाग के कर्मचारी (श्रेणीनुसार) रखे गये हैं;

(ख) सभी कर्मचारियों को कब तक विभागीय क्वार्टरों में जगह मिल जायेगी;

(ग) १९६०–६१ और १९६१–६२ में इन दोनों डिवीजनों में विभागीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए कितने धन की व्यवस्था की गयी है; और

(घ) इस समय तक कितने क्वार्टर बन गये हैं या बन रहे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) पुरी और भुवनेश्वर दोनों डाक-तार विभाग के पुरी जिवीजन के अन्तर्गत हैं। पुरी और भुवनेश्वर में विभागीय क्वार्टरों में रहने वाले डाक-तार कर्मचारियों (श्रेणीनुसार) की संख्या नीचे दी जाती है:—

जिन कर्मचारियों को विभागीय क्वार्टर दिये गये	उनकी संख्या	वेतन क्रम
	८	५५—१४९ रु०
	१८	१५०—२४९ रु०
	१	२५०—४९९ रु०
एक भी नहीं		४९९ रु० से अधिक

(ख) सभी कर्मचारियों को क्वार्टर दे पाना विभाग के लिए व्यवहार्य नहीं है पर तीसरी योजना के दौरान क्वार्टरों के ८५ एकक बनवाने की योजनायें आरम्भ कर दी गयी हैं।

(ग) १९६०–६१ . . . . १,२१,४९१ रु०
१९६१–६२ . . . १५,००० रु०

(घ) एक भी नहीं।

उड़ीसा में ग्रामीण जल संभरण योजनायें

†**१४११. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना के अधीन उड़ीसा में निकटवर्ती १०० गांवों के चुने हुये एककों में राष्ट्रीय जल सम्भरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन कोई योजना लागू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्र में तथा कितने खर्च से;

(ग) क्या १९६१–६२ में इस योजना के अधीन उड़ीसा में भी किसी क्षेत्र को चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस क्षेत्र को ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). मांगी गयी जानकारी का एक विवरण साथ में सलग्न है **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५६]**

(ग) और (घ). १९६१–६२ में नये काम का कोई कार्यक्रम नहीं लिया जायेगा।

केरल में परिवार नियोजन

†**१४१२. श्री कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान केरल राज्य में परिवार नियोजन के केन्द्र खोलने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या राज्य में परिवार नियोजन की योजना का कुछ लोग विरोध करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो कौन लोग ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में ८० परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये ।

(ख) और (ग). केरल में कैथोलिक कांग्रेस ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया है ।

देवरिया स्टेशन पर गाड़ी का उलटना

†**१४१३. श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ जून, १९६१ या इसके लगभग किसी दिन उत्तर-पूर्व रेलवे के देवरिया स्टेशन पर एक मालगाड़ी उलट गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ; और

(ग) इस दुर्घटना से जान या माल की क्या हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) ८-८-६१ को देवरिया सदर स्टेशन पर लगभग ४ बज कर २० मिनट पर प्रातः शंटिंग के दौरान सीरे के दो खाली वैगन उलट गये ।

(ख) रेलवे कर्मचारी की गलती ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई । रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः ५०० रु० की हानि हुई ।

पशु चिकित्सा कालेज

१४१४. श्री र० ला० बारूपाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ढोरों की संख्या को देखते हुये क्या वहां एक पशु-चिकित्सा कालेज पर्याप्त है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या वहां केन्द्रीय सहायता से कुछ और कालेज खोले जाने हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). राज्यों में पशु चिकित्सा कालेजों की स्थापना का सम्बन्ध मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है । इस कारण राज्य की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान में वर्तमान पशु-चिकित्सा कालेज के पर्याप्त होने या न होने का ऐसा मामला है, जिस पर राजस्थान सरकार को विचार करना चाहिये । भारत सरकार को राजस्थान में अधिक पशु चिकित्सा कालेज खोलने के लिये केन्द्रीय सहायता की कोई प्रार्थना नहीं मिली है ।

मालगाड़ियों से चोरियां

१४१५. श्री जांगड़े : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन और मार्शलिंग यार्ड में गत दो मास से मालगाड़ियों से चोरियां बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सीमेंट की दो गाड़ियां और कपड़े की दस पन्द्रह गांठें चुराई गई हैं ; और

(ग) इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल-उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जून, १९६१ में बिलासपुर यार्ड में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गयीं जब कि दो अलग-अलग माल-डिब्बों में से सीमेंट की चोरी के २ मामले और कपड़े की दो गांठों की चोरी के एक मामले की रिपोर्ट मिली ।

(ग) मालूम हुआ है कि सीमेंट की चोरी के दो मामलों में यार्ड कर्मचारियों का हाथ है और इस सिलसिले में अभी तक पुलिस ने एक रेल कर्मचारी और तीन बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । मामले की जांच हो रही है ।

जहां तक कपड़े की गांठों की चोरी का सम्बन्ध है, सारा माल बरामद हो गया है । कर्त्तव्य-पालन में गफ़लत दिखाने के कारण रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

भारत–गोआ उड़ान

†१४१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जर्मन जहाज जो कलकत्ते से गोआ जा रहा था, २० जुलाई, १९६१ को रोक लिया गया और उसे सान्ताक्रूज़ हवाई अड्डे पर उतारा गया क्योंकि भारत से गोआ को विमानों का आना-जाना बन्द है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) यह विमान करांची जा रहा था । उड़ान के दौरान उसके कैप्टन ने भावनगर होते हुये गोवा जाने की आज्ञा मांगी । इस पर उसे बम्बई उतरने के लिये कहा गया और वह बम्बई में उतर गया ।

(ख) भारत के ऊपर से उड़कर गोआ जाने की आज्ञा नहीं दी गयी और अन्त में विमान २१–७–६१ को बम्बई से कराची के लिए रवाना हो गया ।

कामली, धारवाड़ा और उमरदेशी स्टेशनों पर वर्षा के कारण गाड़ी का उलटना

†१४१७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ जुलाई, १९६१ को पश्चिम रेलवे के कामली, धारवाड़ा और उमरदेशी स्टेशनों पर भारी वर्षा के कारण गाड़ियों के उलटने की दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

रेलवे पर ऊपरी पुल

†१४१८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनवाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह नीति भिन्न-भिन्न डिविज़नों और भिन्न-भिन्न राज्यों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनवाने का काम रेलवे उपभोक्ता सुविधा की श्रेणी में आता है । ऐसे काम क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सुविधा समितियों की राय से, जिनमें जनता के लोग भी होते हैं, किया जाता है । किन स्थानों पर यह काम किया जाये, इसका चुनाव करते समय विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर इसकी जरूरत तथा धन की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है ।

जहां पर स्टेशनों पर ऊपरी पुल बनवाने की जरूरत है, वहां यार्ड के विस्तार तथा यात्री आवागमन का परिणाम देखते हुए एक कार्यक्रम के आधार पर ऐसे पुल बनाये जा रहे हैं ।

रेलवे के सभी खंडों में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है ।

भुवनेश्वर स्टेशन

१४१९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उड़ीसा में भुवनेश्वर के वर्तमान रेलवे स्टेशन को आधुनिक व अच्छे ढंग के रेलवे स्टेशन में बदलने की योजना को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना पेश की थी ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(घ) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ङ) भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन को आधुनिक ढंग का बनाने में अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). जी, नहीं । राज्य सरकार की इच्छा थी कि रेलवे आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई डिजाइन को स्टेट के आर्किटेक्ट को दिखाया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि प्रस्तावित रेलवे भवन आस-पास की इमारतों के अनुरूप होगा । रेलवे आर्किटेक्ट द्वारा विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है और रेलवे द्वारा स्वीकृत हो जाने पर उसे राज्य के आर्किटेक्ट को दिखा लिया जायेगा ।

(ङ) लगभग ७.५० लाख रुपया ।

मद्रास में तीसरी योजना में नई रेलवे लाइन

†१४२०. { **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना-काल में मद्रास में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक संगठनों ने मद्रास तथा तूतीकोरन के बीच लाइन को दोहरी करने की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मद्रास में नई रेलवे लाइनें बनवाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रास्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

इर्विन अस्पताल, दिल्ली

†**१४२१. श्री कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इर्विन अस्पताल, दिल्ली में बड़ी संख्या में दाखिल हुए रोगी अपने घरों से भोजन मंगाना पसन्द करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन रोगियों की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये, जो अस्पताल का भोजन नहीं खाते हैं, सर्वेक्षण करेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इर्विन अस्पताल दिल्ली का प्रसूती वार्ड

†**१४२२. श्री कुन्हन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इर्विन अस्पताल, दिल्ली के प्रसूति वार्ड में वर्ष १९६० में कितने रोगी दाखिल हुए ;

(ख) जनवरी से दिसम्बर, १९६० तक प्रत्येक मास में इर्विन अस्पताल में कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई ; और

(ग) अस्पताल के प्रसूति वार्ड में रात की ड्यूटी पर नर्सों की क्या संख्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ३३२६.

(ख)	जनवरी, १९६०	१
	फरवरी, १९६०	१
	मार्च, १९६०	१
	अप्रैल, १९६०	--
	मई, १९६०	१
	जून, १९६०	--
	जुलाई, १९६०	२
	अगस्त, १९६०	१
	सितम्बर, १९६०	--
	अक्तूबर, १९६०	१
	नवम्बर, १९६०	१
	दिसम्बर, १९६०	१
	कुल	१०

(ग) दो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†१४२३. { **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक डाक्टर का आवेदन-पत्र भेजने के लिये, जिसने त्याग पत्र दे दिया, संस्था द्वारा मना करने के मामले का क्या ब्यौरा है ; और क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उन तेईस व्यक्तियों के स्थान पर, जिन्होंने त्याग पत्र दिया था नई नियुक्तियां कर ली गयी हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) यह डाक्टर अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था की सेवा में १५-३-१९५८ से था। मई और दिसम्बर, १९५८ में और फरवरी और नवम्बर, १९५९ में उसने बाहर पदों के लिये आवेदन-पत्र दिये। प्रथम तीन आवेदन-पत्र संस्था के हित में आगे नहीं भेजे गये थे। अप्रैल, १९५९ में प्रशासी निकाय द्वारा किये गये फैसले के अनुसार कि स्थायी कर्मचारियों के आवेदन पत्र बाहर न भेजे जायें, उनका अन्तिम आवेदन-पत्र भी नहीं भेजा गया।

(ख) २३ रिक्त स्थानों में से १९ भर लिये गये हैं।

पूर्व रेलवे पर हस्तलिखित टिकटों का जारी किया जाना

†१४२४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा और बर्दवान के बीच पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों पर मुख्य लाइन पर अथवा नयी कार्ड लाइन पर यात्रियों को छपे हुए टिकट नहीं दिये जाते हैं जिन पर मासाग्राम स्टेशन का निर्देश होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हस्तलिखित टिकटों का लेखा किस प्रकार रखा जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं। तथापि, मासाग्राम स्टेशन के बारे में २६-७-६१ को आनन्द बाजार पत्रिका में एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें हावड़ा के लिये छपे हुए टिकटों की कमी का आरोप लगाया गया था, जिसकी जांच की गयी और सही पाया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) बिना लिखे टिकट में, जिन पर मशीन से नम्बर पड़ा होता है, रिकार्ड फोयल होते हैं, दैनिक गाड़ी रोकड़ बही (डेली ट्रेन्स कैश बुक) में दर्ज की जाती है और इसका संक्षेप टिकट जारी करने वाले स्टेशन के यात्री वर्गीकरण रजिस्टर में भी दर्ज किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विमानों द्वारा बुकिंग

†१४२६. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६० में एयर इंडिया इन्टरनेशनल और इण्डियन एयरलाईन्स कारपोरेशन ने कितने यात्री बुक किये ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : वित्तीय वर्ष १९६०--६१ में दोनों विमान निगमों के विमानों द्वारा ले जाये गये यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार है :--

(१) इण्डियन एयरलाईन्स कारपोरेशन	७,८७,१८७
(२) एयर-इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन	१,२४,९५१

बीमा शुदा लिफाफों की डिलीवरी न होना

†१४२७. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ३० मई, १९६० को कलकत्ता के बड़े डाक घर के बीमा शुदा लिफाफे संख्या ए० ६७३ के डिलीवरी न होने के बारे में १ अगस्त, १९६१ के स्टेट्समैन, दिल्ली में प्रकाशित एक पत्र की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में इसका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) इस मामले में अब क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) इस मामले में निर्णय करने पर कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इसकी डिलीवरी न होने की शिकायत मिलने पर तुरन्त ही जून, १९६० में विभागीय तौर पर जांच पड़ताल की गयी । यह आशंका की गयी कि सांभर झील के पोस्टमैन, श्री किरोडी मल ने डिलीवरी रसीद पर जाली हस्ताक्षर करके उसका गबन कर लिया अतः यह मामला पहले तो स्थानीय पुलिस को सौंपा गया और फिर जयपुर की विशेष पुलिस संस्थान को सौंप दिया गया । तब से इस मामले का जयपुर के विशेष जज के न्यायालय में चालान किया गया है और अब यह न्यायालयाधीन है । जयपुर की विशेष पुलिस संस्थान के सुपरिंटेंडेंट से, जो न्यायालय द्वारा फैसला दिये जाने तक बीमा शुदा पत्र के बारे में दावे के निपटारे के पक्ष में नहीं हैं, अपनी सहमति देने को कहा गया है । डाकिये के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है ।

(ग) कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल ने दावे के निपटारे के लिये मंजूरी दे दी है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में संचार व्यवस्था

†१४२८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में संचार व्यवस्था में सुधार के लिये संघीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गयी है; और

(ग) दी गयी सहायता का क्या ब्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). जी, हां। भिण्ड-इटावा रोडपर चम्बल नदी पर एक पुल बनाने की लागत के एक-तिहाई और यमुना नदी पर पुल की लागत के आधे बराबर, जिसकी लागत का अनुमान क्रमशः ७५ लाख रुपये और ३५ लाख रुपये है, वित्तीय सहायता मांगी गयी है। इस प्रस्थापना पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है ।

केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था, चिंगलपुट, मद्रास

†१४२९. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था, चिंगलपुट, मद्रास को इस वर्ष अतिरिक्त सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ग) कथित संस्था में अनुसंधान का स्वरूप क्या है और इसमें कितने रोगियों का उपचार किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ में ५ लाख रुपये के उपबन्ध के विरुद्ध वर्ष १९६१–६२ के लिये ८ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ग) इस समय संस्था में (१) कुष्ठ रोग के उपचार के नये तरीकों और देशीय औषधियों के बारे में चिकित्सकीय अनुसंधान, (२) कोढ़ियों के स्वस्थ तत्वों के रोगरोधक तत्वों की जांच और (३) बच्चों में रोगों का पता लगाने की दीर्घकालीन जांच की जा रही है ।

सम्बद्ध अस्पतालों में दाखिल हुए रोगियों के उपचार की संख्या लगभग १४०० वार्षिक है और लगभग ५००० बाह्य रोगियों का वार्षिक उपचार किया जाता है ।

भूतपूर्व साउथ इण्डिया रेलवे सैक्शन पर रेल कोच चलाना

†१४३०. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के भूतपूर्व साउथ इण्डिया रेलवे सेक्शन पर और रेल कोच चलाने की प्रस्थापना है;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) इस सैक्टर में इस समय कितनी रेल कोच हैं;

(ग) क्या यह सच है कि निदामंगलम् जंक्शन और मन्नारगुडी के बीच २ रेल कोच पुरानी और रद्दी हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनको बदलने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क), जी हां।

(ख) चौदह।

(ग) और (घ). वे पुरानी ज़रूर हैं परन्तु रद्दी नहीं हैं। तृतीय योजना-काल में इनको बदलने की प्रस्थापना है ।

मेनमबक्कम में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र

†१४३१. **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेनमबक्कम, मद्रास में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र के साथ एक होस्टल सम्बद्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जबलपुर की तरह यहां भी एक होस्टल बनाने का प्रस्ताव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). आवश्यक स्थान की कमी के कारण इस प्रशिक्षण केन्द्र में होस्टल सुविधा नहीं है।

(ग) यह विचाराधीन है ।

कच्चा पटसन

†१४३२. **श्री प्रभात कार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कच्चे पटसन की उपलब्धता के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने कच्चे पटसन के लिये कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का फैसला किया है; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) इस सीज़न में कच्चे पटसन की उपलब्धता के बारे में अभी से कोई निश्चित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ख) जी, नहीं। तथापि सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिकार ले लिये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय योजना में डाक सुविधायें

†१४३३. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में शाखा डाकघरों का स्तर बढ़ा कर उनको अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर अथवा विभागीय उप-डाकघर बनाने का कोई निर्धारित कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो सर्किल-वार कितने डाकघरों का स्तर ऊंचा उठाया जायेगा;

(ग) इस कार्य के लिये कितनी हानि को नज़रअन्दाज किया जायेगा; और

(घ) उन क्षेत्रों के लिये, जिनको पिछड़े हुए या बहुत पिछड़े हुए घोषित किया गया है, कितनी धनराशि निर्धारित की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ग) मुख्य और अन्य प्रभावित डाकघरों से कार्य के साथ पदों के स्थानान्तरण की लागत के अतिरिक्त प्रति डाक घर प्रति वर्ष ५०० रुपये ।

(घ) पिछड़े हुए तथा अति पिछड़े हुए क्षेत्रों के बारे में इस धनराशि में कोई विशेष छूट नहीं है ।

रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन

†१४३४. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलवे स्टेशनों पर (जिन पर इस समय टेलीफोन नहीं हैं) टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो वे कब तक लगा दिये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां । उन सभी रेलवे स्टेशनों पर, जो उन कस्बों के निकट हैं जहां टेलीफोन एक्सचेंज हैं, जिन पर इस समय टेलीफोन नहीं हैं, रेलवे ने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर कर दिये हैं ।

(ख) यह आशा की जाती है कि कुछ स्टेशनों को छोड़ कर जहां एक्सजेंज की क्षमता उपलब्ध नहीं है अथवा जहां नयी पोल लाइन बनाने और केबिल बिछाने में अधिक काम करना पड़ेगा, डाक तार विभाग बाकी स्टेशनों पर मार्च, १९६२ तक टेलीफोन लगा देगा ।

दक्षिण रेलवे पर कल्याण निरीक्षण (वेलफेयर इंस्पेक्टर)

†१४३५. **श्री सिदय्या : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य रेलवे की अपेक्षा दक्षिण रेलवे में कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इंस्पेक्टर) बहुत कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में मुख्य कर्मचारीवर्ग पदाधिकारी[1]

†१४३६. **श्री सिदय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में मुख्य कर्मचारी वर्ग पदाधिकारी के पद को उन्नत करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). यह प्रस्थापना अभी विचाराधीन है ।

रेलवे वर्कशाप, मैसूर में प्रोत्साहन योजना

†१४३७. **श्री सिदय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशाप, मैसूर में प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ; और

(ग) क्या इससे कर्मशाला में कर्मचारियों की संख्या में कमी होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है । यह आशा की जाती है कि वर्ष १९६२ की पहली तिमाही में योजना आरम्भ करने के लिये पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे ।

(ग) जी, नहीं

रेलवे लाइन का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना

†१४३८. **श्री सिदय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण रेलवे में नंजनगुड और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसके लिये कितनी क्षतिपूर्ति दी गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) नंजनगुड–चामराजनगर एक मीटर गेज लाइन इस समय संयुक्त रूप से मैसूर और मंडया के जिला बोर्डों के स्वामित्व में है और इस पर भूतपूर्व मैसूर सरकार और जिला बोर्डों के बीच हुए ४ दिसम्बर, १९३१ के करार के अधीन दक्षिण रेलवे द्वारा गाड़ियां चलायी जाती हैं । करार में व्यवस्था है कि सरकार लाइन खरीद नहीं सकती जब तक कि कोई विशेष कारण न हों अर्थात् जब सरकार इस लाइन को सीधे संचार की लाइन में परिवर्तित करने, इसके गेज़ में परिवर्तन करने अथवा इसके विस्तार के बारे में सोचे परन्तु जिला बोर्डों का ऐसा करने का इरादा नहीं है । इस समय ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chief Personnel Officer.

तथापि, मैसूर सरकार ने हाल ही में करार की शर्तों के बाहर इस लाइन को खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार (रेलवे मंत्रालय) को एक प्रस्ताव किया है। यह विचाराधीन है।

(ग) इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे लाइन का नवीकरण

†१४३९. **श्री सिदय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में मैसूर और चामराजनगर के बीच रेलवे लाइन का नवीकरण किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसका नवीकरण कब किया जायेगा ; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (घ). मैसूर और चामराजनगर के बीच, मैसूर से नंजनगुड टाउन तक ६० पौंड की पटरियां डाली गयी हैं और नंजनगुड से चामराजनगर तक, जो मैसूर जिला बोर्ड के स्वामित्व में है इस समय ४१ ¹/₄ पौंड की पटरी डाली गयी है। इस सेक्शन पर ३२१ से ३२४ मील तक ३९,५०० रुपये की लागत से, जो जिला बोर्ड के नाम लिखा जायेगा, सभी स्लीपरों का पुनर्नवीकरण किया जायेगा। इस लाइन पर बीच बीच में नयी पटरियां और स्लीपर भी डाले जाते हैं।

नंजनगुड टाउन और चामराजनगर के बीच लगभग ३६,००,००० रुपये की लागत से समूचे सेक्शन का नवीकरण चतुर्थ योजना में करने का प्रस्ताव है क्यों कि इस समय जो यातायात है उससे तत्कालिक पुनर्नवीकरण अथवा इसको मजबूत बनाने की वांछनीयता नहीं दिखती। यह लागत मैसूर जिला बोर्ड को लगानी होगी।

मैसूर सर्किल में डाक तथा तार घर

†१४४०. **श्री सिदय्या :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सर्किल में वर्ष १९६१–६२ में कितने नये डाक-घर, शाखा डाक घर तथा उप-डाक घर खोले जायेंगे ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इन डाकघरों की मंजूरी देने से पूर्व क्या न्यूनतम शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) ३५०।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८**]

मैसूर में डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र

†१४४१. **श्री सिदय्या :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर शहर में टेलीफोन आपरेटरों, क्लर्कों और डाकियों के रूप में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक केन्द्र आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब से काम करने लगेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या ऐसा केन्द्र मैसूर सर्किल में किसी अन्य स्थान पर भी आरम्भ किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) से (ग). दक्षिण भारत में सर्किलों की आवश्यकता पूरी करने के लिये एक डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न परीक्षणाधीन है। मैसूर शहर के अतिरिक्त केन्द्र की स्थापना के लिये मैसूर सर्किल में अन्य स्थानों के बारे में भी विचार किया जा रहा है। तथापि, यह मामला केवल समन्वेषणात्मक प्रावस्था में है।

मैसूर सर्किल में डाक तथा तार डिवीज़न

†**१४४२. श्री सिदय्या : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्याधिक्य को ध्यान में रखते हुए मैसूर सर्किल में डाक तथा तार डिवीज़नों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख).

डाक तथा रेलवे मेल सेवा :

(१) बेलगांव डिवीज़न को सहायता देने के लिये १५-२-६१ से एक नया डिवीज़न बनाया गया जिसका सदर मुकाम बीजापुर में है।

(२) बेलारी और मैसूर डिवीज़नों का पुनर्गठन करके २०-७-६१ को शिमोगा डाक डिवीज़न बनाया गया।

तार इंजीनियरिंग :

बंगलौर तार इंजीनियरिंग डिवीज़न का विपाट करने और एक नया डिवीज़न बनाने, जिसका सदर मुकाम मंगलौर में होगा, की प्रस्थापना परीक्षणाधीन है।

स्थगन प्रस्ताव

सोनेपुर में गोलीकांड

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राजेन्द्र सिंह ने एक स्थगन-प्रस्ताव रखा है। श्री राजेन्द्र सिंह।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : बिहार राज्य के सोनेपुर में पुलिस ने १५ अगस्त को एक रेलवे कालोनी में गोली चलाई थी, जिसके फलस्वरूप कई व्यक्तियों को चोटें आईं और अब उनमें से एक की मृत्यु हो गई है।

उपद्रव का कारण यह था कि स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले कुछ विद्यार्थियों को अवैधानिक रूप से रेलवे मैजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको जमानत पर छोड़ने से इन्कार कर दिया था। लोगों के नारे लगाने पर, पुलिस ने उन पर गोली चला दी थी। रेलवे मंत्री को इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिये। वहां राज्य की पुलिस ने रेलवे कालोनी में गोली चलाई थी।

मैं यह नहीं कहता कि सचाई क्या है। पर मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री इसकी न्यायिक जांच करायें। जांच तुरंत होनी चाहिये, जिससे कि प्रशासन अपने विरुद्ध सबूत नष्ट न कर पाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्य ने ग़लतब्यानी की है। मैं उस पर कोई राय नहीं दूंगा। मैं आपके सामने घटना के तथ्य रखता हूं।

सोनपुर के रेलवे मजिस्ट्रेट ने सोनपुर स्टेशन पर १४ अगस्त, १९६१ की रात को पहुंचने वाली ट्रेनों में से २३ बिना टिकट यात्रियों को गिरफ्तार किया था। उसके साथ १३ टिकट चैकर एक सब-इंस्पैक्टर और १० कॉन्सटेबुल थे। उन्होंने ८ बजे रात से टिकटों की जांच शुरू की थी। गिरफ्तार शुदा लोगों को भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२ के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर मेला कार्यालय में हिरासत में रखा गया था। १५ अगस्त को डेढ़ बजे रात में ३८ डाउन ट्रेन से सोनपुर में २०० विद्यार्थियों की एक भीड़ आई और जैसे ही उसके बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने की कोशिश की गई उसने गिरफ्तार शुदा लोगों को हिरासत से छड़ाने का प्रयत्न किया। उसी होहल्ले में सभी गिरफ्तार शुदा भाग निकले। परन्तु पुलिस ने भीड़ के सात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। दो घन्टे बाद, साढ़े तीन बजे तक भीड़ बढ़ कर ५०० की हो गई। उसने उपद्रव शुरू किया; दफ्तरों की खिड़कियों के कांच तोड़ने शुरू कर दिये। एक कॉन्सटेबुल को सिर में चोट लगी। भीड़ ने उनके हाथ से राइफिलें छीनने की कोशिश की। और पत्थर बरसाने शुरू कर दिये।

आध-पौन घण्टे बाद, सुबह सवा चार बजे छपरा के जिला मैजिस्ट्रेट को, साढ़े चार बजे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट को और पांच बजे एस० डी० ओ० को फोन किया गया। पांच बज कर दो मिनट पर रेलवे डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। नौ बज कर पचपन मिनट पर छपरा से एक मैजिस्ट्रेट और साढ़े बारह बजे दोपहर को एक एस० डी० ओ० और एक डी० एस० पी० सोनेपुर आ गये। उन्होंने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की।

उनके आने के बाद सात गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों को १५ अगस्त, १९६१ के ११ बजे दोपहर को छपरा जेल भेज दिया गया। छपरा से अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस आ गई थी।

सात गिरफ्तार शुदा लोगों को छपरा जेल भेजने की खबर पाकर, भीड़ उत्तेजित हो उठी। वह सोनपुर में रेलवे मैजिस्ट्रेट के मकान की तरफ बढ़ने लगी। उसने ट्रेनों का आवागमन रोक दिया और बिजली के बल्ब तथा खिड़कियों के कांच वग़ैरह तोड़ने शुरू कर दिये। सारे दिन सोनपुर में कोई भी ट्रैन नहीं चल सकी।

असैनिक अधिकारियों के समझाने-बुझाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब असैनिक पुलिस को लगभग सवा चार बजे शाम को, छपरा के एस० डी० ओ० के आदेश पर, गोली चलानी पड़ी। गोली रेलवे पुलिस ने नहीं, असैनिक अधिकारियों के आदेश पर चलाई गई थी। गोली रेलवे मैजिस्ट्रेट के मकान के पास चलाई गई थी, जो रेलवे स्टेशन के पास ही है।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि रेलवे मैजिस्ट्रेट रेलवे का नहीं राज्य सरकार का अधिकारी होता है और उस पर राज्य सरकार का ही अनुशासन चलता है।

समाचारों के अनुसार, सोनपुर के रेलवे अस्पताल में छोटी-मोटी चोटों के लिये ८ व्यक्तियों की चिकित्सा की गयी थी। उनमें से किसी को गम्भीर चोट नहीं लगी थी और न किसी की मृत्यु ही हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको हाजीपुर के सिविल अस्पताल में भेजा गया था।

ट्रेन-सेवा में काफी अव्यवस्था हो गई थी, लेकिन शाम तक स्थिति सुधर गयी। वैसे ८ बजे रात तक सोनपुर से केवल ट्रेनें चल पाई थीं, और अन्य ट्रेनों को सोनपुर से कुछ दूरी पर रोक दिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

गया था। ९ बजे रात को ८१ अप और ३५ अप की एक मिली जुली ट्रेन गई। फिर उसके बाद ट्रेनें समयानुसार चलने लगीं।

१६ अगस्त, १९६१ को सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चलने लगीं। हां, सोनपुर से चलने वाली ट्रेनों में खतरे की जंजीर बार-बार खींची गई।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : माननीय मंत्री के वक्तव्य से स्पष्ट है कि १४ अगस्त की रात को सोनपुर स्टेशन पर २३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। हम सभी स्टेशन पर अपने मित्रों या सम्बन्धियों को लेने या पहुंचाने जाते हैं। स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच एक साजिस है कि इस तरह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को दण्ड दिया जाये, इसलिये कि उन्होंने मुझे चुना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति। शान्ति। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें।

मैंने इसके बारे में काफी सुन लिया है। दुर्भाग्य की बात है कि यह काण्ड माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में हुआ। लेकिन उनका यह भी दायित्व है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग बिना टिकट यात्रा न करें।

मैंने कल ही स्पष्ट कह दिया था कि यदि स्पष्टतया यह स्थगन-प्रस्ताव का विषय होगा, तो मैं इसकी चर्चा की अनुमति दे दूंगा। मैं वास्तविकता जानना चाहता था। अब स्पष्ट है कि मामला बिना टिकट यात्रा का था। माननीय सदस्य को इसे रोकना चाहिये। यह सभी सदस्यों का दायित्व है।

यहां बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरकार ने बिना टिकट यात्रा रोकने के लिये क्या किया। और, जब सरकार ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है तो वे उपद्रव करते हैं और उनके विरुद्ध जब कार्यवाही की जाती है तो उस पर यहां आपत्ति की जाती है।

माननीय सदस्यों को स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बिना टिकट यात्रा न करने की सीख देनी चाहिये।

इसलिये मैं इस स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में बार-बार बिजली का बन्द हो जाना

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में बार-बार बिजली का बन्द हो जाना और उसके सुधार के लिये की गई कार्यवाही।"

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम की कुल संस्थापित क्षमता ७७,५०० किलोवाट है और संयंत्र की उपयोज्य क्षमता लगभग

---

†मूल अंग्रेजी में

७२,००० किलोवाट है। उसमें से सुरक्षित रखी जाने वाली क्षमता और समय-समय पर सफाई इत्यादि के लिये आवश्यक विद्युत् को निकाल देने के बाद, संयंत्र ५७,००० किलोवाट विद्युत् स्थायी रूप से संभरित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उपक्रम को पंजाब सरकार के भाखरा-नंगल से १३ तारीख तक २६,००० किलोवाट विद्युत् मिल रही थी। इस प्रकार कुल मिलाकर ८३,९०० किलोवाट विद्युत् हमें सुलभ थी। लेकिन प्रति दिन की मांग ८५,००० से ९०,००० किलोवाट तक थी। इतना ही नहीं, दिल्ली और नई दिल्ली में नित नये-नये मकानों और कार्यालयों के निर्माण के कारण और कुछ उपभोक्तायों द्वारा अपने संस्थापनों में अनधिकृत रूप से विद्युत् का उपभोग करने के कारण, भार अत्याधिक हो गया है। इसलिये विद्युत की सबसे अधिक खपत के घण्टों में उपक्रमों को कुछ भार कम करना पड़ता था। इसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में बारी-बारी से २० से ३० मिनट तक विद्युत् संभरण बन्द कर दिया जाता था। अनधिकृत रूप से उपयोग होने वाली विद्युत् का उपयोग रोकने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

साथ ही, कभी-कभी संभरण में गड़बड़ी भी हो जाती थी। नये निर्माण-कार्यों के लिये अपेक्षित विद्युत् संभरण के लिये योजनापूर्ण ढंग से भी विद्युत् काट दी जाती थी। दिल्ली को विद्युत् वितरण व्यवस्था का प्रसार बहुत बड़ा है और कुछ बड़े ही पुराने संयंत्र कहीं-कहीं लगे हैं, इसलिये इस प्रकार के संयोगों से बचा नहीं जा सकता। १३ तारीख को भाखरा-नंगल से मिलने वाली विद्युत् की मात्रा बढ़ा कर ३५,००० किलोवाट कर दी गई थी। उसके परिणामस्वरूप, हमें ९,००० किलीवाट विद्युत् अधिक मिल जाने के कारण, स्थिति में कुछ सुधार हो गया है।

दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम की क्षमता बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(१) भाप से बिजली बनाने का ३०,००० किलोवाट क्षमता का एक बिजली घर बन रहा है, जो सितम्बर/अक्टूबर, १९६३ तक पूरा हो जायेगा।

(२) सितम्बर/अक्तूबर, १९६३ तक १५ मेगावाट का एक संयंत्र संस्थापित हो जायेगा। उसके लिये टेण्डर मांग लिये गये हैं।

(३) नवम्बर १९६१ तक भाखरा-नंगल से ५,००० किलोवाट बिजली और मिल जायेगी।

(४) जून, १९६२ में भाखरा-नंगल से २०,००० किलोवाट बिजली और मिलने की आशा है।

(५) १९६५–६६ के अन्त तक २×६० मेगावाट सैट्स का संस्थापन और उनका कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

बिजली फेल होने के कारणों की जांच के लिये मैं शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करूंगा। समिति इसकी भी जांच करेगी कि दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम नई दिल्ली नगरपालिका समिति और क्या इसके लिये कर रहे हैं। समिति ही इस अभाव को दूर करने के उपाय सुझायेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुझे इस वक्तव्य से संतोष हो गया है। मैं एक चीज का स्पष्टीकरण चाहता हूं। कुछ समाचारपत्रों में छपा था कि विद्युत् संभरण के लिये घटिया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

दर्जे का कोयला देने के कारण विद्युत् उत्पादन में लगभग १०,००० किलोवाट की कमी हो गई थी। यह कहाँ तक सही है ?

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : समिति इसकी भी जांच करेगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली विकास (सम्पत्ति का प्रबन्ध) विनियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३३८ में प्रकाशित दिल्ली विकास (सम्पत्ति का प्रबन्ध) विनियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३१०२/६१]

वणिक् नौवहन (चिकित्सा प्राधिकारियों को ले जाना) नियम

†**परिवहन और संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: मैं वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चिकित्सा प्राधिकारियों को ले जाना) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३१८३/६१]

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १४ अगस्त, १९६१ को पारित संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १९६१ को राज्य-सभा ने अपनी १६ अगस्त, १९६१ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

सभा का कार्य

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं कल लिये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में, सभा के नेता की उपस्थिति में एक अनुरोध करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कार्यावलि में अन्य विषय मौजूद हैं। मैं इस प्रकार उसके क्रम को बार-बार टूटने नहीं देना चाहता। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ऐसे किसी व्यक्ति को देय वेतन अथवा भत्ते के किसी अंश पर, जिस ने सार्वजनिक हित में स्वेच्छा से उस में कटौती कर दी हो आय-कर की छूट देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ऐसे किसी व्यक्ति को देय वेतन अथवा भत्ते के किसी अंश पर, जिस ने सार्वजनिक हित में स्वेच्छा से उस में कटौती कर दी हो आय-कर की छूट देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा प्रधान मंत्री द्वारा १६ अगस्त, को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये ।"

संशोधन सभा के सामने हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्यों ने कल जो भाषण दिये, उनमें हमारी बुनियादी नीति से काफी कुछ सहमति व्यक्त की गई है, हालांकि एक ने उसकी किसी एक बात पर जोर दिया तो दूसरे ने किसी दूसरी बात पर । इससे मेरा काम काफी हल्का हो गया है । केवल एक अकेले दल के एक माननीय सदस्य ने हमारी वैदेशिक नीति से असहमति प्रकट की है । वह दल हमारी गृह-नीति से भी असहमत है । अभी इस समय उसका उत्तर देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं । सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को समझा है कि हमें समूचे संसार की परिस्थिति को देख कर चलना चाहिये . अलग अलग ढंग से नहीं । युद्ध और शान्ति का प्रश्न ऐसा है कि प्रत्येक देश के लिये वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । इसी दृष्टि से हमें अपनी समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा और अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी ।

श्री वाजपेयी ने कहा कि अफ़्रीका के नये स्वतंत्र देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अभी अच्छे नहीं हैं । हमें उनके साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिये । उनकी धारणा ठीक नहीं है। अफ़्रीका के नये स्वतंत्र देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बड़े अच्छे हैं । इसमें एक बात याद रखनी चाहिये कि हमें क्या बड़ी-बड़ी शक्तियों को भी, अफ़्रीका के इन स्वतंत्र देशों के साथ इस ढंग से बर्ताव नहीं करना चाहिये कि जैसे उनकी रहनुमाई की जा रही है । आज अफ़्रीका में एक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नव-जागरण हो रहा है। उन देशों में एक नयी स्फूर्ति है। इस नये स्फुरण में वे कभी-कभी कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं, जो हमें ठीक न जचें। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि वहां एक नयी जागृति है। इसलिये हमें उनके साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से सलाह-मशविरा करना चाहिये। उनको कुछ आदेश देने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

मैं मानता हूं अफ्रीका के इन देशों में हमारा प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। वैसे अरब अफ्रीका में तो प्रतिनिधित्व पर्याप्त है। शेष अफ्रीका में घाना और नाइजीरिया में हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम सैनेगल के अपने राजदूत का क्षेत्र आइवरी कास्ट, अपर वोल्टा और नाइजर तक विस्तृत कर रहे हैं। कांगो-स्थित हमारा राजदूत चाड, मध्य अफ्रीकी गणतंत्र और गाबोन में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। घाना-स्थित हमारा उच्चायुक्त सायरा लिओन, माली, गायना और लिबेरिया में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार सभी अफ्रीकी देशों में हमारे प्रतिनिधि हो जायेंगे। हम उनको यथासंभव सहायता देने का प्रयत्न करेंगे। अभी भी हम कई अफ्रीकी देशों को प्राविधिक सहायता दे रहे हैं।

श्री नाथपाई ने कहा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में एक शून्य सा है। एक फैशन हो गया है ऐसी बातें करना। मेरी समझ में तो इस शब्द का अर्थ ही नहीं आता। हर देश के काम करने का अपना तरीका होता है, अपनी कठिनाइयां होती हैं। ऐसा शून्य कहीं नहीं होता, जिसे दूसरे देश भरें। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बड़े मैत्रीपूर्ण हैं। बरमा के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही अच्छे रहे हैं। चीन के साथ उसकी संधि होने का यह मतलब नहीं कि हमारे साथ उसके सम्बन्ध ठीक नहीं हैं। हम उनसे यह तो नहीं कह सकते कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है इसलिये उसे चीन के साथ सन्धि नहीं करनी चाहिये। हमें ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये कि सभी देश हमारी तरह सोचें और काम करें। बरमा के साथ कुछ छोटे-मोटे मसलों पर हमारे बीच कुछ गलतफहमी जरूर पैदा हो गई थी। लेकिन किसी भी बड़े मसले पर कोई तनाव नहीं है।

जहां तक पाकिस्तान और भारत को दी गयी अमेरिकी सहायता का सम्बन्ध है प्रेसिडेंट अयूब खां ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिये हैं जो कि गलत हैं। उन्होंने अपने कुछ वक्तव्यों में कहा है कि हम अमेरिका से सैनिक सहायता ले रहे हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। जब हम ने इस संबंध मे जांच की हमें पता लगा कि हमने १९५३ या १९५४ में कुछ टैंक खरीदे थे। हमने यह उपकरण अन्य देशों से भी खरीदे हैं वस्तुतः हमने ये उपकरण उन सभी देशों से खरीदे जहां से यह हमें अच्छी कीमत में मिल सके हैं। अन्य देशों से भी सैनिक उपकरणों की खरीद में सहायता का कोई अंश नहीं है।

प्रेसिडेंट अयूब खां ने एक और भी वक्तव्य दिया है, जिसे पाकिस्तान में बार बार दुहराया जा रहा है, वह यह है कि आपको असैनिक प्रयोजनों के लिये जो सहायता दी जाती है इस से आप अपने स्वदेशी संसाधनों का सैनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग कर सकते है। यह तर्क बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें विदेशों से जो भी सहायता दी जाती है वह किसी एक विशेष प्रयोजन के लिये होती है अथवा कुछ विशेष प्रयोजनों के लिये होती है। अमेरिका, ब्रिटेन अथवा रूस से हमें जो कुछ भी सहायता मिलती है वह अधिकांश पूंजीगत माल के लिये आवश्यक विदेशी विनिमय के लिये होती है। इस के अतिरिक्त हमें परियोजना के लिये अपने देश के संसाधनों का उपयोग करना होता है। निसंदेह यदि हमें विदेशी सहायता नहीं मिलेगी तो हमारी परियोजना पूरी नहीं हो सकेगी। तथापि इससे हमारे

देश के संसाधनों का सैनिक कार्यों के लिये उपयोग नहीं हो सकता है। वस्तुतः प्रत्येक परियोजना में हमें देश के संसाधनों का उपयोग करना होता है। इन परियोजनाओं के द्वारा हम अपने देश के संसाधनों का सैनिक प्रयोजनों लिये उपयोग नहीं कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार हमें सैनिक प्रयोजनों के लिये भी मांग पूरी करनी होती है ।

आज प्रातः के समाचार पत्र में, अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट, चैस्टर बावल्स जो अभी हाल तक भारत में थे के द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण होने पर भारत व पाकिस्तान की रक्षा करने को वचनवद्ध है। उन्होंने १९५४ में आइजनहावर द्वारा लिखे गये एक पत्र का हवाला देते हुए यह कहा है कि 'हम दोनों के लिये वचनबद्ध हैं'। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो भी वचन दिये हों वह दूसरी बात है। सीएटो और सेंटो के अधीन पाकिस्तान के साथ पृथक संधियां हुई हैं। तथापि इस प्रकार की सहायता के संबंध मे किसी देश ने हमें कोई वचन नहीं दिया है। क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि हम भी दूसरों के लिये वचनबद्ध हो जायेंगे। इस प्रकार हम पूर्णतः तटस्थ नहीं रह सकते हैं। वस्तुतः इस मामले में कोई चर्चा ही नहीं हुई। कदाचित वे इस पर नैतिक आधार पर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को सहायता देना नैतिक या व्यावहारिक आधार पर उचित नहीं है, अतः वे यह कह कर अपना मार्जन करना चाहते हैं कि यदि भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हो तो हम भारत की सहायता करने को वचनबद्ध हैं। हमारे साथ इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई है।

वस्तुतः १९५४ में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने जो कुछ कहा वह इस प्रकार था। जब हमने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता के संबंध में उन से कहा था तो उन्होंने यह कहा था कि हम ऐसी ही सहायता आपको भी दे सकते हैं। उस पर मैंने उन से यह कहा था कि यदि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना हानिकारक हो सकता है तो ऐसी ही कोई चीज प्राप्त करना न तो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा और न ही अमेरिका की प्रतिष्ठा अनुरूप होगा।

मैं चेस्टर बावल्स के कथन से जो भ्रान्ति हो गयी है उसे दूर करना चाहता हूं क्योंकि यद्यपि उन्होंने यह बात भारत के प्रति पूर्ण सदाशयता से कही है तथापि उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि इसका निर्वचन इस प्रकार भी हो सकता है जो वास्तव में सही नहीं है। हमारे प्रति वचन-बद्ध होने का कोई कारण नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों ने हम से यह कहा है कि हम सीएटो के अधीन हैं। सीएटो न केवल अपने अधीन देशों की रक्षा कर रहा है अपितु वह अपना जाल अन्य देशों की ओर भी फैला रहा है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम किसी की छत्र छाया के अन्दर नहीं हैं।

आज के समाचार पत्र में यह संवाद भी प्रकाशित हुआ है कि पुर्तगाल की सरकार ने दादरा और नगर हवेली के संबंध में पारित विधेयक के संबंध में भारत सरकार को विरोध पत्र भेजा है। उन्होंने इस विरोध पत्र में यह मंतव्य व्यक्त किया है कि वे भारत संघ के अधिकार क्षेत्र से दादरा और नगर हवेली को जाने के अधिकार के उपयोग का विचार कर रहे हैं। हम सामान्य रूप से इस विरोध पत्र का उत्तर देंगे । मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुर्तगाली सरकार द्वारा भेजे गये किसी भी व्यक्ति को भारतीय क्षेत्र से हो कर नहीं जाने दिया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति या दल ऐसा करने का साहस करता है तो उसे तत्काल भारतीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जायेगा।

श्री ब्रजराज सिंह ने यह पूछा है कि आप भारतीय राष्ट्रिकों को गोआ को मुक्त करने को क्यों नहीं जाने देते हैं? हमारे राष्ट्रिक या तो निशस्त्र रूप से सत्याग्रह करने को जा सकते हैं या कुछ हथि-यारों को लेकर जा सकते है। यह स्पष्ट है कि यदि वह निशस्त्र रूप से जायेंगे तो पुर्तगाली सैनिक उन्हें गोली से उड़ा देंगे। इस से एक शोचनीय स्थिति पैदा हो जायेगी। तब क्या इस के बाद हम वहां सेना

भेजने को तैयार हैं। यदि ऐसा ही है तो हम वहां पहिले ही सेना क्यों न भेज देवें। अथवा हम व्यक्तियों या उन के छोटे छोटे दलों को वहां हिंसात्मक कार्य करने को भेजें। तथापि मेरे विचार से ऐसा करना भी व्यावहारिक नहीं होगा। इस से कोई ठोस परिणाम तो निकलेंगे नहीं तथापि हम इस मामले में अन्तर्गस्त हो जायेंगे। गोआ का प्रश्न या तो शांति प्रिय तरीके से ही हल हो सकता है या सशस्त्र तरीके से। जब उसे सशस्त्र रूप से करने का समय आयेगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तथापि इस प्रकार लोगों का निशस्त्र रूप से जाने या छोटे-छोटे दलों में सशस्त्र रूप से जाने से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता है।

तथापि जैसा कि कल मैंने राज्य सभा में कहा था मैं यह भी आश्वासन नहीं दे सकता कि हम गोआ में सशस्त्र दलों का उपयोग नहीं करेंगे। वर्तमान स्थिति में घटनाओं के चक्र को देखते हुए हम गोआ में सशस्त्र सेवाओं को भेजने की संभावना को समाप्त नहीं कर सकते हैं।

अभी हाल ट्यूनिशिया में फ्रांस सरकार द्वारा बिजार्टा में बम फैंकने की दुखद घटनायें हुई हैं। इस से यह ज्ञात होता है कि ऐसी सरकारें भी जिन्होंने व्यापक रूप से उपनिवेशों को स्वतंत्र करने में सहयोग किया वे भी मानसिक रूप से उन से चिपकी हुई हैं। अन्य देशों को अपने अधीन समझने और उन पर बम फैंकने तथा गोली से उड़ा देने की मनोवृत्ति पुनः लौट आयी ज्ञात होती है। बिजार्टा ट्यूनिशिया का एक सैनिक अड्डा है, सैनिक दृष्टिकोण से भी ऐसा सैनिक अड्डा तभी उपायोगी हो सकता है जब कि वह उस देश के निवासियों की सहमति से हो। कोई भी सैनिक अड्डा उस देश के निवासियों के विरोध में उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है। मुझे यह बड़ा विचित्र ज्ञात होता है कि ट्यूनिशिया निवासियों पर बम डाल कर बिजार्टा पर सैनिक अड्डा कायम किया जा सकता है। वस्तुतः फ्रांस ने यह स्वीकार कर लिया है कि बिजार्टा में सैनिक अड्डा समाप्त करना होगा। अतः प्रश्न उसे धीमे धीमे छोड़ने का या उसे शीघ्रता से छोड़ने का है। अतः इस मामले पर ट्यूनिशिया की सरकार को विचार करना चाहिये। सभी को जानते हैं कि ट्यूनीशिया की सरकार के अध्यक्ष ने पश्चिमी देशों के साथ मित्रता करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है। इस के बावजूद भी उन के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किया गया। निसंदेह हमें सबक मिला है तथापि वह सबक बिल्कुल दूसरे प्रकार का है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ट्यूनीशिया आये और उन्होंने फ्रांस के साथ बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। उन्हें बताया गया कि उन से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की जायेगी। विश्व के एक मात्र संगटन के प्रतिनिधि से इस प्रकार व्यवहार करना नितांत अशिष्ट है। यह उस संगठन को समाप्त करने और उसकी प्रतिष्ठा घटाने का प्रयत्न है। जहां तक हमारा संबंध है हम विजार्टा की पूर्ण स्वतंत्रता और वहां से सैनिक अड्डों को हटाने का समर्थन करते हैं। हमारी नीति सदैव से इसी प्रकार की रही है अब तो इस घटना के पश्चात् हम इस बात पर और अधिक गम्भीरता से विचार करने लगे हैं।

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग को अपने देश में नहीं आने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग के साथ इस प्रकार का अशिष्ट और शत्रुतापूर्ण व्यवहार शोचनीय है। इस में हमें अधिक दुख इस बात पर हुआ है कि ब्रिटेन की सरकार ने भी इस पर मौन सहमति दी है। बड़े राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने लगे हैं यह विचित्र है।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ नहरी पानी संधि तथा बेरुबाड़ी की तरह प्रसन्न रखने की नीति नहीं दिखायी जानी चाहिये। मैं नहीं जानता कि प्रसन्न करना क्या

होता है । नहरी पानी समझौता इस कारण किया गया कि इस से हमें लाभ होता था । इसी प्रकार बेरुवाड़ी का मामला है । भारत के लिये इससे अधिक लाभप्रद बातें कम की गयी हैं । वस्तुतः भारत के लिये बेरुबाड़ी खो देने की संभावना थी, वस्तुतः यह प्रश्न बेरुवाड़ी तक ही सीमित नहीं है वह तो एक बड़े समझौते का एक अंग था, जिस के अधीन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच क्षेत्रों का स्थानान्तरण हुआ । इस में हमें अधिक लाभ हुआ । बेरुवाड़ी के स्थान में हमें अन्य बड़े क्षेत्र मिले । यदि आप इस पूरे चित्र को देखेंगे तो आप इसे स्वीकार करेंगे । मुझे इस में कोई संदेह नहीं है कि यह एक लाभप्रद समझौता है । अतः मैं नहीं समझ सका कि यहां पाकिस्तान को प्रसन्न रखने का क्या तात्पर्य है । इसका तात्पर्य यदि भय और विवशता के कारण किसी कार्य को करना है तो वह निसंदेह बुरा है ।

तथापि इस प्रकार की मनोवृत्ति कि हम एक चरम दृष्टिकोण अपनायें और कभी समझौता न करें नितांत गलत दृष्टिकोण हैं । ऐसा दृष्टिकोण मेरे विचार से किसी देश को भी किसी समय नहीं अपनाना चाहिये । क्योंकि यह शक्ति का प्रमाण नहीं अपितु अपनी दुर्बलता का प्रमाण है जो कि जोरदार भाषा और जोरदार विरोध का रूप अख्तयार कर लेती है । कठोर भाषा का भले ही देश के अन्दर कोई प्रभाव होता हो या न हो तथापि दूसरे देशों में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि दूसरे देश भी ऐसा ही रवैया अख्तयार कर लेते हैं । उदाहरणार्थ बर्लिन के प्रश्न पर ऐसा ही हुआ । ऐसे महत् प्रश्न पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस से यह प्रतीत नहीं होता है कि वे शक्तिशाली देश हैं । वस्तुतः ऐसी भाषा शक्ति का द्योतक नहीं अपितु भय का द्योतक है । यह और बात है कि हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिये और किसी गलत बात पर अपनी बात से हटना नहीं चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अभी भी वैदेशिक मंत्रालय के महासचिव के पेकिंग मे ठहरने और उनके प्रधान मंत्री तथा विदेश कार्य मंत्री से भेंट पर आपत्ति की । मैं नहीं समझता कि इस पर आपत्ति किस कारण हो सकती है जब कि इस के पीछे भय या किसी अन्य कारण से अपने हितों को छोड़ने का प्रयोजन नहीं है । मेरे विचार से ऐसा करना सामान्य और उपयुक्त था । पेकिंग उन के मार्ग में आता था अतः उन्हें पेकिंग के मार्ग से जाना पड़ा । मास्को के मार्ग से उन्हें लम्बा मार्ग तय करना होता है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : कराची लंडन के मार्ग में है इस का यह तात्पर्य नहीं है कि वहां रुका जाये ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : एक अवसर पर प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि जब तक चीन कब्जा किये गये क्षेत्र से नहीं हटेगा तब तक किसी प्रकार के मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बिल्कुल सत्य है । तथापि जब तक दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हैं, जब तक उन्होंने अपने संबंध विच्छेद नहीं कर दिये हैं, जैसा कि हम ने दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है, दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे किसी प्रकार के संबंध नहीं हैं, तथापि जब तक दो देशों के बीच राजनयिक संबंध रहते हैं वे आपस में पत्र व्यवहार करते हैं, भले ही उन के संबंध मैत्रीपूर्ण न हों इस प्रकार का शिष्टतापूर्ण व्यवहार रखना होता है । वस्तुतः लोकतन्त्र की समूची शिक्षा ही यही है ।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : पेकिंग में हमारे राजदूत की सेवाओं का उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। प्रश्न केवल कड़ा विरोध पत्र भेजने का नहीं है। और न श्री वाजपेयी के यहां के भाषण की प्रति भेजने का है।

†**श्री वाजपेयी** : मैं अपने भाषणों की प्रतियां नहीं भिजवाना चाहता। प्रतियां तो प्रधान मंत्री के भाषणों की भेजी जाती हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा मतलब है कि इस मामले पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये। अपनी कोई राय रखना और उस के लिये लड़ना एक बात है, लेकिन किसी से बातचीत ही बन्द कर देना बिल्कुल ही दूसरी बात हो जाती है। यदि बातचीत न करें तो फिर लड़ें। और तीसरा कोई मार्ग नहीं।

मेरा ख्याल है कि इस का कारण यही है कि वे देश अभी परिपक्व नहीं है, उन के काम करने का तरीका परिपक्व नहीं है। अपनी किसी नीति पर दृढ़ रहना एक बात है और सब तरफ से बातचीत के दरवाजे बन्द कर देना दूसरी बात। देशों पर कई तरह से दबाव पड़ते हैं। जैसे चीन ने हमारे राज्य-क्षेत्र पर अधिकार कर के हम पर दबाव डाला है। और हम ने भी संसार को अपना दृष्टिकोण बता कर चीन पर काफी दबाव डाला है। उस की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को काफी ठेस पहुंची है।

इन सभी चीजों को देख कर चलना पड़ेगा। मैं ने जानबूझ कर, सोच-समझ कर ही अपने महा सचिव को पेकिंग में एक दिन ठहरने के लिये कहा था। वह पहले भी चीन में हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह चीन के लोगों से परिचित है। उन्हों ने जाने से पहले मुझ से पूछा था कि क्या वहां अन्य विषयों पर भी बात कर सकते हैं। मैं ने यही उत्तर दिया था कि परिस्थितियों पर निर्भर है कि बात किस तरह चलती है। अगर वे शुरू करें तो बात की जा सकती है। हम कभी भी बात करने से इन्कार नहीं करेंगे। और बातें भी क्या, दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे की तरफ की गुंजाइश टटोलने की कोशिश करते हैं।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : अभी अभी प्रधान मंत्री ने एक अकेले दल के एक अकेले व्यक्ति का उल्लेख किया था। आशा है कि उन का मंशा मुझ से नहीं था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा मतलब स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधि से था। उस की ओर से शायद श्री इमाम बोले थे। मैं अभी उस के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। उन की बातें तर्क और मौजूदा राजनीति की दृष्टि से इतनी ही असंगत हैं।

श्री ब्रजराज सिंह ने पूछा था कि मंगोलिया को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान क्यों दिया जाये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं ने जो कहा उस का बिल्कुल भी यह अर्थ नहीं था। मैं ने तो यह कहा था कि हिन्दुस्तान की सरकार मंगोलिया को यू० एन० ओ० में बिठाने के लिये कौन से कदम उठा रही है। यह तो बिल्कुल उल्टी बात है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : तो यह मेरी गलती है।

सचाई यह है कि मंगोलिया को यू० एन० में स्थान देने के बारे में सदस्य-देश लगभग सर्व-सम्मत हैं। ९९ सदस्य-देशों में से शायद चन्द देश ही असहमत हैं। हम मंगोलिया को स्थान दिलाने के बारे में सदस्य-देशों से बात चीत कर रहे हैं। कोशिश करने का कोई और तरीका ही नहीं है। फारमोसा की क्वोमिंगतांग सरकार को छोड़ कर शेष सभी देश मंगोलिया को शामिल करने के पक्ष में हैं। अमरीका भी इस के लिये सहमत हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री महन्ती ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ इस तरह अलग अलग मसलों पर बेरूबाड़ी और नहरी पानी जैसी सन्धियां नहीं करनी चाहियें। हम तो हर देश के साथ अलग अलग मसलों पर संधियां करने के लिये तैयार हैं। यदि एक एक मामले का निबटारा होता चले, तो हमें वह भी मंजूर है। अच्छा ही है कि हम ने पाकिस्तान के साथ अपने सीमा विवाद का निबटारा कर लिया है। कुछ गड़-बड़ी तो होती है, लेकिन कुल मिला कर अब सीमा पर शान्ति है। मैं ने कल कहा था कि अब पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल की नदियों का प्रश्न उठा रहा है। फर्रक्का बांध का भी। अब यदि उसे अलग से तय किया जा सके, तो हम उस के लिये तैयार हैं। सभी मसले तय होने तक कोई भी मसला तय न करना गलत होगा।

श्री डांगे की इच्छा है कि हम पूर्वी जर्मनी की सरकार को मान्यता दें। उन की दलीलें काफी वजनदार हैं। बात असल में यह है कि पिछले विश्व युद्ध के पहले से हम पश्चिमी जर्मन सरकार को मान्यता देते आ रहे हैं। अभी भी वही जारी है। पूर्वी जर्मन सरकार तो उस के काफी बाद बनी है। हम उसे भी मान्यता देने के प्रश्न पर सोचते रहे हैं। उस में कोई बाधा नहीं। केवल इतनी बात है कि जब दोनों जर्मन सरकारों में एकीकरण और नोकझौंक की बातें चलती रहती हैं। ऐसे में मान्यता देने से परिस्थिति में कोई सुधार नहीं होता। इसीलिये हम रुके रहे। वैसे यथार्थतः हम पूर्वी जर्मन सरकार को मान्यता दिये ही हैं। हमारा एक व्यापार प्रतिनिधि वहां मौजूद है, और कई प्रकार से उनके साथ हमारा संबंध है। हम उन का बहिष्कार नहीं करते।

श्री डांगे ने कहा कि कांगो में श्री लुम्मुबा की हत्या हो गई और हमारी सेना खड़ी देखती रही। बात गलत है। हमारी सेना तो वहां थी ही नहीं जब श्री लुमुम्बा की हत्या की गई थी।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : उन की गिरफ्तारी तो श्री राजेश्वर दयाल की ठीक नाक के नीचे हुई थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारी सेना एक अनुशासित सेना है। वह तभी तो हस्तक्षेप कर सकती थी जब उस से कहा जाये। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कांगों में भेजी जाने वाली सेनाओं की नीति कुछ दूसरी ही निश्चित की थी। हमारी सेना को उसी के आदेशपर चलना है। मैं ने पहले भी कहा था कि उन शुरूआती दिनों में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कई ऐसी कार्यवाहियां की गई थी, जो गलत थीं। और जिन के कारण परिस्थिति और बिगड़ी थी। और एक तरह से उन्हीं गलतियों का प्रत्यक्ष रूप से फल यह निकला था—श्री लुमुम्बा की हत्या हुई थी। पर यह कहना गलत है कि हमारी नीति में अन्तर्विरोध था। सोचने की बात है कि हम कांगों में एक स्वतन्त्र दल की तरह तो काम नहीं कर सकते। सौभाग्य की बात है कि अब कांगो में अच्छे लक्षण दिखाई देने लगे हैं।

श्री नाथपाई ने बिलकुल ठीक कहा है कि दूसरे देशों से हथियार खरीदने के बारे में हमारे अन्दर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिये। जहां से भी सस्ते और अच्छे हथियार मिलें, हमें खरीदने चाहियें।

मैं सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है।

कुछ संशोधन भी हैं। मैं सभी को स्वीकार नहीं करता। मैं श्री नलदुर्गकर का संशोधन स्वीकार करता हूं, जो भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्—

"यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्संबंधी नीति पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दादरा और नगर हवेली विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा दादरा और नगर हवेली विधेयक पर विचार करेगी ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां। मेरे पास उस की प्रति मौजूद हैं । इसलिये अब इस में कोई बाधा नही रह जाती ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का संसद् में प्रतिनिधित्व करने और इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन एवं तत्संबंधी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक का, आनुषंगिक विधेयक है । सभा उसे अपेक्षित बहुमत से पारित कर चुकी है । यह विधेयक उस को व्यावहारिक रूप देने के लिये है ।

इस विधेयक की अधिकांश व्यवस्थायें अस्थायी हैं । इस अवस्था पर स्थायी परिवर्तन करना वांछनीय नहीं होगा। हम ने लोक सभा में उन के लिये स्थान की व्यवस्था की जा रही है । अभी उन के प्रतिनिधि की नामजदगी ही होगी । उनकी वरिष्ठ पंचायत एक चुनी हुई पंचायत है । राष्ट्रपति द्वारा नामजदगी का उल्लेख संशोधनों में है । अभी इस समय मतदाता सूची के बारे में निर्वाचन आयोग से परामर्श किये बिना हम निर्वाचन की व्यवस्था तो नहीं कर सकते । इसीलिये खंड १० में इस की गुंजाइश रखी गई है कि बाद में मतदाता सूचियां, इत्यादि तैयार कराने के बाद, निर्वाचन की व्यवस्था की जा सकेगी । उस के लिये नया विधान लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

एक संशोधन में कहा गया है कि छः महीने बाद वरिष्ठ पंचायट के स्थान पर बालिग मताधिकार के आधार चुने हुए निकाय गठित किये जायें । चूंकि वरिष्ठ पंचायत का हर सदस्य अभी भी चुना आ रहता है, इसलिये इस में कोई सार नहीं ।

इस विधेयक में कहा गया है कि उइस संघ क्षेत्र का उच्च न्यायालय बम्बई में रहे । इस का यह मतलब कतई नहीं कि इसे बाद में महाराष्ट्र के साथ मिलाने की योजना है। वह केवल सुविधा के विचार से किया गया है ।

इन के अतिरिक्त, अन्य वित्तीय व्यवस्थायें हैं। उन पर किसी को कोई मतभेद नहीं होगा मेरा अनुरोध है कि सभा इस का अनुमोदन करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस के लिये सरकार को बधाई देता हूं । मेरा सुझाव यह है कि हमें इस प्रश्न को ऐसे ढंग से हल करना चाहिये कि अन्य देश हमारा अधिक विरोध न करें, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी कुछ अनबन है और लंका तथा दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले भारतीयों का मसला अभी तक हल नहीं हो सका है। हमें रंगून से जापान तक मैत्री के आधार पर एक मोर्चा बनाना चाहिये, तभी हम पेकिंग पर दबाव डाल सकेंगे ।

पाकिस्तान के साथ मिली जुली प्रतिरक्षा की व्यवस्था करके पाकिस्तान के साथ सारे झगड़े को निबटाया जा सकता है ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद): मैं इस विधेयक के लिये सरकार को बधाई देता हूं। विधेयक ने वरिष्ठ पंचायत की प्रतिष्ठा बनाये रखी है । परन्तु खण्ड १४ में वरिष्ठ पंचायत के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं रखी गई है ।

खण्ड १२ में न्यायालय को सलाह दी गई है । यह अनुचित है । इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये ।

इस खण्ड में अपील की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

यह बड़ा अच्छा है कि दादरा तथा नगर हवेली के न्यायालय को बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखा गया है । खण्ड ११ बड़ा अच्छा है ।

खण्ड ४ के उपखण्ड (२) में वरिष्ठ पंचायत के कृत्यों को परामर्श के रूप में रखा गया है । लेकिन पंचायत और प्रशासक में मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो ? सरकार को कोई ऐसा साधन निकालना चाहिये कि दोनों में मतभेद खड़े न हो सकें ।

हमें इस पर गर्व है कि दादरा और नगरहवेली के क्षेत्र अब हमारे संघ क्षेत्र बन रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक गौरवशाली पृष्ठ होगा । आशा है कि हमारे परिवार में अन्य पुर्तगाली बस्तियां भी शीघ्र ही शामिल होंगी ।

परन्तु हमने दादरा और नगर हवेली के संघ क्षेत्र को एक नगरपालिका की तरह रखा है । हमें उसे अधिक प्रतिष्ठित रूप देना चाहिये था । मेरा अनुरोध है कि वहां प्रशासक के स्थान पर आयुक्त रखा जाये ।

वरिष्ठ पंचायत को भी अधिक प्रतिष्ठित रूप दिया जाना चाहिये । उसने इस बीच में काफी अच्छा काम कर दिखाया है । उसने हमारे देश की नगरपालिका और पंचायतों के लिये एक आदर्श पेश किया है ।

बड़ी खुशी की बात है कि वरिष्ठ पंचायत ही इस क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करेगी ? इस संघ क्षेत्र के विकास के लिये उदारता से राशियां देनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री दी० चं० शर्मा]

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वर्तमान विधियां ही लागू रहेंगी। हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में करों, उपकरों, शुल्कों और फीस की क्या स्थिति है। इसका एक विवरण परिचालित किया जाना चाहिये।

भौगोलिक सुविधा के विचार से इस संघ क्षेत्र के न्यायालय को बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखा गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश के न्यायालय को पंजाब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखा गया है।

खण्ड १३ में एक बड़ी उपयोगी व्यवस्था की गई है कि यदि इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई सामने आये, तो उसे दूर करना केन्द्रीय सरकार का काम होगा।

अभी दादरा तथा नगर हवेली से संसद के लिये एक सदस्य नामजद किया जायेगा। आशा है कि कुछ समय बाद उसका भी निर्वाचन ही होगा। आशा है कि अभी उसकी नामजदगी में अधिक समय नहीं लगाया जायेगा। इसलिये कि संसद में उसका आगमन एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी। दादरा और नगर हवेली में बिना बन्दूकों और सेना की सहायता के अपने-आपको स्वतंत्र करके मुक्ति की वह प्रक्रिया पूरी की है जो महात्मा-गांधी ने शुरू की थी।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना): इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं तथा पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक को पारित करने से पूर्व दादरा और नगर हवेली में वरिष्ठ पंचायत सर्वोच्च निकाय है। लेकिन अब यह परामर्शदात्री निकाय बन जाती है। खंड ४ के अनुसार प्रशासन के मामल में अब इसकी राय ली जायेगी। न्याय के मामल में भी इसकी राय ली जानी चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उच्च न्यायालय सम्बन्धी विधान के बारे में इसकी राय क्यों नहीं ली गई। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्णय करते समय इस निकाय की राय जान लेना ठीक होता।

खंड १२ के अनुसार न्यायालय न केवल विधि का निर्वाचन ही करेंगे बल्कि वर्तमान विधि में भी कुछ और वृद्धि करेंगे। यह बात अच्छी नहीं है।

मेरा निवेदन है कि सरकार को उस क्षेत्र में लगाये गये दरों की विस्तृत जानकारी देनी चाहिये थी। सरकार को उस क्षेत्र में जो कानून प्रवर्त्तन में है, उनके बारे में भी कुछ सामग्री देनी चाहिये थी।

अब हमें गोआ, दामन और डयू के बारे में भी कुछ करना चाहिये। जब तक ये नगर पुर्तगाली शासन में हैं तब तक भारत जैसे देश के लिये यह शर्म की बात है।

†**श्री नथवानी** (सोरठ): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरा विचार है कि इस वरिष्ठ पंचायत को कुछ और ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिये था। वर्तमान नियम अभी कुछ दिनों तक चालू रहेंगे। मेरा विचार है कि उनमें कुछ परिवर्तन होने चाहिये। बंबई उच्च न्यायालय के क्षत्राधिकार बढ़ाने की बात कही गई है। चाहे यह क्षेत्राधिकार बम्बई उच्च न्यायालय का बढ़ाया जाय अथवा गुजरात उच्च न्यायालय का इस सम्बन्ध में मेरा

---

†मूल अंग्रेजी में

सुझाव है कि यह क्षेत्राधिकार वरिष्ठ पंचायत की सिफारिश के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिये। और ऐसा करने के कोई कठिनाई नहीं है। बल्कि इससे तो न्याय के प्रशासन में सुविधा ही होगी।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर): इस विधयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे विवाद उत्पन्न हो। यह विधेयक तो इन राज्य क्षत्रों के अच्छे प्रशासन के लिये है। यह विधेयक तो इस समय अस्थायी तौर पर प्रबन्ध करने के लिये तैयार किया गया है जिसमें बाद को चलकर आसानी से परिवर्तन हो सकते हैं। यह समय इस बात का नहीं है, कि कौनसा भाग गुजरात में जाय और कौन सा महाराष्ट्र में, हम इसी बात का फैसला करते रहें।

चूंकि विधेयक के अन्तर्गत अस्थायी तौर से व्यवस्था की जा रही है इसलिये फिलहाल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रश्न के बारे में कोई चर्चा है न होनी चाहिये। कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद परिवर्तन किये जा सकते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन शब्दों के साथ मैं इस विधयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मेरा विचार है कि विधेयक के उददेश्यों और कारणों का वक्तव्य बहुत ही 'क्षमा याचक' सा है। हमें हर बार इस बात पर जोर नहीं देना चाहिये कि उन क्षेत्रों की जनता द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर यह विलय हुआ है।

विधेयक के उपबंधों का जहां तक सम्बन्ध है मुझे उनमें कुछ कमी दिखाई पड़ती है। कानून के बारे में विधेयक में आशय का उपबंध होना चाहिय कि जबतक वहां का कोई कानून भारत के नियमित या बुनियादी कानून के प्रतिकूल न हो वह जारी रहेगा। क्यों कि हर बार संसद के सामने कोई न कोई संशोधन लेकर आना ठीक नहीं है। इससे काम बढेगा। मेरे विचार से भारत के कानून एक अधिसूचना निकाल कर वहां लांगू किये जा सकते हैं। इसके लिये सरकार को संसद की अनमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां जो कानून जारी है उनमें अधिसूचना के द्वारा रूप भेद करने के लिये सरकार को रक्षित शक्ति प्रदान करने के लिये विधेयक में कोई उपबंध किया जाना चाहिये।

इन क्षेत्रों में कोई आयकर नहीं है। इसलिये सरकार को आयकर–अधिनियम भी वहां लागू करना चाहिय। अगर वहां कोई प्रशुल्क हैं तो वे भारत क अन्य राज्यों के बराबर कर दिय जाने चाहिये और यदि वहां कोई प्रशुल्क नहीं हैं तो वहां भी प्रशुल्क लगाने चाहिये।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मैं स्वागत करता हूं। इस सम्बन्ध में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात तो मैं धारा ३ की उप-धारा १ के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि जहां पर लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीव आइलेंड्ज लिखा हुआ है उसके बाद दादरा और नगर हवेली लिख दिया जाए। इसका यह अर्थ होगा कि जिस तरह से इन द्वीपों में राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ है कि इन इलाकों से लोक सभा के लिए वह एक सदस्य को नामजद कर सकते हैं, उसी तरह से दादरा और नगर हवेली का लोक सभा में कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इसका फैसला राष्ट्रपति जी करेंगे, उसको राष्ट्रपति जी नामजद करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

राष्ट्रपति की नामजगी का तात्पर्य हम सभी समझते हैं। केन्द्रीय सरकार से है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि दादरा और नगर हवेली में कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिन के कारण केन्द्रीय सरकार को वहां से लोक सभा के लिए प्रतिनिधि नामजद करने की आवश्यकता होती है। आसपास का सारा इलाका इस तरह का है जहां पर कि चुनाव होते हैं। वरिष्ठ पंचायत के लिए भी वहां चुनाव हुए हैं। ऐसी सूरत में चुनाव के द्वारा वहां के प्रतिनिधि को न लेना मैं समझता हूं जनतंत्रीय परम्पराओं के विरुद्ध है। वहां के लोग जब इतनी प्रगति कर चुके हैं तब फिर पीछे की तरफ उनको धकेलना और यह कहना कि उनके प्रतिनिधि को केन्द्रीय सरकार नामजद करेगी, मैं समझता हूं उचित नहीं है और सरकार इस व्यवस्था को इसमें से हटा दे।

एक बात कही जा सकती है। आम चुनाव इतने नजदीक हैं कि सम्भवतः वहां पर मतदाता सूचियां ठीक तरह से नहीं बन सकती हैं। मगर मैं समझता कि हूं यह उचित कारण नहीं होगा। वह इतना छोटा इलाका है और इतने कम वोटर वहां हैं कि इस काम को एक सप्ताह के अन्दर समाप्त किया जा सकता है। ५०–६० हजार की वहां की आबादी है और इसमें से मुश्किल से २५–३० हजार ही मतदाता होंगे। इनकी सूचियां एक सप्ताह में बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिये। जनरल इलैक्शन अभी काफी दूर है, उसके होने में अभी काफी वक्त है और इस बीच में मतदाता सूचियां आसानी से बनाई जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रखेगी जो कि आज की परिस्थितियों में प्रतिक्रिया वादी कही जा सके।

अब मैं धारा ४ के सम्बन्ध में यह कुछ कहना चाहता हूं। जैसा हम जानते हैं अब तक वहां का पूरा शासन प्रबन्ध वहां की वरिष्ठ पंचायत चलाती थी। वह जो शासन चलाती रही है, उसमें अब एक एडमिनिस्ट्रेटर को वहां का एक डिक्टेटर बना देना ठीक नहीं होगा। भले ही यह कहा जाए कि जो वरिष्ट पंचायत की राय होगी, उसको हर सम्भव तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर मानने की कोशिश करेंगे। यह उनके लिए बंधनकारक नहीं है, यह उनके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी राय को एडमिनिस्ट्रेटर मान ही लें। आज जब कि वहां के लिए जनतंत्रवादी परम्पराओं की स्थापना हम कर रहे हैं, यह गलत होगा कि उसकी राय को वहां के एडमिनिस्ट्रेटर न मानें। अगर उसकी राय को वह नहीं मानते हैं तो उस पंचायत को ऐसा लगेगा कि अब तक जो अधिकार उसको प्राप्त रहे हैं और जो वह करती रही है, हम में सम्मिलित होने के बाद सम्भवतः उनकी आजादी का कुछ हद तक हनन हो रहा है। अगर वहां के लोग ऐसा सोचते हैं तो इस तरह की कोई भी बात करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। मैं जानता हूं कि भारतीय जनतंत्र के बनने के बाद जो राजा थे, उनके इलाको को जब हमने अपने में मिलाया तो वहां भी कुछ इस तरह की बातें की गई थीं जोकि पहले वहां नहीं होती थीं और इससे जाहिर होता था कि हम उनके लिए और भी प्रति क्रियावादी हो गए हैं। इस केस में भी अगर इन दो चीजों पर अमल होगा तो उससे लगेगा कि वहां की जनता के लिए दो ऐसी चीजें की जा रही हैं जो प्रतिक्रियावादी हैं, जो प्रगतिशील नहीं हैं। अगर किसी चीज का यह अर्थ लगाया जा सकता हो कि भारतीय जनतंत्र में शामिल होने का मतलब उनके लिये यह है कि अब तक जो कुछ प्रगतिशील कानून वहां थे, प्रगतिशील कुछ चीजें चल रही थीं, उनको प्रतिक्रियावादी बातों में बदला जा रहा है तो फिर उनके लिए भारतीय जनतंत्र में शामिल होने के कोई माने नहीं रह जायेंगे और वे समझेंगे कि सम्भवतः वे कुछ और प्रतिक्रियावादिता की तरफ जा रहे हैं।

जब आदिवासी इलाकों के बारे में यह कहा जाए कि वहां से किसी को नामजद किया जाए तो इसको माना जा सकता है । लकादीव और मिनिकाय आदि द्वीपों के बारे में भी इसको माना जा सकता है । अंदमान आइलैंड के बारे में भी माना जा सकता है । लेकिन दादरा और नगर हवेली के लिए जो कि बिल्कुल एक मैदानी इलाका है और जहां आसानी से चुनाव किए जा सकते हैं और चुनाव हुए हैं, वहां पर नामजदगी की बात को रखना कतई उचित नहीं होगा और यह भी उचित नहीं है कि वरिष्ठ पंचायत जो पूरा शासन प्रबन्ध अब तक चलाती रही है उसकी पोजीशन अब सिर्फ एक सलाहकार परिषद् की कर दी जाए और दिल्ली से कोई वहां पर बिठा दिया जाए और मनमाने ढंग के कार्य करे और वरिष्ठ पंचायत की सालह को न माने । इसलिए मैं चाहता हूं कि इन व्यवस्थाओं में उचित संशोधन किया जाए और अगर आप अब संशोधन करने की स्थिति में नहीं हैं और सोचते हैं कि यह एक आर्जी कानून है और जल्दी ही वहां के लिए विधिवत् एक स्थाई कानून बनाया जाएगा और इसको लागू किया जाए तो एक बात मैं जरूर चाहूंगा कि जब तक यह अस्थायी कानून लागू रहे और जब तक कोई विधिवत् स्थायी कानून नहीं बन जाता तब तक के लिए इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि हर साल के बाद उन मामलों में जिन में कि एडमिनिस्ट्रेटर वरिष्ठ पंचायत की सलाह को न माने, वरिष्ठ पंचायत की सलाह के खिलाफ कोई शासन प्रबन्ध करे, उस सब के बारे में एक वक्तव्य संसद् में रखा जाए ताकि हमें पता लग सके कि वरिष्ठ पंचायत की सलाह को क्या कीमत दी जा रही है और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक तरफ खींच रहे हैं और वरिष्ठ पंचायत दूसरी तरफ खींच रही है और इस तरह से जनतंत्रवादी शक्तियों में और प्रतिक्रियावादी शक्ति जो है, उनमें कोई खिचाव पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है ।

अब मैं दफा ५ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इसमें भी मैं समझता हूं कि वह सफाई नहीं है । जो कि वरिष्ठ पंचायत के अधिकारों के बारे में होनी चाहिये । जो भी अधिकार वरिष्ठ पंचायत के अब तक रहे हैं वे हिन्दुस्तान में सम्मिलित होने के बाद, विदेश नीति तथा दूसरे जो केन्द्रीय सरकार के विषय हैं, उनके अतिरिक्त जितने भी और विषय हैं, सीमित नहीं किए जा रहे हैं और उन सभी के बारे में उसको पूर्ण अधिकार हैं, ऐसा उनको अनुभव होना चाहिये । उसके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिये इस वास्ते कि वह इलाका भारत में शामिल हो रहा है । ऐसी व्यवस्था करना उन इलाकों के लिए भी अच्छा होगा जोकि भविष्य में हम में मिलने वाले हैं, जो हमारे अभिन्न अंग हैं और जो कानूनी रूप से हमारे अंग बनने वाले हैं । उनके सामने भी हमें अच्छा उदाहरण उपस्थित करना चाहिये ।

मैं अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद और बम्बई की हाई कोर्टों के सम्बन्ध में जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह उचित विवाद नहीं है । श्री नथवानी ने कहा है कि वह यह बात इसलिए कह रहे हैं कि गुजराती जोकि शायद वहां के रहने वालों की मातृभाषा है, इसलिए उनको उसमें शामिल किया जाए और उसी में उनका कामकाज चले। इसीलिए उनकी यह चिन्ता है कि इस तरह के संशोधन को मान लिया जाता और वहां के लोगों की राय के मुताबिक हाई कोर्ट के बारे में सवाल तय किया जाता । मैं उनकी इस चिन्ता से सिद्धांत रूप में सहमत हूं । मैं समझाता हूं कि न सिर्फ दादरा और नगर हवेली में बल्कि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में भी जहां तक न्याय देने का सवाल है, वह सभी को अपनी भाषा में दिया जाना चाहिये, मातृभाषा में दिया जाना चाहिये । वहां के जो निवासी हैं, उनकी मातृभाषा अगर गुजराती है तो गुजराती को अपनाने में कोई एतराज नहीं होना

[श्री ब्रजराज सिंह]

चाहिये भले ही वे बम्बई हाई कोर्ट में रहें या अहमदाबाद हाई कोर्ट में रहें। इस पर कोई विवाद खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये । वहां का काम काज गुजराती में चलाया जाए या मराठी में, इसका फैसला वहां की जनता की राय से किया जाना चाहिये । वहां का शासन प्रबन्ध और न्याय प्रशासन आदि उनकी अपनी भाषा में चले, इससे अच्छी बात और और क्या हो सकती है ।

श्री त्यागी : अब तक गुजरात बम्बई में ही था ।

श्री ब्रजराज सिंह : अब तो अलग हो गया है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैं ने दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा और कोई तरीका निकाला जाएगा जिससे कोई ऐसी बात न हो सके जिसे प्रतिक्रियावादी कहा जा सके ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं इसका स्वागत करता हूं। इस विधेयक को पारित करने के बाद इन क्षेत्रों की स्वतंत्रता एवं उनके विलय का काम पूरा हो जाता है । शीघ्र ही संसद् में वहां के निवासियों के प्रतिनिधि को यहां स्थान मिलेगा । भारत सरकार ने यह सिफारिश ठीक ही की है कि इन क्षेत्रों के लिये बम्बई उच्च न्यायालय होना चाहिये । क्योंकि यह बहुत ही सुविधाजनक है तथा इस बारे में उपबन्ध का रखना उपयुक्त ही है ।

ऐसी आशा है कि वहां के लोगों को यह अधिकार होगा कि वे भारत के किसी भाग में अपनी इच्छानुसार मिल सकें । परन्तु इसके लिये कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी । हमें कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिये जिससे पुर्तगाल को हमारे विरुद्ध प्रचार की सामग्री मिल सके । इस आश्वासन का स्वागत है कि केवल उन विधियों को चालू रखा जायेगा जो हमारे मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं हैं । यह भी आशा है कि उनके प्रतिनिधि के नामीकृत करने की प्रथा सदैव नहीं बनी रहेगी तथापि राष्ट्रपति के सलाहकार नामीकरण के समय सम्बद्ध व्यक्ति के प्रतिनिधिक दर्जे पर पूर्णतः विचार करेंगे ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस संविधेयक का स्वागत करता हूं । मुझे इस बात की आशंका है कि दादरा और नगर हवेली की नामजदगी भविष्य में भी की जाती रहेगी । यदि यह व्यवस्था स्थायी रहेगी तो यह उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिये ।

वरिष्ठ पंचायत को सात साल अच्छे ढंग से काम करने का अनुभव है और उसे केवल परामर्शदात्री निकाय का दर्जा देना उसके साथ अन्याय होगा । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि वहां जो प्रशासन रखा जाये वह उनकी बातें सुनकर अपने ही मन से काम न करे । हम उन लोगों को यह महसूस न होने दे कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । वरिष्ठ पंचायत को अपना मूल स्वरूप बनाये रखना चाहिये ।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : यह विधेयक दादरा और नगर हवेली के प्रशासन एवं उनके निवासियों को संसद् में प्रतिनिधित्व देने के बारे में है । संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक पारित हो जाने पर दादरा और नगर हवेली भारत के अंग बन गये हैं । अब वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को इन क्षेत्रों का प्रशासन न करने दिया जाये । आशा है कि गोआ के

---

†मूल अंग्रेजी में

बारे में भी शीघ्र ही इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी और उसे पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया जायेगा । हमें आशा है कि सरकार हमारे परामर्श पर दादरा और नगरहवेली में इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि उन लोगों को प्रशासन में वास्तव में परिवर्तन जान पड़े और हमें यह भी आशा है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये वहां सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे ।

मेरा निवेदन है कि ऐसा उपबन्ध किया जाये कि कोई भी कानून जो भारत के संविधान के प्रतिकूल हो, शून्य होगा ।

अन्त में इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रधान मंत्री को इसके लिये बधाई देता हूं ।

श्री ना० नि० पटेल (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, दादरा और नगर हवेली का जो बिल यहां हाउस में पेश हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं । उस के बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है । मुझे केवल थोड़ी सी बातें निवेदन करनी हैं ।

अभी यहां जो बिल के बारे में चर्चा हुई और उसके दौरान श्री नथवानी ने और शर्मा जी ने भी कहा कि वरिष्ठ पंचायत को हायर स्टेटस दिया जाना चाहिए था जो कि बिल को देखने से नहीं दिया मालूम पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पंचायत के जो कुल २१ सदस्य हैं उन में २ केवल गैर-आदिवासी हैं बाकी १९ आदिवासी लोग हैं जानमे, धोड़ी, फूफंता, और वारली हैं । अब हालत यह है कि उन सदस्यों को अगर कहीं जाना हो तो स्टेट ट्रान्सपोर्ट की बसेज में बैठने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है । यहां पर जो २१ लोग आये हैं उन में से २ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने कि इससे पहले कभी अपनी तमाम जिन्दगी में रेलगाड़ी पर सफर नहीं किया ।

आपने बिल में लिखा है कि वरिष्ठ पंचायत की सलाह लेकर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन आप चलायेंगे । अब दादरा और नगरहवेली का १८८ मील का क्षेत्रफल है जिसमें कि ७२ गांव हैं और अगर आप उनको पंचायत की मीटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए सेलवास जोकि वहां की राजधानी है, बुलायेंगे तो सेलवास पहुंचने के वास्ते उन लोगों को करीब करीब ३०–३० और ४०–४० मील का फासला तय करना होगा और आपने उसके वास्ते इस बिल में कोई प्राविजन नहीं रक्खा है कि उनको इस वास्ते क्या रैम्युनैरेशन दिया जायगा। अब वरिष्ठ पंचायत में जो २१ सदस्य हैं उनमें से मैं समझता हूं कि केवल ४ या ५ आदमियों के पास ही अपना साल भर गुजारा करने लायक खेतीबाड़ी करने के लिए जमीन होगी । बाकी दूसरे लोग बेचारे मजूरी करने वाले हैं और आप स्वयं समझ सकते हैं कि वह ऐडमिनिस्ट्रेशन की सलाह देने कैप्टिल जायेंगे या वह मेहनत मजदूरी करेंगे या अपनी खेतीबाड़ी का काम करेंगे ? मेरा यह सुझाव है कि वरिष्ठ पंचायत के सदस्यों के वास्ते रैम्युनैरेशन की कोई माकूल व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री नथवानी ने दादरा और नगरहवेली के ऊपर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में जो कहा है मैं उससे सहमत हूं । मैं ने उसके वास्ते अमेंडमेंट भी मूव किया है । मेरी कांस्टीटुएंसी दादरा और नगरहवेली के तीन बाजू में लगी हुई है और वहां उधर के

[श्री ना० नि० पटेल]

लोग गुजराती के साथ ज्यादा सम्बद्ध हैं । वहां के लोग गुजराती ज्यादा बोलते हैं । मैं चाहता हूं कि दादरा और नगरहवेली पर किस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रहे इसका फैसला वरिष्ठ पंचायत करे । वरिष्ठ पंचायत इस बात का निर्णय करे कि हम बम्बई हाई कोर्ट के अन्तर्गत रहें अथवा अहमदाबाद हाई कोर्ट के । जैसा वरिष्ठ पंचायत तय करे वैसे ही भारत सरकार को तय कर देना चाहिए ।

इसके अलावा मुझे और कुछ अधिक नहीं कहना है ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : दादरा और नगरहवेली की कुल जनसंख्या ५०,००० है और सिद्धान्त की दृष्टि से इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि क्या इन ५०,००० व्यक्तियों के लिये एक पृथक सीट रखी जाये जबकि हमारे यहां आठ लाख लोगों के पीछे एक सदस्य होता है यह बात दादरा नगरहवेली के लोगों के विरुद्ध नहीं जाती परन्तु इस पहलू पर विचार की आवश्यकता है । वहां एक परामर्शदात्री समिति है जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है । वरिष्ठ पंचायत अपने कार्यों का प्रबन्ध सम्यक प्रकार से करती रही है तथा इसे सलाहकार निकाय का दर्जा देना अनुचित है ।

वहां जो विधियां वर्तमान हैं उनके बारे में भी हमें उचित विचार करना चाहिये तथा उन्हें उचित सम्मान भी देना चाहिये ।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने दादरा और नगरहवेली की शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में जो बिल पेश किया है, मैं उस का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारा यह क्षेत्र पांच सात सौ वर्ष के बाद भारत-भूमि में शामिल हुआ है, जिस के सम्बन्ध में बिल परसों पार्लिमेंट ने पास किया है । वहां से पार्लिमेंट के लिये प्रतिनिधि के विषय में राष्ट्रपति द्वारा नामजदगी की जो व्यवस्था की गई है, वह जरूरी और ठीक है, क्योंकि अभी उस का कुछ हिस्सा हम को मिला नहीं है और विदेशियों के हाथ में है ।

जहां तक हाई कोर्ट का सम्बन्ध है, जो उन की मातृ-भाषा है, जिस भाषा से उन का सम्बन्ध है, उस को और उन की रुचि तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बारे मे निर्णय लिया जाये ।

मैं यह भी चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र पांच सौ वर्ष के बाद भारत-भूमि में शामिल हुआ है, वहां के लोगों के उद्धार के लिये, वहां के कम्यूनिकेशन्ज (आमदो-रफ्त), हिफाजत और विकास के लिये जितनी भी सुविधा हम दे सकें, वह उन को दी जाये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (बेल्लोर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । मेरा विचार है कि वरिष्ठ सभा को कुछ स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये । प्रशासन का दर्जा एक प्रबन्धक अधिकारी के समान होना चाहिये । जिससे कि इस सभा को इस बात का ज्ञान हो जाये कि इनके भी अपने कुछ अधिकार हैं ।

विधेयक में बम्बई उच्च न्यायालय लिखा गया है जिसे बदल कर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय किया जाना चाहिये । हालांकि दादरा और नगरहवेली की जनसंख्या केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

५०,००० है लेकिन फिर भी उनको संसद् में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । ताकि वे स्वयं अपने आपको भारत का एक अंग समझने लगें ।

वहां के लोग अधिकतर आदिम जातीय हैं, अतः उनकी परम्परा और रूढ़ियों का सम्मान होना चाहिये । यह ठीक ही है कि उन्होंने यह निवेदन किया था कि इनको भारत संघ में मिलाया जाये । मैं समझता हूं कि उनको इस निवेदन में कोई हानि नहीं है ।

जहां तक इन क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है उनके विकास पर हमें और धन खर्च करना चाहिये ।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : यह विधेयक ऐसा ही है कि जिसका स्वागत किया ही जाना चाहिए । लोगों में इससे यह धारणा पैदा नहीं होनी चाहिये कि उन पर कुछ ठोसा जा रहा है । प्रशासन को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि उसके फैसलों से ऐसी धारणा पैदा न हो कि उन्हें लोगों पर ठोसा जा रहा है । उच्च न्यायालय के बारे में भी फैसला करने का अधिकार हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगरहवेली और दादरा के प्रतिनिधि के रूप में हमें एक सदस्य लोक सभा में लेना चाहिए ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मुझे इस बात की पूर्ण आशा थी कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त होगा । इस विवाद के दौरान में जो भी भ्रांतियां व्यक्त की गयी हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहता हूं । मैं भ्रांतियां इसलिए कहता हूं कि इस प्रकार की भ्रांति ईमानदारी से सोचने पर भी प्रायः हो जाती है परन्तु वह निराधार होती है, उनका कोई औचित्य नहीं होता ।

मैं सब से पूर्व श्री त्यागी की बात लेता हूं । यह इसलिए कि उन्होंने लगभग वही बात कही है जो कि उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक के समय कही थी । उन्होंने उद्देश्य और कारणों के विवरण पर आपत्ति की थी । उसमें लिखा था कि यह संशोधन विधेयक दादरा और नगरहवेली के लोगों की प्रार्थना पर ही प्रस्तुत किया गया है । श्री त्यागी कहते हैं कि क्या हम उनको अपने में सम्मिलित नहीं करेंगे जो कि ऐसा नहीं चाहते ? यह तो हमारी कमजोरी ही व्यक्त करने वाली बात है । मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता । हमने आजादी प्राप्त की, हम आगे बढ़े परन्तु हमने किसी को मजबूर करके न कुछ किया और न ही करवाया । हम तो जन इच्छा से ही सब कुछ करना चाहते हैं । स्वेच्छा से किया हुआ कार्य मजबूरी से किये हुये कार्य से अधिक अच्छा होता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने खंड ४ के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किये हैं, इस दिशा में मेरा निवेदन है कि यह कहना गलत है कि वरिष्ठ पंचायत के सम्बन्ध में सलाहकारी कृत्य के वर्णन मात्र से उस पंचायत का दर्जा निम्न प्रकार का हो जायेगा । एक बात हम को समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार के उल्लेख का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि एक विशेष प्रकार की संविधिक स्थापना का निरूपण जैसा कि केन्द्र में मंत्रिमंडल अथवा ऐसे राज्यों में स्थापना का वर्णन जो सलाहकारी हैसियत में काम करती है । प्रशासक स्वतन्त्र रूप में प्रशासन चला सकता है यह अधिकार तो उसे है ही, विधान में उसकी इस दिशा की क्षमता स्पष्ट एक उपबन्ध में है । परन्तु सलाहकारी कृत्य का एक ही अर्थ है, उसका यह अर्थ कदापि नहीं कि सलाह को यदि नहीं माना गया तो उसे बाध्य भी किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

कानूनी दृष्टि से देखा जाये तो वास्तव में हम सब भी सलाहकार ही हैं । अनुच्छेद ७४ में कहा है :

"राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा ।"

अतः मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पंचायतों के मामले में जब सलाहकार शब्द आता है तो सन्देह हो जाता है ।

इस दिशा में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायत का कार्य केवल मात्र सलाह का ही नहीं रहेगा । इसे कुछ विधान मंडलीय उत्तरदायित्व भी सौंपा जायेगा । अब जब कि यह क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो गया है इस क्षेत्र से सम्बन्धित विधान मंडलीय कार्य भी संसद् को ही करना होगा । अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत वहां के सभी प्रकार के प्रशासनिक तथा अन्य कार्यों को करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर होगा । इस वरिष्ठ पंचायत का कार्य अब तो अधिकतर कार्यपालिक कार्यों तक ही सीमित रहेगा परन्तु आगे चल कर उसे विधान मंडलीय कार्य भी सौंपे जा सकते हैं । इसीलिए तो हम 'अन्य कार्य' शब्द भी इसमें जोड़ रहे हैं । अतः मेरा निवेदन है कि सलाहकारी कृत्य भी कोई निम्न कोटि का कृत्य नहीं है । यह तो एक संविधानीय ढांचा है जो कि प्रारम्भ में वहां पर खड़ा किया जा रहा है । और इसमें यह भी लगभग स्पष्ट ही है कि प्रशासक पंचायत की सलाह को हमेशा लगभग स्वीकार करेगा, उसी तरह जिस प्रकार कि राष्ट्रपति महोदय अपने मंत्रि-मंडल की सलाह प्रायः स्वीकार करते हैं । सलाहकारी कृत्य हर समय ऐसा नहीं होता जिसकी उपेक्षा कर दी जाये । हम लोकतंत्रीय परम्पराओं का निर्माण कर रहे हैं । लोक-तंत्रीय स्तर पर दी गयी सलाह की उपेक्षा करना सम्भव नहीं होता ।

इस के अतिरिक्त बम्बई उच्च न्यायालय को इस क्षेत्र का उच्च न्यायालय बनाने का उपबन्ध है, जिस पर आपत्ति की गयी है । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का प्रारूप दादरा तथा नगरहवेली के लोगों से परामर्श के साथ तैयार किया गया था । उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उन के क्षेत्र तक विस्तार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी इस के विपरीत उनका मत यह था कि बम्बई उच्च न्यायालय उन के लिए सब से अधिक सुविधा जनक रहेगा । इस दृष्टिकोण का आदर करते हुये हमने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया । दादरा और नगरहवेली के किसी भी व्यक्ति को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई । यह निश्चय व्यावहारिक कठिनाइयों को सामने रख कर किया गया है, अतः इस मामले में अब अधिक विवाद नहीं होना चाहिए ।

अन्य प्रश्न लोक सभा में इस क्षेत्र के एक व्यक्ति को मनोनीत करने का है । यदि यह सुझाव न दिया जाता तो अच्छा रहता । इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या ५०,००० के लगभग है । और इतनी जनसंख्या के लिए प्रतिनिधि मनोनीत करना संभव नहीं । भारत के बाकी क्षेत्रों में हमने ४ लाख के पीछे एक व्यक्ति लोक सभा में लिया है । वैसे सुविधा के लिए चार लाख के लिए चार यूनिट बना दिये गये हैं । इस के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि लोगों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बड़ी जरूरी बात यह है कि किसी क्षेत्र विशेष की जनता का प्रतिनिधित्व का अंश उस में सम्मिलित हो । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का युद्ध बहुत अच्छी प्रकार से लड़ा है और अपना प्रशासन भी प्रशंसनीय ढंग से चलाया । अतः दादरा और नगरहवेली से लोग निस्संदेह संसद् में प्रतिनिधित्व के पात्र हैं ।

आरम्भ में चुनाव तो संभव होता नहीं अतः मनोनीत कर के प्रतिनिधित्व देना सम्भव होता है। परन्तु मुझे इस में कोई संदेह नहीं कि शीघ्र इस क्षेत्र के लोग भी भारत के अन्य भागों की तरह अपना प्रतिनिधि चुन कर संसद् में भेजेंगे। श्री नाथपाई ने शायद यह समझा है कि यहां पर शायद यह नामज़दगी की प्रणाली चलेगी और शायद सरकार केवल अपने ही चाहने वाले दल के किसी व्यक्ति को क्षेत्र का प्रतिनिधि मनोनीत कर देगी। ऐसा नहीं होगा। हमारे देश की संसद की बड़ी शानदार परम्परायें हैं और इतने निर्भय हो कर देश के लोगों के हितों की रक्षा की है। सरकार भी उस दल की है जिसकी इतनी आलोचना हुई है जितनी संसार भर में किसी भी दल की नहीं हुई। देश की संसद एक छद्म संसद् के रूप में कार्य नहीं कर सकती। हमारे देश के तो विरोधी दलों का कार्य भी संसदीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और विदेश से आने वाले लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। उन के कार्यों से भी रचनात्मक दृष्टि से काफी लाभ पहुंचा है। एक बात और भी इस दिशा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां और भी कहीं मनोनीत करने की प्रणाली है, वहां सरकार यह देख कर ही किसी को मनोनीत करती है कि वास्तविक तौर पर बहुमत का विश्वास किस व्यक्ति विशेष को प्राप्त है। इस से मेरा विचार है कि इस दिशा में सामने आये सभी सन्देह दूर हो जायेंगे।

हमें इस बात का भी ध्यान है कि वहां जो कानून लागू रहे हैं वे हमारे कानूनों से नितान्त भिन्न हैं। उन में तुरन्त और सीधे ही परिवर्तन कर देना सम्भव नहीं। मैं स्वयं चन्द्रनगर गया हूं मैं ने देखा है कि अभी वहां फ्रैंच कानून ही चलते हैं। न उन्हें हटाया ही गया है और न ही उन में कोई संशोधन ही किया गया है। कई बार अदालतों मे भी विपरीत निर्णय दिये हैं। अतः हमारा निर्णय यह है कि अभी वहां के कानून में तुरन्त कोई परिवर्तन न कर के उस में शनैः शनैः तबदीली लाई जाय। इसी उद्देश्य से खंड १०, १२ और १४ में अधिकार प्राप्त किये गये हैं। वहां के कई कानून तो हमारे मूल अधिकारों के भी विरुद्ध हैं। वहां यह तो संभव नहीं होगा कि वहां वे कानून भी चलते रहें जो हमारे संविधान के ही विरुद्ध हों। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि किसी उपनिवेश के कानूनों को जो हमारे मूल सिद्धान्तों से टक्कर खाते हों वहां लागू रहने दिया जाय। खंड ८ में जो कानून चालू रखे गये हैं वे संशोधित हैं और उन में गत सात वर्षों में तबदीलियां की गयीं और भारत से विलय तक ये कानून चालू रहे हैं।

इन शब्दों से मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निवेदन इस सदन से करता हूं।

†**श्री नाथपाई** : यह स्पष्ट नहीं हुआ कि मनोनयन की व्यवस्था सामान्य चुनावों तक सीमित रहेगी या सदा के लिए बनी रहेगी?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह गलतफ़हमी कि भारत सरकार मनोनयन की व्यवस्था सदा जारी रखेगी पहले ही दूर की जा चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगरहवेली का संसद में प्रतिनिधित्व करने और इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन एवं तत्संबंधी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंडों पर विचार शुरू होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्द २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४ से ७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९ और १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ से १४ तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११ से १४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

यह स्पष्ट है कि उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चनाव होना चाहिये । परन्तु इस समय उन पर यह भार डालना उन के लिये, चुनाव आयोग के लिये और अन्य लोगों के लिये कठिनाई पैदा कर देगा मैं आशा करता हूं कि आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद वहां चुनाव की प्रथा शुरू कर दी जायेगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रत्यर्पण विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन)** : प्रधान मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

यह वास्तव में एक अविवादास्पद विधेयक है । स्वतन्त्रता से पहले प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में तीन विधियां थीं । पहला ब्रिटिश संसद् का एक कानून था, दूसरा भगोड़े अपराधी अधिनियम था और तीसरा एक भारतीय अधिनियम—भारतीय प्रत्यपर्ण अधिनियम था । इन अधिनियमों को लागू करना सदा कठिन था । स्वतन्त्रता से पहले, जब भी कोई ऐसा मामला पैदा होता था, तो काफी खोज करनी पड़ती थी कि कौन सी विधि या प्रक्रिया उस पर लागू होती है । उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार भगोड़े अपराधी अधिनियम जो कि राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच प्रत्यर्पण के बारे में था, अप्रवर्तनीय माना गया है । अतः यह आवश्यक हो गया है कि विधि में ऐसा संशोधन किया जाये, जिस से कि हमारी सरकार उन अपराधियों को पकड़ सकें जो राष्ट्रमंडलीय देशों, विशेषतः पाकिस्तान और निकटवर्ती देशों में चले गये हैं और वे देश भी उन भगोड़े अपराधियों को ले सकें जो भाग कर भारत में आ गये हैं । अतः एक व्यापक विधेयक तैयार कर के पुरःस्थापित किया गया है ।

इस में कोई विवादास्पद उपबन्ध नहीं है । अपराधियों के प्रत्यपर्ण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता दी गई है । जिन क्षेत्रों पर यह लागू होगा उन्हें तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है अर्थात् (१) ऐसे देश जिन के साथ हम ने प्रत्यपर्ण सम्बन्धी व्यवस्था की है । (२) राष्ट्रमंडलीय देश जिन के साथ यह व्यवस्था है और (३) राष्ट्रमंडलीय देश जिन के साथ यह व्यवस्था नहीं है । इस विधेयक में प्रत्यर्पण की प्रार्थनाओं को निपटाने के लिये प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं । विधेयक का मसौदा तैयार करने में प्रसिद्ध उदार सिद्धान्तों को ध्यान में रखा गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : सरकार ने विधेयक लाने में जल्दबाजी से काम लिया है । विधेयक को उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाता या उसे प्रवर समिति को सौंपा जाता तो अधिक अच्छा होता । व्यापक विधेयक संविधान और हमारे लोगों की इच्छा के अनुकूल होना चाहिये ।

विधि आयोग ने अपने पांचवें प्रतिवेदन में कहा है कि आयोग की राय जानने के लिये ऐसी संविधियां उसे सौंपी जानी चाहियें; मालूम नहीं इस विषय में आयोग से सलाह क्यों नहीं ली गई । ऐसा प्रतीत होता है कि डा० एन०सी० सेनगुप्ता ने विधि आयोग के पांचवें प्रतिवेदन के साथ जो टिप्पण नत्थी किया था, उसे विधेयक का मसौदा तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा गया ।

विधि मंत्री मुझ से सहमत होंगे कि राजनीतिक अपराध की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भगोड़े अपराधी एक देश से दूसरे को प्रत्यर्पित किये जाते हैं, किन्तु यदि किसी भगोड़े पर कोई राजनीतिक अपराध हो, तो उस के प्रत्यपर्ण का प्रश्न नहीं पैदा होना चाहिये, विशेषकर हमारे जैसे देश में । प्रत्यर्पण के प्रयोजनों के लिये राजनीतिक अपराध की अब तक कोई ऐसी परिभाषा नहीं निकाली गई जो कि सब को स्वीकार हो । इसलिये राजनीतिक अपराध की सही परिभाषा अत्यन्त आवश्यक है । हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम कोई ऐसी परिभाषा न रखें, जिस से ऐसा प्रतीत हो कि हम राजनीतिक शरण नहीं देते । सभी प्रमुख देश राजनीतिक अपराधियों को शरण देने में सहदत हैं और हमारी सरकार को भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिस से यह जाहिर हो कि हम प्रत्यर्पण के मामले में राजनीतिक अपराधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यह समझ में नहीं आया कि राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्बन्ध में राजद्रोह को ऐसा अपराध माना गया है जिस के लिये प्रत्यर्पण किया जा सकता है । कोई कारण नहीं है कि राजद्रोह को भी राजनीतिक अपराध न माना जाये ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

विधेयक का यह उपबन्ध खास तौर पर खतरनाक है, क्योंकि आम तौर पर सरकारें अपने विरोधियों पर राजद्रोह और विद्रोह का आरोप लगाती हैं ।

यूरोप के बहुत से देशों को प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि में यह व्यवस्था है कि वे अपने राष्ट्रजनों को दूसरे देशों के हवाले नहीं करते बल्कि उन के अपराधों के लिये उन्हें स्वयं दंड देते हैं । इस प्रयोजन के लिये वे दूसरे पक्ष से गवाही ले लेते हैं । प्रत्यर्पण की मांग किये जाने पर हमें अपने राष्ट्रजनों को अर्पण न करने की यूरोपीय परम्परा स्वीकार करनी चाहिये । और हमें औपचारिकताओं के पालन पर भी अधिक जोर देना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि विधि आयोग के पांचवें प्रतिवेदन में डा० सेनगुप्ता के टिप्पण पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये । 'प्रत्यर्पण संधि' की परिभाषा अधिक सावधानी से करनी चाहिये । स्वतन्त्रता से पहले किये गये अभिसमयों और समझौतों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये और राजनीतिक अपराध की पुनः परिभाषा करनी चाहिये ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : द्वितीय अनुसूची में अपराधों की जो सूची दी गई है, वह तीसरी अनुसूची में दी गई अपराधों की सूची से क्यों इतनी लम्बी है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : अपराधों की इस सूची में से, अधिसूचना द्वारा कुछ अपराध चुन लिये जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : विधेयक को पेश करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है ? जहां तक भारत का सम्बन्ध है, वर्तमान स्थिति ठीक ही है ।

जिन देशों के साथ हम ने प्रत्यर्पण सन्धि की है उन की सूची सदस्यों को दी जाये । मेरे विचार में ऐसे राष्ट्रमंडलीय देश कम ही होंगे जो हमारे साथ पारस्परिक समझौता करेंगे । इसलिये पहली अनुसूची की क्या आवश्यकता है जब कि पाकिस्तान और ब्रिटेन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे । तीन प्रकार की प्रत्यर्पण संधियों के स्थान एक व्यापक संधि क्यों नहीं की जाती ? दूसरी बात यह कि विधि मंत्री को राजनीतिक अपराध की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिये और इस के कुछ विशिष्ट उदाहरण देने चाहियें ।

†**श्री न० रा० मनिस्वामी** (वैल्लोर) : मैं उन देशों की सूची देखना चाहता हूं जिन के साथ हम ने संधियां की हुई हैं ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : मैं विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने का समर्थन करता हूं । विधेयक में राष्ट्रमंडलीय देशों और अन्य देशों में विभेद किया गया है, जैसाकि राष्ट्रमंडलीय देश हमारे प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण हों । वास्तव में ऐसा नहीं है । हमारा अनुभव है कि पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान ने अपराधियों के प्रत्यर्पण के मामले में हमें सहयोग नहीं दिया । कई लोग सार्वजनिक धन का गबन कर तथा अन्य अपराध कर वहां भाग गये हैं किन्तु पाकिस्तान ने उन्हें नहीं लौटाया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजद्रोह और राजनीतिक अपराध का क्या अर्थ है, इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और राजद्रोह की व्याख्या करने के लिये एक कानून होना चाहिये ।

राजनीतिक अपराधियों को आश्रय देते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि विभिन्न देशों के लोग किन राजनीतिक प्रणालियों के अन्तर्गत रह रहे हैं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खांदेश) : मैं यह नहीं समझ सका कि राजद्रोह और राजनीतिक अपराध में क्या अन्तर है । मेरी राय में उन लोगों का प्रत्यर्पण कभी नहीं होना चाहिये, जिन पर राजद्रोह का अपराध हो क्योंकि तथाकथित राजद्रोह केवल राजनीतिक मतभेद ही होता है ।

विधेयक का खंड ४ (ख) ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस में समय-अतीत अपराधों का उल्लेख है । असैनिक विधियों को छोड़ कर ऐसे कोई अपराध नहीं हैं जो समय-अतीत समझे जायें ।

अनुसूची २ को लीजिये । इस में अपराधों का शब्द विन्यास बहुत विस्तृत प्रकार का है ; चोरी आदि भी इस में शामिल किये गये हैं । इन छोटे मोटे अपराधों के लिये तो प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिये । अब इस सूची में और अपराध शामिल नहीं करने चाहियें ।

प्रत्यर्पण के मामले में राष्ट्रमंडलीय देशों और अन्य देशों में भेद करने का कौन सा तर्कसंगत आधार है ? भुपत को लीजिये, राष्ट्र मंडल देश और अन्य किसी देश में भेद क्यों किया जाये? क्या भुपत एक राष्ट्रमंडलीय देश की अपेक्षा किसी अन्य देश के लिये कम खतरनाक है ?

मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री ने यह सुझाव मान लिया है कि विधेयक को प्रवर समिति के हवाले किया जाये । मेरे विचार में समिति को सारे विधेयक के एवं प्रत्यर्पण के आधार को बदलना होगा ।

श्री तंगामणि (मदुरै) : यदि विधेयक लोक-मत जानने के लिये परिचालित किया जाये, तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन करने वाले लोग तथा राजनीतिक दल इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव दे सकेंगे ।

अनुसूची २ में लगभग १८ अपराध गिनाये गये हैं । उन में से बहुत से छोटे मोटे अपराध हैं, जिन के लिये प्रत्यर्पण करना उचित नहीं होगा ।

राष्ट्रमंडलीय देशों के मामले में छः और अपराध अनुसूची ३ में जोड़ दिये गये हैं । पाकिस्तान चूंकि राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इस के साथ व्यवहार करने में बहुत कठिनाई हो सकती है ।

यह आवश्यक है कि अनसूची ३ में उल्लिखित राजनीतिक कैदियों का आदान-प्रदान नहीं होना चाहिये ।

मैं अनुभव करता हूँ कि 'राजद्रोह' शब्द को निकाल देना चाहिये । राजनीतिक अपराधों की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये कि सरकार को इस बात का निर्णय करने का पूरा अधिकार रहे कि अमुक अपराध राजनीतिक है अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरी राय में फ्रांस और जर्मनी जैसे राज्यों में अपने राष्ट्रजन को समर्पण न करने का जो सिद्धांत है, वह हमें भी अपनाना चाहिये ।

श्री लैं० अचौसिंह (आन्तरिक मनीपुर) : खंड ३१ में एक बहुत अच्छा उपबन्ध है कि सरकार को यह निर्णय करने का अधिकार है कि एक अपराधी की मांग एक से अधिक देशों द्वारा की जाने पर उसे किस देश को सौंपा जाये ।

चूंकि प्रत्यर्पण एक पारस्परिक मामला है । इसलिये एक देश से दूसरे देश को भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण करने के लिये विभिन्न देशों से पारस्परिक आधार पर समझौते करने पड़ेंगे ।

खंड ३ और १३ के बारे में, सरकार ने प्रत्यायोजित विधान के अन्तर्गत सरकार ने बहुत अधिक शक्तियां ले ली हैं । मैं समझता हूं कि इन खंडों में जिन रूपभेदों, अपवादों, शर्तों आदि का उल्लेख है, उन्हें स्पष्ट किया जाये ।

खंड ३, उप-खंड (२) से प्रतीत होता है कि यह अधिनियम भारत के कुछ भागों पर लागू नहीं होगा । मेरे विचार में यह बहुत विभेदकारी और अन्यायपूर्ण है । अधिनियम भारत के सभी भागों पर लागू होना चाहिये ।

विधेयक में एक स्पष्ट उपबन्ध यह भी होना चाहिये कि किसी अन्य देश द्वारा मांग किये जाने पर हमारे अपने राष्ट्रजनों का किसी भी अपराध के सम्बन्ध में प्रत्यर्पण नहीं किया जायेगा ।

विधेयक में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत करने की भी व्यवस्था होनी चाहिये ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१/२७ श्रावण १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[दैनिक संक्षेपिका]

शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६१

२६ श्रावण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१३६३—८८
तारांकित प्रश्न संख्या		
५६७	विशाखापटनम् में हिन्दुस्तान शिपयार्ड	१३६३–६४
५६८	इंजन और डिब्बे का उलट जाना	१३६४—६७
५६९	भारत में हार्ट फाउन्डेशन	१३६७–६८
५७१	राजस्थान में जल की उपलब्धि	१३६९–७०
५७२	कानपुर के पास गाड़ी में डकैती	१३७१–७२
५७३	दिल्ली में आंत्र-शोध रोग	१३७२—७४
५७५	पश्चिम रेलवे के अजमेर केन्द्रीय कार्यालय में आग	१३७४–७५
५७६	जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत	१३७५–७६
५७८	विजयवाडा-गुडुर सेक्शन में दोहरी लाइन बनाना	१३७७
५७९	कलकत्ता बन्दरगाह के लिये सैक्शन ड्रेजर	१३७७—७९
५८०	तीसरी योजना में गांवों में बिजली लगाने के लिये निधि	१३७९–८०
५८१	कांडला बन्दरगाह पर निर्माण कार्य	१३८०—८२
५८३	भारत के होटलों में जगह	१३८३–८४
५८५	गुण्टाबडा में सिलेरू जलविद्युत् परियोजना के लिये उड़ीसा सरकार की आपत्ति	१३८४
६१८	अपर सिलेरू परियोजना	१३८४–८५
५८६	खडगपुर-चक्रधरपुर सैक्शन पर बिजली से रेल चलाना	१३८५
५९०	सवारी गाड़ी में हत्या	१३८६–८७
५९१	सरकारी माल लादने उतारने में समन्वय	१३८७–८८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१३८८—१४९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
५७०	जल दूषण बोर्ड	१३८८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५७४	पटसन की फसल के लिये उर्वरक	१३८८–८९
५७७	काबेरी पर रेलवे पुल . .	१३८९
५८२	जयपुर में योग अनुसन्धान तथा चिकित्सा केन्द्र .	१३८९–९०
५८४	उत्तर प्रदेश में दूर संचार व्यवस्था . . .	१३९०
५८७	तम्बरम् और विल्लुपुरम् सेक्शन पर बिजली से रेल चलाना	१३९०
५८८	रेलवे साइडिंग की जमीनें	१३९०–९१
५८९	तार सेवा . .	१३९१
५९२	त्रिगुणात्मक इंजेक्शन बनाना . .	१३९१
५९३	दिल्ली में यमुना के पानी का दूषित हो जाना	१३९२
५९४	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण .	१३९२–९३
५९५	कलकत्ता-भुवनेश्वर विमान सेवा. .	१३९३
५९६	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अतिरिक्त रेल गाड़ियां	१३९३
५९७	पिछड़े क्षेत्रों में डाक तार सुविधायें	१३९४
५९८	परादीप बन्दरगाह .	१३९४–९५
५९९	मौसम सम्बन्धी सूचनायें	१३९५
६००	ग्राम सभायें . .	१३९५–९६
६०१	नगरों में यातायात की अधिकता .	१३९६
६०२	डाक व तार विभाग के लिये फार्मों आदि की छपाई .	१३९६
६०३	कलोल के पास मालगाड़ी की दुर्घटना .	१३९७
६०४	हार्ट फाउन्डेशन .	१३९७
६०५	नर्मदा नदी बोर्ड	१३९७
६०६	जाली टिकट	१३९८
६०७	नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था .	१३९८
६०८	मसालों का विकास . .	१३९८
६०९	कपड़े की बजाय ईंटों की गांठें .	१३९९
६१०	भारतीय नाविकों को काम पर लगाना . .	१३९९
६११	मद्रास और नई दिल्ली के बीच एक और यात्री रेलगाड़ी	१४००
६१२	हुगली में डूबा हुआ हालैंड का जहाज . . .	१४००
६१३	स्टेनोग्राफरों के वेतन क्रम . . .	१४००–०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६१४ राष्ट्रीय सहकारी कृषि मलाहकार बोर्ड . . १४०१
६१५ गेहूं की खरीद १४०१
६१६ 'पठानकोट एक्सप्रैस' में हत्या . १४०२
६१७ टेलीविज़न सेट के लिये लाइसेन्स १४०२–०३
६१९ रूसी वनस्पति विशेषज्ञ . १४०३
६२० टेलीफोन कनेक्शनों के लिये तार . १४०३
६२१ शराब के परमिट १४०३–०४
६२२ पुराने वाइकाउन्ट विमान १४०४
६२३ कठुआ जम्मू रेलवे लाइन . १४०४
६२४ सहकारी चीनी कारखाने १४०४–०५
६२५ भारत और पाकिस्तान में पूर्वी नदियों के जल का विभाजन १४०५
६२६ मचकुण्ड परियोजना . १४०६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२५९ रेलवे दुर्घटनाओं में हताहतों के लिए प्रतिकर १४०६
१२६० रेनीगुण्टा-तिरूपति रेलवे लाइन . १४०६
१२६१ खेती के नए तरीके १४०७
१२६२ पंजाब में पुल . १४०७
१२६३ वेतन आयोग का प्रतिवेदन . १४०७–०८
१२६४ पर्यटकों के लिए सुविधायें . १४०८–०९
१२६५ उर्वरक . . १४०९–१०
१२६६ महाराष्ट्र राज्य के लिए खाद्यान्न १४१०–११
१२६७ आन्ध्र प्रदेश में चीनी के कारखाने . . १४११
१२६८ महाराष्ट्र राज्य में पशु और कुक्कुट प्रजनन योजनायें १४११
१२६९ खेतिहरों को वित्तीय सहायता . १४१२
१२७० महाराष्ट्र में चीनी के कारखाने १४१२
१२७१ गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम . . १४१२–१३
१२७२ महाराष्ट्र में मध्यम सिचाई परियोजनाएं . १४१३–१४
१२७३ महाराष्ट्र की १९६१–६२ के लिए बाढ़ नियंत्रण योजनायें . १४१४
१२७४ पूर्व रेलवे में स्वास्थ्य एकक . . १४१४
१२७५ औरंगाबाद स्टेशन पर कुली . . . १४१५

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२७६	रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	१४१५
१२७७	कलकत्ता पत्तन के लिए कार्यानुसार मजूरी योजना	१४१५–१६
१२७८	ट्रांजिस्टर रेडियो के लाइसेंस	१४१६
१२७९	रेडियो लाइसेंस	१४१६
१२८०	रेल गाड़ियों में रेडियो सेट	१४१७
१२८१	रेडियो	१४१७
१२८२	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	१४१७–१८
१२८३	होम्योपैथिक औषधियां और योग्याभ्यास	१४१८
१२८४	उत्तर रेलवे पर वाटर कूलर	१४१८
१२८५	दिल्ली का चिड़िया घर	१४१८
१२८६	मैसूर राज्य में रज्जु मार्ग	१४१९
१२८७	पूर्व रेलवे पर निन्द्रा स्टेशन पर रेल गाड़ियों की टक्कर	१४१९
१२८८	सिक्किम और भूटान में वर्षा तथा गाद जांच केन्द्र	१४१९–२०
१२८९	चर्खी दादरी टेलीफोन एक्सचेंज	१४२०
१२९०	चंडीगढ़ के बड़े डाकघर की इमारत	१४२०
१२९१	राजस्थान नहर को कांडला बन्दरगाह तक बढ़ाना	१४२०–२१
१२९२	पुरली–बैजनाथ–लचूर रेलवे लाइन	१४२१
१२९३	ठंडे गोदाम	१४२१
१२९४	दिल्ली रिंग रेलवे	१४२१
१२९५	बाढ़ नियन्त्रण योजनायें	१४२२
१२९६	चरखी दादरी के पास निचला पुल	१४२२
१२९७	दिल्ली को भाखड़ा की बिजली	१४२२–२३
१२९८	दिल्ली में कृषि कालिज	१४२३
१२९९	रेलवे मंत्री की कल्याण तथा सहायता निधि	१४२३
१३००	माल डिब्बों का लदान	१४२३–२४
१३०१	अन्दमान का वन विमान	१४२४
१३०२	नदी जोनों की सिंचाई और बिजली क्षमता का अध्ययन	१४२४–२५
१३०३	कोसी परियोजना से नेपाल क्षेत्र में नहर का निर्माण	१४२५
१३०४	नारनौल तथा अतेली के बीच नया स्टेशन	१४२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
१३०५	रोम में बान्ध संबंधी सम्मेलन . . .	१४२५–२६
१३०६	ग्रामीण संस्थाओं में डिपलोमा पाट्यक्रम .	१४२६–२७
१३०७	पंजाब में विद्युत परियोजनायें . .	१४२७–२८
१३०८	लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली में कर्मचारी	१४२८
१३०९	दिल्ली में यात्रियों की भीड़भाड़ . .	१४२८
१३१०	पंजाब में सहकारी अग्रिम परियोजना एकक .	१४२९
१३११	भांडागार . .	१४२९
१३१२	रेलवे में आम हड़ताल .	१४३०
१३१३	बिना टिकट यात्रा . . .	१४३०
१३१४	मध्य रेलवे पर बिना टिकट यात्रियों पर मुकद्दमा .	१४३१
१३१५	दिल्ली में नये 'गाइड बैंक' का निर्माण . .	१४३१
१३१६	डाकू आतंक वाले क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का विकास .	१४३१–३२
१३१७	जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सालय . .	१४३२
१३१८	भारतीय पौधों का निर्यात . . .	१४३२
१३१९	गाड़ियों में डकैतियां	१४३२–३३
१३२०	कानपुर के निगट गैंगमैन का रेलगाड़ी से कुचला जाना .	१४३३–३४
१३२१	खांडसारी, मिश्री, बूरा आदि का अन्तर्राज्यिक परिवहन	१४३४
१३२२	उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी . .	१४३४–३५
१३२३	कानपुर में ऊपरी पुल . . .	१४३५–३६
१३२४	गोविन्दनगर के निकट नया स्टेशन . . .	१४३६
१३२५	इंदौर में डाक तथा तार कर्मचारी . . .	१४३६
१३२६	मेडिकल कालेजों में प्रिवेंटिव एण्ड सोशल मैडीसिन डिपार्टमेंट	१४३६—३८
१३२७	जम्मू और काश्मीर वैकल्पिक राज पथ . . .	१४३८
१३२८	समुद्र द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र की योजना	१४३८
१३२९	राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम . .	१४३८–३९
१३३०	लेमाखोंग बिजली योजना	१४३९
१३३१	इम्फाल तामेंगलांग सड़क	१४३९
१३३२	मनीपुर में वन विभाग	१४३९–४०
१३३३	मनीपुर में वन	१४४०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३३४	गिट्टी की ढुलाई	१४४०
१३३५	मुगलसराय फतेहपुर लाइन पर गिट्टी की दर .	१४४०–४१
१३३६	रेलगाड़ियों में फल आदि ले जाने के लिये ठंडे डिब्बे	१४४१
१३३७	पटना में डाक घरों की इमारतें .	१४४१
१३३८	बिना टिकट यात्रा . .	१४४१–४२
१३३९	सहकारिता संबंधी अध्ययन दल .	१४४२
१३४०	उड़ीसा में चावल तथा धान के मूल्य . .	१४४२–४३
१३४१	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१४४३
१३४२	तार सेवा	१४४३–४४
१३४३	सरकारी कर्मचारियों द्वारा पत्नियों और परिवारों की उपेक्षा के लिये दंड . .	१४४४
१३४४	घी का अन्तर्राज्यिक वहन . . .	१४४४–४५
१३४५	दिल्ली के किसानों के लिये खाद . . .	१४४५
१३४६	दिल्ली में रबी की फसल .	१४४५–४६
१३४७	रेलवे पर उपाहार-गृह . .	१४४६
१३४८	जीजीभाई समिति	१४४६–४७
१३४९	कृष्णा और गोदावरी के लिये नदी बोर्ड	१४४७
१३५०	त्रिपुरा में डाक की डिलीवरी	१४४७–४८
१३५१	तीसरी योजना में केरल के लिये जल विद्युत् परियोजनाएं .	१४४८
१३५२	ऐलिस चामर ट्रैक्टर . .	१४४८
१३५३	टेलीफोन कनेक्शन	१४४८–४९
१३५४	मत्स्य पालन का विभाग	१४४९
१३५५	रेलवे को माल डिब्बों के फर्श की लकड़ी का संभरण .	१४५०
१३५६	छोटी सिंचाई योजनाएं	१४५०
१३५७	मनीपुर में छोटे सिंचाई कार्य	१४५०–५१
१३५८	लखनऊ–अमृतसर फास्ट पैसेंजर में पहली श्रेणी की बर्थों का कोटा	१४५१–५२
१३५९	नंगल में टेलीफोन	१४५२
१३६०	मनाली में डाक व तार विभाग के क्वार्टर . .	१४५२
१३६१	नैनीताल जिला में कृषि विश्वविद्यालय .	१४५२–५३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६२ घी श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन नियम . . १४५३–५४
१३६३ राजपथ संख्या २९ पर पुल . . १४५४–५५
१३६४ शाहगंज जंकशन . . १४५५
१३६५ बस्तर में रेलों की प्रगति . १४५६
१३६६ कांगड़ा घाटी खंड में पानी की कमी . . १४५६
१३६७ मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी १४५६
१३६८ रेलवे में कोयले की राख . १४५७
१३६९ खण्ड विकास समितियां . १४५७–५८
१३७० कर्नाटक में अस्पताल १४५८
१३७१ स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज . . . १४५९
१३७२ रायचूर में ऊपरी तथा निचला रेलवे पुल . १४५९
१३७३ आयातित खाद्यान्न १४६०
१३७४ केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र पूना . १४६०—६२
१३७५ द्वितीय योजना में नलकूप . . . १४६२
१३७६ दिल्ली में उद्योगों को बिजली के कनेक्शन . १४६३
१३७७ रेलवे कर्मचारी का मूर्च्छित होना . . १४६३
१३७८ दुग्ध सहकारी संस्थाएं १४६३–६४
१३७९ उत्तर रेलवे में विभागीय खाद्य व्यवस्था . १४६४
१३८० प्राथमिक स्कलों के अध्यापकों का प्रशिक्षण . . १४६४
१३८१ भटिंडा मार्शलिंग यार्ड . १४६४–६५
१३८२ रासायनिक खाद १४६५
१३८३ धारवाड़ जिले में महात्मा गांधी यक्ष्मा सेनीटोरियम . १४६५–६६
१३८४ सियालदह के स्टेशन मास्टर के साथ मारपीट . १४६६
१३८५ कटक का रेलवे होस्टल . . १४६७
१३८६ उड़ीसा के लिये परिवहन निगम . १४६७
१३८७ त्रिपुरा में धान का उत्पादन . १४६७
१३८८ कलकत्ता में ठगी . १४६८
१३८९ बद्रीनाथ के तीर्थ का मार्ग . . १४६८
१३९० नल-कूपों का लगाया जाना १४६८–६९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३९१	रासायनिक उर्वरक	१४६९
१३९२	पोस्टल आर्डर	१४६९–७०
१३९३	तंजौर में बाढ़	१४७०
१३९४	अमृतसर में टेलीफोन के कनेक्शन	१४७०–७१
१३९५	भुंटार में सार्वजनिक टेलीफोन	१४७१
१३९६	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	१४७१
१३९७	उत्तर रेलवे के ब्रह्मपुर में फलैग स्टेशन	१४७१–७२
१३९८	पंजाब में भांडागार	१४७२
१३९९	होशियारपुर जिले में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड	१४७२
१४००	केरल में पैकेज प्रोग्राम	१४७२–७३
१४०१	पंजाब सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारी	१४७३
१४०२	बम्बई -मद्रास जनता एक्सप्रेस	१४७३
१४०३	सीमेंट का संभरण	१४७३–७४
१४०४	कोट्टयम के निकट नया रेलवे स्टेशन	१४७४
१४०५	भारत में चेचक उन्मूलन के कार्य में रूसी सहायता	१४७४
१४०६	उड़ीसा में नारियल और सुपारी का उत्पादन	१४७४–७५
१४०७	उर्वरक की आवश्यकता	१४७५
१४०८	भाण्डागार	१४७५–७६
१४०९	चीनी की खपत	१४७६–७७
१४१०	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	१४७७–७८
१४११	उड़ीसा में ग्रामीण जल संभरण योजनायें	१४७८
१४१२	केरल में परिवार नियोजन	१४७८–७९
१४१३	देवरिया स्टेशन पर गाड़ी का उलटना	१४७९
१४१४	पशु चिकित्सा कालेज	१४७९
१४१५	मालगाड़ियों से चोरियां	१४७९–८०
१४१६	भारत-गोआ उड़ान	१४८०
१४१७	कामली, धारवाड़ा और उमरदेशी स्टेशनों पर वर्षा के कारण गाड़ी का उलटना	१४८०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--[क्रमशः]

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४१८ रेलवे पर ऊपरी पुल . . . १४८०–८१
१४१९ भुवनेश्वर स्टेशन १४८१
१४२० मद्रास में तीसरी योजना में नई रेलवे लाइनें . . १४८१–८२
१४२१ इर्विन अस्पताल, दिल्ली . . १४८२
१४२२ इर्विन अस्पताल, दिल्ली का प्रसूति वार्ड . . १४८२
१४२३ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . . १४८३
१४२४ पूर्व रेलवे पर हस्तलिखित टिकटों का जारी किया जाना . १४८३
१४२६ विमानों द्वारा बुकिंग . . १४८४
१४२७ बीमा शुदा लिफाफे की डिलीवरी न होना . . . १४८४
१४२८ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में संचार व्यवस्था. १४८५
१४२९ केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था, चिंगलपुट, मद्रास १४८५
१४३० भूतपूर्व साउथ इण्डिया रेलवे सैक्शन पर रेले कोच चलाना १४८५–८६
१४३१ मेनमवक्कम में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र . . . १४८६
१४३२ कच्चा पटसन . . . १४८६
१४३३ तृतीय योजना में डाक सुविधायें . . १४८७
१४३४ रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन १४८७
१४३५ दक्षिण रेलवे पर कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इंस्पेक्टर) . १४८७
१४३६ रेलवे में मुख्य कर्मचारी वर्ग पदाधिकारी . . १४८८
१४३७ रेलवे वर्कशाप मैसूर में प्रोत्साहन योजना . . . १४८८
१४३८ रेलवे लाइन का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना . . . १४८८–८९
१४३९ रेलवे लाइन का नवीकरण १४८९
१४४० मैसूर सर्किल में डाक तथा तार घर . . . १४८९
१४४१ मैसूर में डाक तथा तार प्रशिक्षण केन्द्र . १४८९–९०
१४४२ मैसूर सर्किल में डाक तथा तार डिवीज़न . १४९०

स्थगन प्रस्ताव . . . . . १४९०—९२

अध्यक्ष महोदय ने १५ अगस्त, १९६१ को सोनपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा गोली चलायी जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	१४९२—९४
श्री हरिश्चन्द्र माथर ने दिल्ली में बार-बार बिजली के बन्द हो जाने और इस स्थिति को सुधारने के लिये की गयी कार्यवाही की ओर सिंचाई और विद्यत् मंत्री का ध्यान दिलाया।	
सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४९४
(१) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १३३८ में प्रकाशित दिल्ली विकास (सम्पत्ति का प्रबन्ध) विनियम, १९६१ की एक प्रति।	
(२) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९८७ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (चिकित्सा पदाधिकारियों को ले जाना) नियम, १९६१ की एक प्रति।	
राज्य सभा से संदेश	१४९४
सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने अपनी १६ अगस्त, १९६१ की बैठक में, लोक-सभा द्वारा १४ अगस्त, १९६१ के पारित किये गये संविधान (दसवां संशोधन), विधेयक, १९६१ को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है।	
विधेयक पुरःस्थापित	१४९५
वेतन में स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१४९५—१५०२
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। १६ अगस्त, १९६१ को भी नलदुर्गकर द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और चर्चा समाप्त हुई।	
विधेयक पारित	१५०२—१४
प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि दादरा और नगर हवेली विधेयक पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।	

विषय पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन . . . . . १५१४—१८

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि प्रत्यर्पण विधेयक पर विचार किया जाय । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १८ अगस्त, १९६१/२७ श्रावण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

प्रत्यर्पण विधेयक तथा इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्तुत संशोधन पर अग्रेतर चर्चा ; आयकर विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार और पारित करना तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार और पारित करना ।

———